द्वादश माला, खंड 5, अंक 38

गुरुवार, 6 अगस्त, 1998
15 श्रावण, 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र

(बारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 5 में अंक 31 से 38 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

गुरुवार 6 अगस्त, 1998/15 श्रावण, 1920 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

...

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
1	12	श्री दलित रीजमलाई	श्री दलित रीजलमलाई
22	15	कानीक्ट	कालीक्ट
31	नीचे से 9	अहिंसा	हिंसा
76	16	डा॰रामकृष्ण कुसमारिया	डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा॰ अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे.एस. वत्स
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 5, दूसरा सत्र, 1998/1920 (शक)]

अंक 38, गुरुवार, 6 अगस्त, 1998/15 श्रावण, 1920 (शक)

विषय	कालम
ा पटल पर रखे गए पत्र .	1
द्वारा सभा पटल पर रखा गया पत्र .	8-9
357 के अधीन व्यक्तिगत स्पष्टीकरण .	26-31,44
श्री आनन्द मोहन	26-30
श्री शिवराज वी॰ पाटील . .	44
आयोग की अंतिम रिपोर्ट और रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही संबंधी ज्ञापन पर विचार किए जाने के बारे में प्रस्ताव	38-44,44-75
श्री मुलायम सिंह यादव	38-44
श्री शिवराज वी॰ पाटील .	44-53
प्रो॰ सैफुद्दीन सोज .	53-56
श्री मोहन रावले .	57-59
डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी	60-61
श्री शकुनी चौधरी	61-62
श्री भजन लाल .	62-64
श्री बूटा सिंह . .	64-67
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	68-75
नियम 377 के अधीन मामले	75-83
(एक) मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सिरमौर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय का दर्जा बढ़ाकर बारहवीं कक्षा तक किए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी .	75-76
(दो) मध्य प्रदेश के दमोह जिले में पंचमनगर सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा करना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया	76
(तीन) खुर्जा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में जेवर और याकूदपुर में यमुना नदी पर बाध के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को समुचित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जान की आवश्यकता	
श्री अशोक प्रधान .	76-77
(चार) उन्नाव और गंगाघाट को गंगा कार्य योजना में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता	
श्री देवी बक्स सिंह	77
(पांच) राजस्थान में विशेषकर चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में और अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री नरेन्द्र बुडानिया	77-78

विषय		कालम
(छह)	खादी और ग्रामोद्योग के लिए छूट योजना को बहाल किए जाने की आवश्यकता श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	78
(सात)	गुंटूर के लोगों को बेहतर रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता श्री आर• साम्बासिवा राव	78-79
(आठ)	ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की बंद पड़ी खानों को पुनः खोले जाने के लिए निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता डा• रामचन्द्र डोम	79-80
(नौ)	उत्तर प्रदेश के जलेसर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या को हल करने के लिए ठोस योजनाएं बनाए जाने की आवश्यकता प्रो• एस•पी• सिंह बघेल	80
(दस)	तमिलनाडु के पापानासम और केरल के त्रिवेन्द्रम के बीच संपर्क मार्ग का निर्माण किए जाने की आवश्कता श्री एस• मुरूगेसन	80-81
(ग्यारह)	महाराष्ट्र में अमरावती जिले में मेलघाट के आदिवासी क्षेत्र में कुपोषण के कारण हो रही मौतों को रोकने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता श्री आर•एस• गवई	81
(बारह)	तमिलनाडु में वेल्लौर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में पलार नदी के किनारे बसने वाले लोगों को पेयजल मुहैया कराया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता श्री एन•टी• षणमुगम	81-82
(तेरह)	सरकारी सेवा में भर्ती और पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश को वापस लिए जाने की आवश्यकता प्रो• जोगेन्द्र कवाडे	82-83
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख		83
	हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए पहले परमाणु बम के हताहतों को श्रद्धांजलि	
विदाई उल्लेख		84-88
	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	85
	श्री पी• शिव शंकर	86-88
राष्ट्र गीत		88

लोक सभा

गुरुवार, 6 अगस्त, 1998/15 श्रावण, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

हॉस्पीटल सर्विसिज कन्सलटेन्सी कारपोरेशन (इंडिया) लिमिटेड के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिमलाई) : महोदय, मैं हॉस्पीटल सर्विसिज कन्सलटेन्सी कारपोरेशन (इंडिया) लिमिटेड के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी) संस्करण सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल॰टी॰ 1471/98]

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, आज हिरोशिमा दिवस है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब यह सभा 'शून्य काल' के अन्तर्गत चर्चा करेगी। डा॰ शफीकुर्रहमान बर्क जी।

(व्यवधान)

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : महोदय, चूंकि आज हिरोशिमा दिवस है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हिरोशिमा पर बम गिराए जाने के परिणामस्वरूप हताहत हुए लोगों की स्मृति में श्रद्धान्जलि स्वरूप अपनी भावनाएं अभिवयक्त करने की अनुमति दें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी को 'शून्य काल' में बोलने की अनुमति दूंगा। अब, मैंने डा॰ बर्क को बोलने के लिए बुला लिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी को एक-एक करके बोलने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

डा॰ शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं 31 जुलाई से कोशिश कर रहा हूं लेकिन मौका नहीं मिल पाया।...*(व्यवधान)* 25 जुलाई को जानसट का थाना, जिला मुजफ्फर नगर, उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही दहशतनाक और दर्दनाक हादसा हुआ। पांच नौजवान मुसलमान जिसमें सलीम, नफीस, साजिद, नन्हें और परभूद वगैरह थे उनकी हत्या कर दी गई।...*(व्यवधान)*

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष महोदय, क्या स्टेट मैटर्स लोक सभा में उठाए जा सकते हैं...*(व्यवधान)* यह उत्तर प्रदेश सरकार का मामला है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दे दी है। इन दिनों हम सभा में केवल राज्य के मामलों पर ही चर्चा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा॰ शफीकुर्रहमान बर्क : हत्या जिन हालात में की गई, मुझे अफसोस है कि पुलिस द्वारा हत्या की गई है।...*(व्यवधान)* मुझे अफसोस है कि बी॰जे॰पी॰ को सरकार में मुसलमानों के साथ जो सुलूक किया जा रहा है...*(व्यवधान)* माइनॉरिटी को मुम्बई से निकाला जा रहा है।...*(व्यवधान)* मैं बताना चाहूंगा कि इस दर्दनाक हादसे में नफीस को गोली मारने से पहले नफीस के पहले दोनों हाथ काटे गए।...*(व्यवधान)* सलीम की पहले टांग काटी गई।...*(व्यवधान)* उसके बाद गोली मारी गई, इससे ज्यादा दर्दनाक हादसा नहीं हो सकता।...*(व्यवधान)* इस देश के अन्दर मुसलमानों के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है और उनके साथ जो नासुलूकी की जा रही है, इस पर मुझे अफसोस है।...*(व्यवधान)* आज भी मुसलमानों के घरों में घुसकर, जबकि उनके साथ इतने ज्यादा जुल्म और ज्यादती हुई है, आज भी उनके घरों में घुसकर उन्हें मारा जा रहा है तथा उन्हें सताया जा रहा है।...*(व्यवधान)* मैं यह बताना चाहूंगा कि ये लोग एक कार के अंदर सलीम की ससुराल में जा रहे थे। रात के करीब साढ़े दस बजे जब यह कार जानसट के थाने करीब पहुंची। वे उस गांव के करीब से होकर निकले तो उनके पीछे के॰के॰ गौतम, दारोगा और जांसठ थाने का इंचार्ज दौड़ा और इनको घेर लिया। थाने में ले जाकर इनको बहुत मारा-पीटा। पहले दोनों हाथ काटे गए और फिर टांग काट दी गई, उसके बाद उन्हें गोली मार दी गई।...*(व्यवधान)* बाकी लोग भाग गए। आजकल वहां दहशत की वहज से सारे गांव के लोग भागे हुए हैं। वे लोग मेरठ के रहने वाले थे, इस वजह से मेरठ और मुजफ्फरनगर के अंदर दहशत फैली हुई है। वहां हालात बहुत खराब हैं। चार तारीख को मुजफ्फरनगर, मेरठ और जांसठ से बहुत सारे लोग जंतर-मंतर पर पार्लियामेंट को घेरने के लिए आए और यहां उन हजारों आदमियों ने गिरफ्तारी दी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज 50 सदस्यों ने शून्य काल में उठाए जाने वाले मामलों के संबंध में नोटिस दिए हैं। कृपया इसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर माननीय सदस्य दो या तीन मिनट से अधिक समय लेते हैं तो मेरे लिए काफी कठिन होगा।

[हिन्दी]

डा॰ शफीकुर्रहमान बर्क : महोदय, मैं चाहूंगा कि सरकार इसकी जांच कराए और रिपोर्ट दर्ज करके, उन पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, उनको सजा दिलाई जाए। अगर देश में इस तरीके से अत्याचार होते रहेंगे तो हमारी डेमोक्रेसी और देश के हालात ठीक नहीं रह सकते हैं। मुसलमानों के साथ नाइंसाफी बंद की जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम खुद अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी करने के लिए मजबूर होंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री शिवराज सिंह चौहान को बुलाया है, श्री चेतन चौहान को नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा॰ बिजय शंकर शास्त्री जी, मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, सारी बातें माननीय सदस्य ने कह दी हैं लेकिन मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं।. ..*(व्यवधान)* महोदय, हजारों लोग यहां आए, उसके बाद भी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही हैं सबसे शर्मनाक बात यह है कि हत्या को छिपाने के लिए और पुलिस को बचाने के लिए आर॰एस॰एस॰ और बजरंग दल के लोग मिल कर गांव के गांव उजाड़ रहे हैं।...*(व्यवधान)* महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है, आप निर्देश दे कि मंत्री जी इस पर अपना बयान दें।...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, दोनों जिलों में बहुत तनाव है। चाहे यह जैसे भी हुआ, मैं इसका कारण नहीं जानता। मुजफ्फरनगर और मेरठ, इन दोनों जिलों में मुस्लिम और हिन्दुओं में बहुत तनाव है।...*(व्यवधान)* आप राज्य सरकार से कहें, इन्होंने जो कहा है उसकी जांच करवाएं और इसके लिए उचित कदम उठाएं।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : अध्यक्ष जी, किसी की हत्या होना ऐसा विषय है, जिसके कारण सदस्यों का चिन्तित होना स्वाभाविक है। लेकिन हकीकत क्या है, इसकी जानकारी लेनी पड़ेगी और जो आरोप लगाया है,...*(व्यवधान)* क्या मैं जवाब न दूं?...*(व्यवधान)*

श्री चेतन चौहान (अमरोहा) : महोदय, ऐसे ही मंत्री जी सब का जवाब देते रहेंगे तो यही चलता रहेगा, और कुछ भी नहीं होगा।

[अनुवाद]

हम अपने निर्वाचन क्षेत्रों के मुद्दों को उठाने के लिए पिछले सात दिनों से इन्तजार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं; कृपया विषय के महत्व को समझिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चौहान जी, मंत्री जी उत्तर देना चाहेंगे।

(व्यवधान)

श्री चेतन चौहान : इस तरह, यह सभा एक पुलिस स्टेशन बन जाएगी।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने जो बात कही है वही सही है, लेकिन मंत्री जी इस बात पर बयान दे सकते हैं। ...*(व्यवधान)* आपने आज का अखबार पढ़ा होगा।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सी॰के॰ जाफर शरीफ (बंगलौर उत्तर) : महोदय, क्या मैं आपके माध्यम से अपनी बात कह सकता हूं। मेरे मित्र श्री राम नाईक को सरकार की ओर से संजिदा जानकारी है।

इन संवेदनशील मामलों में, चाहे उनकी सरकार केन्द्र में हो या राज्यों में, गृहमंत्री जी के लिए यही ठीक होगा कि वे आकर एक वक्तव्य दें और देश के अल्पसंख्याकों को आश्वासन दें।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि किसी की भी मृत्यु हत्या के कारण हो तो निश्चित तौर पर वह एक गंभीर मामला है। मैं समझता हूं कि इसमें आर॰एस॰एस॰ चीफ का नाम खदेड़ना अपना छोटापन दिखाना है, सदन में ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसके बारे में जानकारी लेकर गृहमंत्री जी को सूचित करूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : आप हत्याएं करवा रहे हैं, आप छोटापन दिखा रहे हैं ...*(व्यवधान)* आर॰एस॰एस॰ बयान दे रही है ..*(व्यवधान)* क्या यह छोटापन है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

डा॰ सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै) : महोदय, उन्हें सरकार को बचाना चाहिए न कि आर॰एस॰एस॰ को...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं और आप उन्हें रोक रहे हैं। यह सब क्या है?

(व्यवधान)

डा॰ सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय क्या मंत्री जी आर॰एस॰एस॰ की ओर से उत्तर दे रहे हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं और आप उन्हें रोक रहे हैं। यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : मैं सरकार की तरफ से उत्तर दे रहा हूं।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी सरकार की तरफ से उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : 18 साल, 20 साल, 22 साल के लड़कों की हत्याएं हो रही हैं, क्या यह छोटापन है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया किसी को उकसाएं नहीं। कृपया बैठ जाइए। मंत्री जी अपना उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा॰ शफीकुर्रहमान बर्क : अध्यक्ष जी, उनका कोई क्रिमनल रिकार्ड नहीं है। क्या पुलिस को अधिकार है कि वह किसी भी निर्दोष को जान से मार दे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सी॰के॰ जाफर शरीफ : महोदय क्या मंत्री जी एक मिनट के लिए मेरी बात सुनेंगे?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप पहले ही बोल चुके हैं। मंत्री जी को बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री सी॰के॰ जाफर शरीफ : मंत्री जी, एक मिनट के लिए रुकिए।...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : मैं आपसे सहमत नहीं हूं।...*(व्यवधान)* मैंने श्री राजेश पायलट की बात स्वीकार की है और मैंने एक बार आपकी बात भी मानी है।...*(व्यवधान)* अगर आप जब-तब उठते रहे।... *(व्यवधान)*

श्री सी॰के॰ जाफर शरीफ : आपको संसदीय मर्यादा को समझना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : मैं संसदीय मर्यादा शिष्टाचार इत्यादि सब कुछ समझता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री सी॰के॰ जाफर शरीफ : इसलिए यह आपके लिए ठीक नहीं है।...*(व्यवधान)* आपको समझना चाहिए कि संसदीय कार्य मंत्री सरकार की ओर से बोल सकते हैं परन्तु विषय की जानकारी के बिना नहीं।...*(व्यवधान)* इसे सत्यापित किए बिना भी नहीं।...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : आपको सुनने का धैर्य भी होना चाहिए।... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : मुलायम सिंह, जी, आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं तब क्या हत्याएं नहीं हुई थी, आज आप बड़े तरफदार बन रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : जिस घटना का उल्लेख यहां किया गया है उसकी जानकारी मैं गृह मंत्री जी को दे दूंगा और वे सदन को उसकी जानकारी दे देंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं हैं श्री शिवराज सिंह।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : महोदय मंत्री जी समझ नहीं पाए हैं। ...*(व्यवधान)* गुजरात के डी॰जी॰पी॰ ने ब्यान दिया है।

अध्यक्ष महोदय : वे उत्तर दे चुके हैं। वे इस मामले को गृह मंत्री जी की जानकारी में लाएंगे। वे यह स्पष्ट कर चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : महोदय यह ठीक नहीं है।...*(व्यवधान)* महोदय, आपने मेरी बात नहीं समझी है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री शिवराज सिंह जो कुछ कह रहे हैं उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हत्या होना दुखद है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस देश में निरीह आदिवासी प्रदूषित पानी पीने के कारण दवा और इलाज के अभाव में मध्य प्रदेश में दम तोड़ रहे हैं। छिंदवाड़ा जिले में सैंकड़ों लोग है जा और आंत्रशोथ के कारण मौत के मुंह में समा गये हैं। हर साल डेढ़ हजार आदिवासी हैजा और आंत्रशोथ से मरते हैं।

दिग्विजय सिंह जी की सरकार सो रही है। वह उनके इलाज और चिकित्सा की व्यवस्था नहीं कर रही है। वहां लगातार मौतों का

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री शिवराज सिंह चौहान]

सिलसिला जारी है। चूंकि मध्य प्रदेश की सरकार इस मामले में सोई है, इसलिए केन्द्र सरकार को स्पैशल योजना बनानी चाहिए ताकि आदिवासियों की मौतों को रोका जा सके। वहां हर साल डेढ़-दो हजार आदिवासियों की मौतें होती है।...(*व्यवधान*) यह आदिवासियों की मौत का सवाल है। आप इसमें राजनीति न लाएं।...(*व्यवधान*) इसे आप भी जानते हैं और जोगी जी भी जानते हैं। आप कम से कम आदिवासियों की मौत में राजनीति न करें। जोगी जी मेरी बात से सहमत हैं।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री भूरिया जी, मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दे दी हैं। आप अनावश्यक रूप से सदस्य के बोलने में व्यवधान क्यों डाल रहे हो?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए आप सभा की प्रक्रिया का अनुपालन तक नहीं करते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति दे दी है। आप कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, ये यहां भी राजनीति कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस और भाजपा का सवाल नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार इसे रोक पाने में अक्षम है, इसलिए मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस बारे में एक विशेष कार्य योजना बनाए। वहां हर साल आदिवासी मरते हैं। वहां चिकित्सकों का एक दल भेजा जाए, उन्हें दवाइयां आदि उपलब्ध करवाई जाएं ताकि हर साल निरही आदिवासियों की होने वाली मौतों को रोका जा सके। मृतक लोगों के परिवार वालों को मुआवजा देने की व्यवस्था भी की जाए। आजादी के 50 साल बाद उनके लिए कम से कम शुद्ध जल की व्यवस्था हो सके, ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिए।...(*व्यवधान*)

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेरा नाम लिया है, इसलिए मुझे इस पर कुछ बोलना है।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : अध्यक्ष महोदय...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैंने श्री बूटा सिंह का नाम पुकारा है।

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : उन्होंने हमारा नाम लिया है। अगर नाम लिया गया है तो हमें व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप 'शून्य काल' में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण क्यों देना चाहते हैं? प्रो॰ कुरियन, मेरा ख्याल है कि आप सभा की प्रणाली के बारे में जानते हैं।

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : चूंकि उन्होंने हमारा नाम लिया है... (*व्यवधान*) इसका एक नियम है। क्या आप इससे सहमत हैं?... (*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : आप 'शून्य काल' में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण कैसे दे सकते हैं?

श्री बूटा सिंह (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, पूरे देश को यह जानकर आघात पहुंचा...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह जी कृपा थोड़ा इन्तजार कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह, कृपया बैठ जाइए। कोई भी अध्यक्षपीठ के विनिर्णय को नहीं सुन रहा है।

श्री बूटा सिंह : मुझे ऐसा लगा कि आपने मेरा नाम पुकारा है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका नाम लिया था लेकिन श्री राम नाईक कुछ कहना चाहते हैं।

श्री राम नाईक : मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि श्री बूटा सिंह उसी मुद्दे को फिर से उठा रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि यह कोई अन्य मामला है। इसलिए मैं माननीय सदस्य द्वारा पहले उठाए गए मामले का उत्तर देना चाहता हूं।

पीने का पानी नागरिकों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हम मध्य प्रदेश सरकार से सम्पर्क करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी समस्या का हल निकले।

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह, अब आप बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : अध्यक्ष महोदय, सरकार आदिवासी लोगों की मौत को रोकने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। वहां सूखा पड़ा है।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे बैठने का अनुरोध करता हूं। आपका सदन में व्यवहार अच्छा नहीं है। आप प्रायः सभा की कार्यवाही में बाधा डालते रहते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। मैं नेताओं से भी अनुरोध करना चाहूंगा। उनका आचरण अच्छा नहीं है।

पूर्वाह्न 11.09 बजे

सदस्य द्वारा सभा पटल पर रखा गया पत्र

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह (जालौर) : महोदय, पूरा देश यह जानकर अचम्भित हो गया था कि पटना में तैनात केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी ने भारतीय सेना तक को बुला लिया था...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैंने श्री बूटा सिंह को बोलने के लिए कहा है।

श्री बूटा सिंह : इस घटना से संसद में भी काफी हंगामा हुआ था। तत्कालीन गृह मंत्री, श्री इन्द्रजीत गुप्त में सभा-पटल पर एक वक्तव्य रखा था और यह स्पष्ट किया था कि इस बात की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है और यह समिति इस घटना के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह, कल भी आपने इसका उल्लेख किया था। मैं यह जानना चाहता हूं। क्या आप रिपोर्ट को सभा पटल पर रख रहे हैं? क्या आप इसे प्रमाणित कर रहे हैं? क्या आप जिम्मेदारी ले रहे हैं?

श्री बूटा सिंह : महोदय, जी हां, मैं इसे प्रमाणित कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर आप रिपोर्ट के कुछ अंश उद्धृत कर सकते हैं। केवल सभा-पटल पर रखने के बजाय आपको रिपोर्ट के कुछ अंश उद्धृत करने होंगे। आपको रिपोर्ट के कुछ अंश पढ़ने होंगे।

श्री बूटा सिंह : यह श्री दोरई, आर•पी•एफ• के भूतपूर्व महानिदेशक की रिपोर्ट है, जिन्हें इस सारे मामले की जांच के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया गया था। इस रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि :

> "इस एक नाटकीय मामले ने दर्शाया कि केन्द्र सरकार के संगठन का एक अनियंत्रित हिस्सा किस प्रकार केन्द्र-राज्य सम्बन्धों को टकराव के रास्ते पर ले जा सकता है। यह स्पष्ट है कि राजनीतिक और जाति आधारित दोनों वातावरणिक दबाव केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कार्यकरण को प्रभावित कर रहे हैं और परिणामतः व्यावसायिक मर्यादा और नियम के प्रति निष्ठा में कमी आयी है।"

संबंधित अधिकारी ने सोच-समझकर कार्यवाहीं नहीं की थी और उसने बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए सेना को बुलाया था जोकि हमेशा न्यायालय के साथ सहयोग करते रहे हैं; उन्होंने स्वयं को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। उन्होंने कानून का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया है।

मैं इस रिपोर्ट को, जोकि मेरे द्वारा विधिवत् रूप से प्रमाणित की गई है, सभा पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास 'शून्य काल' में उठाए जाने वाले विषयों की 50 सूचनाएं है। मैं सभी माननीय सदस्यों को अवसर देना चाहता हूँ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जोस, आपका भी नाम सूची में है। मैं माननीय सदस्यों से अध्यक्षपीठ से सहयोग करने का अनुरोध करता हूं।

कुछ माननीय सदस्य : महोदय, हम हमेशा आपको सहयोग देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप हमेशा मेरे साथ सहयोग नहीं करते हैं। विशेष रूप से श्री भूरिया मुझे सहयोग नहीं देते हैं।

[हिन्दी]

श्री चेतन चौहान (अमरोहा) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली से कलकत्ता जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग-24 बहुत बिजी रहता है। यह राजमार्ग उत्तर भारत से पूर्वोत्तर भारत तक मिला हुआ है। इस राजमार्ग में केवल दो लेन हैं। फलस्वरूप आये दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। यह राजमार्ग कई बार तो 6-8 दिन बंद रहता है और हर दो चार दिनों में कई घंटे जाम रहता है। मुरादाबाद इस राजमार्ग पर स्थित है जहां से प्रतिवर्ष एक हजार करोड़ रुपये के माल का निर्यात विदेशों में होता है। कई विदेशी लोग खरीदारी के लिये आते जाते हैं। राजमार्ग बहुत व्यस्त रहने के कारण बहुत परेशानी होती है। ट्रैफिक जाम रहने के कारण दुर्घटनायें तो होती ही हैं साथ में समय की बरबादी भी होती हैं।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग-24 को दो लेन के स्थान पर चार लेन वाला राजमार्ग बनाया जाये जिससे आने-जाने वाले लोगों को परेशानी न हो। यह कार्य अत्यंत आवश्यक है।

[अनुवाद]

श्री एन• जनार्दन रेड्डी (बापतला) : महोदय, मैंने विद्युत मंत्री, श्री पी•आर• कुमारमंगलम के विरुद्ध निम्नलिखित विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी थी। इस वर्ष 27 जुलाई को, एक तारांकित प्रश्न संख्या 582 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में, जिसे आपने मुझे पूछने की अनुमति दी थी, मंत्री महोदय ने कहा था कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जनार्दन रेड्डी आपके द्वारा दी गई विद्युत मंत्री के विरुद्ध विशेषधिकार की सूचना मेरे विचाराधीन है।

श्री एन• जनार्दन रेड्डी : महोदय मुझे अपना प्रस्ताव पढ़ने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में मैंने मंत्री महोदय के विचार मंगाए हैं।

श्री अजीत जोगी : महोदय, कृपया उन्हें अपने प्रस्ताव के बारे में बोलने के लिए दो मिनट दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह मामला मेरे विचाराधीन है। हमें यहां पर एक नई प्रक्रिया नहीं बनानी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जनार्दन रेड्डी, मैं कह चुका हूं कि यह मेरे विचाराधीन है। कृपया इस बात का यही छोड़ दीजिए।

श्री पी॰ उपेन्द्र (विजयवाडा) : महोदय, कम से कम उन्हें विषय का तो उल्लेख करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका पहले ही उल्लेख किया है कि यह विद्युत मंत्री के विरुद्ध है।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, यह 'शून्य काल' है। आप 'शून्य काल' में व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठा सकते हैं? आप एक वरिष्ठ सांसद हैं।

श्री एन॰ जनार्दन रेड्डी : महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया था कि आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जनार्दन रेड्डी मैं आपके विशेषाधिकार प्रस्ताव का अध्ययन करूंगा। कृपया मुझे कुछ समय दीजिए।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी : महोदय, मैं विशेषाधिकार सूचना के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, आप 'शून्यकाल' के दौरान व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते हैं; कृपया इस बात को समझिए।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी : जब आपने विशेषाधिकार सूचना पर बोलने की सदस्य को अनुमति दी है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में अनुमति दे सकता हूं, अभी नहीं दे सकता हूं।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी : नियम 235 के अधीन, आप... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, मैं आपको बाद में अनुमति दे सकता हूं, अभी नहीं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार से एक अमानवीय घटना की निन्दा करने तथा हताहत हुए परिवारों को सहानुभूति देने के लिए एक प्रस्ताव लाये जाने का आग्रह करूंगा और यह भी आग्रह करूंगा कि इस घटना की निंदा की जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस सत्र का आज अन्तिम दिन होने के कारण माननीय वरिष्ठ सांसदों से कनिष्ठ सदस्यों को अवसर प्रदान करने का अनुरोध करता हूं। कनिष्ठ सदस्य अपने हाथ उठाएं न कि वरिष्ठ सदस्य।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, यदि आप सभी कनिष्ठ सदस्य हैं तो मैं आप सभी का नाम बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी कनिष्ठ सदस्य नहीं है।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी : इस सभा में मैं भी एक कनिष्ठ सदस्य हूं। कनिष्ठता और वरिष्ठता एक तुलनात्मक शब्द है...*(व्यवधान)* आप मुझसे कनिष्ठ है और मैं इन्द्रजीत गुप्त जी से...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, यदि माननीय सदस्यगण यह कहते हैं कि आप एक कनिष्ठ सदस्य हैं तो मैं आपको भी अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन (मवेलीकारा) : अध्यक्ष महोदय, आप सबसे वरिष्ठ सदस्य है, बाकी सब आपसे कनिष्ठ हैं।

अध्यक्ष महोदय : व्यक्तिगत रूप से कहूं तो मैं बहुत ही कनिष्ठ सदस्य हूं।

[हिन्दी]

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : सर, नवम्बर, 1983 की बात है जब इस देश में एक सम्प्रदाय विशेष का कत्लेआम हुआ। जिसने भी इस अमानवीय घटना को सुना और देखा, हर जिंदादिल तड़पने लगा था और जिस प्रकार से बहू-बेटियां की इज्जत लूटी गई, नन्हें बच्चों और औरतों को गले में टायर डालकर जलाया गया, दिल्ली, कानपुर तथा देश की अन्य सड़कों पर एक सम्प्रदाय का कत्लेआम किया गया। जिन लोगों के हृदय में इंसानियत की आत्मा थी, वे लोग बोले कि यह बहुत ही निन्दनीय घटना है और इसकी जितनी भी निन्दा की जाए, कम हैं मुझे इस बात का दुख है कि जो कत्लेआम हुआ था और इंसानियत के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, उसमें शासन और प्रशासन की शह थी। जब इंसानी आत्मा वाले लोग इस घटना की निन्दा कर रहे थे, उस समय शासन में बैठ हुए कुछ लोग इस घटना का प्रतिकार करने के लिए कह रहे थे। जब बड़ा दरख्त गिरता है तो धरती कांपती है। इस घटना को निःसंदेह 13 वर्ष बीत गये हैं, मगर इसकी टीस, इसकी पीड़ा हमारे हृदय में आज भी है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस अमानवीय घटना की निन्दा करने के लिए इस हाउस में प्रस्ताव लाया जाए तथा हताहत परिवारों के साथ सहानुभूति जतलाने के लिए भी प्रस्ताव लाया जाए। जिनके घरवाले नहीं रहे, जिनके पास न खाने के लिए कुछ रहा है और न रहने के लिए मकान रहा है,

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं। यह शून्य काल हैं आप दो मिनट से ज्यादा समय नहीं ले सकते

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा, यह वाद-विवाद नहीं है। यह शून्य काल है। यह सब क्या है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

[हिन्दी]

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : स्पीकर साहब, मैं एक मिनट और लूंगा। ऐसे लोगों को कम्पेनसेशन दिलाने के लिए माननीय अदालतों ने यह फैसले दिये हैं कि उनको कम्पेनसेशन के तौर पर तीन-तीन लाख रुपये दिये जाएं। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि अब तक उनको कम्पेनसेशन नहीं दिया गया हैं मैं समझता हूं कि इस हाउस में एक भी मैम्बर ऐसा नहीं होगा जो इस अमानवीय घटना की निन्दा न करे। इसलिए मेरा आग्रह है कि भारत सरकार की ओर से इस घटना की निन्दा करने का एक प्रस्ताव आये और यहां से कंडोलेन्स मैसेज जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आज हिरोशिमा-नागासाकी डे है। हमें 1999 के साल को ह्यूमैन राइट्स डे, मनुष्य के अधिकार के साल के तौर पर मनाना चाहिए। क्योंकि तीन सौ साल पहले इस देश में खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। जिसके बारे में किसी राइटर ने लिखा है "न कहूं अब की न कहूं तब की, अगर न होते गुरू गोविन्द सिंह तो सुन्नत होती सबकी।"

महोदय, इस देश में तीन सौ साल पहले खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, उसका भी दिन मनाया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि यह प्रस्ताव भी आना चाहिए कि इस साल को सरकार मनुष्य के अधिकारों के रूप में मनायेगी। अत: मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि उपरोक्त विषयों पर दो प्रस्ताव सरकार की ओर से आने चाहिए।

श्री अजीत जोगी : अध्यक्ष महोदय, प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा जी ने जो मामला उठाया है, हम उसका समर्थन करते हैं।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा जी ने जिन दो प्रस्तावों का उल्लेख किया है वे बहुत महत्वपूर्ण है और उनके बारे में आपकी ओर से एक प्रस्ताव आना चाहिए जिसे सभी लोगों को सर्वसम्मति से स्वीकार करना चाहिए।

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा जी द्वारा प्रस्तुत किए गए दोनों प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण और अच्छे हैं। इन दोनों के ऊपर सबके साथ विचार-विनिमय करके, आपके नेतृत्व में निर्णय हो जाए, तो अच्छा रहेगा।

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : धन्यवाद सर।

[अनुवाद]

श्री के॰पी॰ मुनूसामी (कृष्णा गिरि) : महोदय, तमिलनाडु के कई जिलों में छात्रों का भोजन विषाक्त हो जाने के कारण गम्भीर परिस्थिति बनी हुई है। धर्मपुरी जिले में मध्याह्न भोजन योजना के तहत बच्चों को सड़े हुए अण्डों की आपूर्ति किए जाने के कारण 31.07.1998 को 1012 बच्चों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। केवल अम्मनी मल्लापुरम में ही 312 बच्चे इससे प्रभावित हुए। यद्यपि 291 बच्चों को चिकित्सकीय सहायता के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई परन्तु 21 बच्चों को गम्भीर हालत में भर्ती किया गया। पुरानी धर्मपुरी में 500 बच्चे प्रभावित हुए, जिनमें से 50 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोननगी नायना हल्ली में 200 बच्चे प्रभावित हुए, जिनमें से 25 को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

कुछ बच्चों के हालत नाजुक होने की सूचना है क्योंकि मध्याह्न भोजन योजना के तहत आपूर्ति किए गए अण्डे सड़े हुए थे। ये ऐसा पहला मौका नहीं है जब ऐसी घटना घटी है। दो सप्ताह पहले भी तमिलनाडु के कई जिलों में सड़े अण्डों की आपूर्ति के कारण हजारों बच्चे प्रभावित हुए थे।

तमिलनाडु सरकार ने 28 लाख सड़े हुए अण्डों को नष्ट करने का दावा किया है। सरकार ने टी॰ए॰पी॰सी॰ओ॰ एक सरकारी संगठन से अण्डों की आपूर्ति के लिए कहा था। मैं यह बात रिकार्ड में लाना चाहता हूं कि धर्मपुरी जिले में टी॰ए॰पी॰सी॰ओ॰ द्वारा सड़े हुए अण्डों की आपूर्ति की गई थी। हमारे माननीय नेता डा॰ पुराची थालेवी ने कहा कि डी॰एम॰के॰ सरकार मध्याह्न भोजन योजना को बन्द करने का प्रयास कर रही है। इसीलिए वह बच्चों को सड़े हुए अण्डों के माध्यम से आतंकित करने का प्रयास कर रही है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार चिकित्सा विशेषज्ञों वाले एक केन्द्रीय दल को स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजे और उपचारात्मक उपायों को सुझाए।

डा॰ बी॰एन॰ रेड्डी (मिरयालगुडा) : महोदय, जो बात मैं उठाने जा रहा हूं वह फलकनुमा एक्सप्रेस से सम्बन्धित है जोकि सिकन्दराबाद से निकलती है और हावड़ा जाती है। सभा में रेल मंत्री उपस्थिति है। महोदय यह नलगोण्डा से होकर और मेरे निर्वाचन क्षेत्र मिरयालगुडा से होकर जाती है। ये तकनीकी कारणों से कुछ मिनट वहां रूकती है। हम पिछले डेढ़ साल से रेल मंत्रालय से यह कहते आ रहे हैं कि इसके और दो मिनट के लिए नियमित रूप से रूकने की व्यवस्था की जाए और लोगों को इसमें चढ़ने का अवसर दें। परन्तु ऐसा अभी तक नहीं किया गया है।

मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे मेरे अनुरोध को स्वीकार करें।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया (जूनागढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे हिन्दुस्तान में सैनिक स्कूल है। उनमें छात्रों को बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन स्कूलों में बालकों के मुकाबले बालिकाओं को बहुत कम संख्या में प्रवेश दिया जाता है जिससे देश की होनहार बालिकाएं अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाती है। अत: मैं

[श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया]

भारत सरकार से आग्रह करना चाहती हूं कि देश भर के सभी राज्यों में स्थित सैनिक स्कूलों में भर्ती होने वाली बालिकाओं की संख्या पर्याप्त रूप से बढ़ाई जाए।

अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा निवेदन यह है कि देश के हर राज्य में और विशेष कर गुजरात में एक बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना की जाए। इसके लिए हमारे गुजरात के शिक्षा मंत्री महोदय ने अभी हाल ही में मांग की है कि गुजरात में एक बालिका सैनिक विद्यालय खोला जाए। वहां महिला सैनिक स्कूल की स्थापना की जाए ताकि विशेष रूप से बालिकाओं/महिलाओं को उसमें प्रवेश मिल सके और अच्छी शिक्षा मिल सके। हमारे देश में बालिका और महिलाओं को जो शिक्षा मिलती है, वह बहुत कम है। इसलिए मेरा पुनः भारत सरकार और रक्षा मंत्री महोदय से निवेदन है कि गुजरात में एक महिला/बालिका सैनिक स्कूल अवश्य खोला जाए।

श्रीमती मीरा कुमार (करोल बाग) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया जी ने बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना करने का जो आग्रह है किया है उसका मैं समर्थन करती हूं और भारत सरकार से अनुरोध करती हूं कि बालिका सैनिक स्कूलों की स्थापना पूरे देश में की जाए।

[अनुवाद]

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ (बारामूला) : मैं पूरे सदन से अनुरोध करूंगा कि कृपया वे एक दो मिनट के लिए मेरी बात सुनें। जम्मू और कश्मीर के बारे में कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जो मैं एक मामला उठा रहा हूं उसमें माननीय दृष्टिकोण अन्तर्निहित है।

मेरा कहना है कि डोडा जिला में काफी नरसंहार हो रहा है और चम्बा की सीमा पर भी निर्दोष लोग मारे गए थे।

आज मैं विभिन्न दृष्टिकोण से इसे उठा रहा हूं। श्री राम जेठमलानी प्रतिभाशाली व्यक्ति है, सत्ता पक्ष में विद्यमान हैं। मैं चाहता हूं कि वे आज भी अपनी अनुक्रिया व्यक्त करे जैसाकि उन्होंने कल किया था। बात यह है कि यह ऐसा मामला नहीं है जिला सम्बल केवल बी॰जे॰पी॰ के साथ है। यह एक राष्ट्रीय मामला है। महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा ओर उन्हें याद दिलाऊंगा कि उन्हें उसी परम्परा का निर्वहन करना चाहिए जो पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा अपनायी गयी थी...(*व्यवधान*) कृपया काश्मीर की त्रासही के बारे में थोड़ी देर मेरी बात सुने।

एक दिन की बात है जब तत्काली न प्रधानमंत्री ने इस संबंध में श्री अटल बिहारी वाजपेयी से बातचीत की थी क्योंकि उन्हें लगा कि उनमें आवश्यक प्रतिभा, मानसिक आत्म विश्वास और इस मामले के प्रति सजगता विद्यमान है इसलिए उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि वे वियना और जेनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की बैठक में इस राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करें। डा॰ अब्दुला, श्री अटल बिहारी के साथ गए थे और जिस प्रकार से श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र में इस राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया उससे न केवल मुझे बल्कि इस देश के करोड़ों लोगों को भी आत्म सन्तोष हुआ। आज मैंने एक प्रश्न उठाया है हम श्री जसवन्त सिंह के माध्यम से अमरीका के समक्ष अपना पक्ष स्पष्ट कर रहे हैं। वे समर्थ और प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। उन्हें प्रधान मंत्री का विश्वास प्राप्त है मुझे इसमें कोई शिकायत नहीं है लेकिन इस देश में भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर, श्री आई॰के॰ गुजराल, डा॰ मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी में कई अन्य प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं हम यूरोपीय देशों से सम्पर्क क्यों नहीं करते और उन्हें पड़ोसी देश की शरारत के बारे में क्यों नहीं बताते कि उक्त देश को जैसा वह कश्मीर में कर रहा है वैसा क्यों करने दिया जा रहा है। हम पूरे विश्व को इस मामले के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। इसलिए मैं कहूंगा कि यूरोप महत्वपूर्ण है। जापान महत्वपूर्ण है और 51 मुस्लिम देश महत्वपूर्ण हैं। वे सभी हमारे दुश्मन नहीं है।

अतः मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री अथवा गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि सरकार पड़ौसी देश के कारनामों को जो कुछ वह कश्मीर में कर रहा है, उजागर करने हेतु अपना पक्ष विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए इस सभा का विश्वास हासिल करे क्योंकि इसमें निर्दोष लोगों को ही अपना जीवन गंवाना पड़ रहा है। प्राणकोट में कल क्या हुआ है? 18 लोगों की हत्या कर दी गई है।

अतः मैं आपके माध्यम से श्री राम जेठमलानी जी से अनुरोध करूंगा कि वे कुछ शब्द कहें। इस समय एकमात्र कैबिनेट मंत्री वे ही यहां बैठे हैं और उन्हें मेरे अनुरोध पर प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि यह सरकार पूरे विश्व को बताए कि हत्याएं बन्द की जानी चाहिए। हमें पाकिस्तान के साथ मित्रता बढ़ानी चाहिए। कोई भी इसके विरूद्ध नहीं है। वहां जो घटित हो रहा है उसे रोका नहीं जा सकता है।

श्री ए॰सी॰ जोस : पूरी सभा इसका समर्थन करती है।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ : स्थिति पर नजर रखने के लिए सेना वहां हैं लेकिन वहां माननीय दृष्टिकोण भी आ जाता है। सेना सभी मोर्चों पर तो नहीं लड़ सकती है कश्मीर में इस स्थिति के लिए कई अन्य कारक भी उत्तरदायी है।

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : हम प्रो॰ सैफुद्दीन सोज द्वारा दिये गए सुझाव से पूरी तरह सहमत है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे उत्तर दे क्योंकि लगभग पूरी सभा जो सैफुद्दीन सोज के विचार से सहमत है और उनका समर्थन करती है।

[हिन्दी]

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : स्पीकर साहब, सोज साहब ने अभी जो सलाह दी है जो नसीहत हाऊस में पेश की है, मैं उक्त वजन तसलीम करता हूं।

[अनुवाद]

मैं वायदा करता हूं कि मैं उनके द्वारा व्यक्त किये गए जिन्हें इस माननीय सभा का समर्थन प्राप्त है विचारों को माननीय प्रधानमंत्री के

साथ-साथ माननीय गृह मंत्री तक पहुंचा दूंगा और मैं आशा करता हूं कि वे यहां आएंगे और उचित समय पर इस सदन और प्रो॰ सैफुद्दीन सोज को अपने उत्तर से संतुष्ट करेंगे।

श्री वी॰एम॰ सुधीरन (अलेप्पी) : महोदय, मैं अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं जो हमारे देश में विद्युत परियोजनाओं के विकास से सम्बन्धित है यह बताया गया है कि भारत सरकार ने केरल में कायमकुलम सहित तीन विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु 4,800 करोड़ रु॰ के विदेशी ऋण को प्राप्त करने के एन टी पी सी के प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी है।

एन॰टी॰पी॰सी ने भारत के परमाणु परीक्षणों के कारण विश्व बैंक से नए ऋण प्राप्त करने के निराशाजनक अवसर के कारण यह पहल की थी। लेकिन सरकार ने एनटीपीसी को यह सलाह देते हुए इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया कि वे नए ऋण हेतु विश्व बैंक के साथ चर्चा जारी रखें।

इससे इस विद्युत परियोजनाओं के विकास में विलम्ब होना लाजमी है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह विद्यमान परिस्थितियों पर पुनः विचार करे और एनटीपीसी को किन्हीं अन्यत्र स्रोतों से नए ऋण प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करे। महोदय, यह मामला अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मैं माननीय संसदीय कार्य मन्त्री से, जो यहां उपस्थित है, अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें और इस बात को प्रधान मंत्री और विद्युत मंत्री तक पहुंचा दे।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (घैल) : अध्यक्ष महोदय, 1/2 अगस्त की रात्रि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर नगर, शाहपुर थाना ग्राम मंधेड़ा में शीला और उसकी बहन रेखा, दोनों दलित महिलाओं को निर्वस्त्र करके रात 11.00 बजे से 3.00 बजे तक घुमाया गया।...*(व्यवधान)* उन दोनों बहनों की हाथों की उंगलियां तोड़ दी गई। उनका इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं हुआ इसलिए उन्होंने प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाया। उनके पति सी॰आई॰एस॰एफ॰, गाजियाबाद में नौकरी करते हैं। उनका केवल इतना कसूर था कि वे नया मकान बनाकर रह रही थी, उनका जीवन स्तर बहुत अच्छा था। बड़े लोगों से यह देखा नहीं गया। जब वे दोनों महिलाएं अपनी गुहार के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास गई तो उनकी रिपोर्ट थाने में नहीं लिखी गई और उन्हें अपमानित करके भगा दिया गया। 25 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट नामजद की गई है।

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के वजीरगंज, गोलागंज लखनऊ में हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के एक डिस्ट्रीब्यूटर से तीन लाख रुपये छीन लिए गए। आज दिल्ली के राजौरी गार्डन में पत्नी और बेटी की हत्या की गई है। जी॰टी॰बी॰ के युगल प्रेमियों की दो लाशें बरामद हुई हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिल्कुल आंतक मचा हुआ है, चारों तरफ हाहाकार है। भयमुक्त समाज का नारा देने वाली यह सरकार बिल्कुल बेकाबू है। चारों तरफ लूट और हत्या की घटनाएं हो रही हैं खासकर दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के लोगों पर जुल्म ढहाये जा रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि इस बात को गंभीरता से लेते हुए इस पर आवश्यक कार्यवाही करें। माननीय मंत्री महोदय इसका जवाब दें। यह बड़ा अहम मामला है कि दो दलित महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया। यह समाज के लिए कलंक है। देश की आजादी को पचास वर्ष हो चुके हैं लेकिन आज भी लोगों की ऐसी मानसिकता है।...*(व्यवधान)* यह सरकार करवा रही है, यह मेरा आरोप है।...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के मामलों पर परसों 11 घंटे तक डिबेट हुई। आज शैलेन्द्र कुमार जी ने यह मुद्दा इसलिए उठाया है क्योंकि हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि अत्याचार के मामले में परसों मंत्री जी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। आपको याद होगा कि हमने बी॰ए॰सी॰ में मेन मुद्दा अत्याचार का रखा था। अत्याचार का मामला होम मिनिस्ट्री से संबंधित है लेकिन जवाब दे वैल्फेयर मिनिस्टर, वह भी स्टेट मिनिस्टर। नतीजा यह हुआ कि सभी माननीय सदस्य अनसैटिसफाइड हैं उत्तर प्रदेश में ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी इस तरह की घटनाएं घट रही है। अभी हम मेरठ जा रहे हैं। वहां सुरेन्द्र प्रसाद जाटव को ले जाकर गोली से मार दिया गया। हम यहां पर दो बजे रहा चाहते थे लेकिन नहीं रहना पा रहे हैं क्योंकि हमें वहां जाना है। पूरे देश में अब सुनियोजित तरीके से ऐसा होना शुरू हो गया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिन-जिन मुद्दों को माननीय सदस्यों ने 11 घंटे की डिबेट में उठाया, मंत्री जी को हाउस में ऐश्योर करना चाहिए कि उन सब मुद्दों पर कार्यवाही करके सदन को सूचित करने का काम करेंगे अन्यथा हर रोज फिर इस तरह का मामला उठता रहेगा और सदन में हमको बार-बार आपके गतिरोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए होम मिनस्टिर को आप कनवे कीजिए और वे इस बारे में जवाब दें। जो मामला इन्होंने उठाया है, यह बहुत ही शर्मनाक घटना है। दिल्ली से गुड्डी देवी की आंख फोड़ने की घटना का मामला उठाया गया था।...*(व्यवधान)* हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। मेरी कौन्सटीटूऐंसी हाजीपुर में भी हुआ है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती मीरा कुमार : अध्यक्ष महोदय, राजधानी में इतनी शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं। हम लोगों को तकलीफ है इसलिए बोल रहे हैं। राजधानी में इतनी शर्मनाक घटना हुई हैं, हम बहुत तकलीफ से कह रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, मैडम अपना-अपना स्थान गृहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। यह क्या है? यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, मैं हमेशा का तरीका छोड़कर जहां सम्भव है, वहां रैस्पोंड इसलिए कर रह हूं कि आज सैशन का अन्तिम दिन है और इसलिए यदि कोई सवाल उठाया गया है तो मैं रैस्पोंड करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इतना कह सकता हूं कि जो सवाल राम विलास जी और आपने भी जो मामला उठाया है, अपने भाषणों में जिन्होंने स्पेसिफिक उदाहरण दिये हैं, वे सामान्यता रिकार्ड पर नोट भी हो गये होंगे, ऐसे सभी केसों के बारे में जो यह मांग की गई है कि उनका उत्तर गृह मंत्री के जरिये सदस्यों को प्राप्त होने चाहिए, उसे मैं गृह मंत्री जी के पास जरूर पहुंचा दूंगा, इतना मैं आश्वासन दे दूं।

डा॰ महादीपक सिंह शाक्य (एटा) : अध्यक्ष जी, मैं एक बेहद लोक महत्व के विषय को आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। ...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पीछे बैठने वाले हैं। पीछे बैठने वालों के लिए अन्य संशोधन है।

[हिन्दी]

डा॰ महादीपक सिंह शाक्य : अध्यक्ष जी, इसी हाउस में 13.7.1988 को एक संकल्प लाया गया था ओर उसमें यह कहा गया था कि पैट्रोल और डीजल पर लगने वाली ड्यूटी, चाहे वह सैण्ट्रल एक्साइज ड्यूटी हो या कस्टम हो, उससे जो पैसा प्राप्त होगा, उसका पांच फीसदी सड़क निधि में जायेगा और उसमें से 3109 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सरकार देगी। ऐसा यहां एक संकल्प पारित हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार ने सन् 1988 से लेकर अभी तक सैंकड़ों पत्र यहां भेजे, लेकिन अभी तक केन्द्रीय सरकार ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। यह आज की सरकार की बात नहीं है, कई सरकारें गुजर गई, लेकिन सन् 1988 का मामला आज तक विचारधीन बन हुआ है। अभी एक पत्र जो उत्तर प्रदेश से आया, इन्होंने 1.9.1997 को उसका जवाब दिया है। जवाब में यह लिखा है कि माामला अभी अंडर कंसीडेशन है, विचारधीन है।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सन् 1988 का मामला केन्द्रीय सरकार में अभी विचाराधीन है, जिसमें 3109 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार को देना था, उसका अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार उसका तुरन्त निर्णय करे और 3109 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को दे ताकि वहां अधूरे पड़े हुए कार्य ठीक ढंग से चले और उत्तर प्रदेश का विकास हो।

आपने टाइम दिया, धन्यवाद।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : आ रहा हूं। मैं सब को बुलाउंगा। आज सब को मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

डा॰ शकील अहमद (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक नहीं है। मेरा नम्बर लिस्ट में दूसरा था, मेरा नम्बर कैसे वेव हुआ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका नाम भी पुकाऊंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा॰ शकील अहमद : मेरा नम्बर दूसरा था, मेरा यह कहना है कि मेरा नम्बर कट ' हा है।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं आपको भी बोलने का मौका दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री आनन्द मोहन (शिवहर) : आज दस दिन से मैं इस बात को रेज़ कर रहा हूं।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं आपको भी बोलने का मौका दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव) : माननीय अध्यक्ष महोदय, गुजरात में कानून और व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। मैं उनका नाम भी पुकारूंगा। यह क्या है? आपको उनके नाम की सिफारिश करने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द मोहन, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं आपका नाम भी पुकारूंगा। यह क्या है? अध्यक्षपीठ की अनुमति के बिना आप इस प्रकार कैसे बोल सकते हैं?

[हिन्दी]

श्री मोतीलाल वोरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, गुजरात में कानून और व्यवस्था की स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है। गुजरात में

प्रतिदिन 45 के करीब ऐसे मामले ही रहे हैं जिनमें बलात्कार, डाकाजनी और लूटपाट प्रमुख है। गुजरात के डी॰जी॰, श्री सी॰पी॰ सिंह ने कल एक बयान देकर कहा है कि गुजरात की स्थिति बदतर हो रही है, इसके लिए विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के लोग जिम्मेदार हैं। इसकी पुष्टि वहां के मुख्य मंत्री श्री केशु भाई पटेल ने भी की है। उनका कहना है कि गुजरात की स्थिति में इस प्रकार की गिरावट पिछले पांच महीने के अन्दर आई है। इससे गुजरात के लोगों में, विशेषकर अल्पसंख्यकों के मन में...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री केशुभाई पटेल ने डी॰जी॰पी॰ के विचारों की पुष्टि की है। मैं पूरी घटना को नहीं पढ़ना चाहता हूं। अतः, महोदय सम्बद्ध मंत्री से कहिए कि वे इस मामले की छानबीन करे और गुजरात सरकार से रिपोर्ट मगाएं ताकि हमें इस तथ्य के बारे में पता चल सके।

श्री ए॰सी॰ जोस : महोदय, मैंने भी दो सप्ताह पहले अल्पसंख्यकों पर हो रहे अपराधों से सम्बन्धित इस मामले को उठाया था और माननीय गृह मंत्री ने कहा था कि वे इसकी जांच करेंगे। अब गुजरात पुलिस के महानिदेशक, पत्रकार सम्मेलन आयोजित करने प्रेस में चले गए है जहां उन्होंने कहा कि गुजरात में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। यह विश्व हिन्दू परिषद के कारण हैं. ..(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री पी॰ शंकरन

(व्यवधान)

श्री ए॰सी॰ जोस : अब श्री वोरा ने इसे उठाया हैं। यह अत्यन्त गम्भीर मामला है, महोदय...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री पी॰ शंकरन को बुलाया हैं।

(व्यवधान)

श्री ए॰सी॰ जोस : महोदय, मैं श्री वोरा का समर्थन कर रहा हूं। यह अत्यन्त गंभीर मामला है और मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इसकी जांच करें।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, मोती लाल वोरा जी ने जिस प्रकरण को उठाया है, वह एक गम्भीर सवाल है। पिछले 15 दिनों से दिल्ली के सारे प्रमुख अखबारों में यह बात छप रही है कि वहां मुसलमानों के गांव के गांव खाली हो रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं...(*व्यवधान*) वहां के पुलिस अधीक्षक ने बयान दिया है कि विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का इसमें हाथ है। मेरी जानकारी में उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि आर॰एस॰एस॰ के लोग मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं और मुसलमानों के गांव के गांव खाली हो रहे हैं। पिछले 15 दिनों से 'हिन्दुस्तान टाइम्स', 'इंडियन एक्सप्रेस' और टी॰वी॰ के 'आजतक' में इस बारे में फिल्म दिखाई गई कि किस तरह वहां के मुसलमान पलायन कर रहे हैं। वहां अलग बस्तियां बन रही हैं। हिन्दू और मुसलमानों के बीच गुजरात की सरकार भेदभाव पैदा कर रही है। भारत में एकता रहनी चाहिए। यह गम्भीर चिंता की बात है। आज की तारीख में मेरी जानकारी में उस पुलिस अधीक्षक को हटाने की तैयारी गुजरात सरकार कर रही है। मैं इस बात को केन्द्र सरकार के ध्यान में लाते हुए कहना चाहता हूं कि मुसलमानों के ऊपर हो रहे हमलों के लिए वह पहल करे और हस्तक्षेप करे तथा गुजरात की साम्प्रदायिक सरकार को बर्खास्त करे।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पी॰ शंकरन

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो श्री पी॰ शंकरन कहेंगे उसके सिवाय कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री पी॰ शंकरन (कानीकट) : महोदय मैं आपका ध्यान भारत में मत्स्यन के लिए एक अलग मंत्रालय की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि मत्स्यन के क्षेत्र में विश्व परिदृश्य में भारत में समुद्रिक और अन्तर्देशीय दोनों ही क्षेत्रों में विपुल संसाधन हैं। हमारे देश की तटरेखा 8060 कि॰मी॰ लम्बी है जो दस राज्यों और तीन संघ राज्य क्षेत्रों को छूती है तथा दो मिलियन वर्ग किमी॰ से अधिक क्षेत्र में फैला अनन्य आर्थिक क्षेत्र हैं।

बहुत प्राचीन काल से मत्स्यन समुद्र तटीय क्षेत्र और नदियों के तटों पर रहने वाले अनेक समुदायों का व्यवसाय है। मछुआरा समुदाय के लगभग एक करोड़ लोग परम्परागत मत्स्यन कार्यकलापों और मोटरों और मैकेनिकल नौकाओं आदि से मछली पालन व्यवसाय में लगे हैं। हमारे यहां ताजे पानी में मछली पालन की व्यापक संभावनाएं हैं और खारे पानी में भी मछली पालन की अच्छी गुंजाइश है।

वर्ष, 1994-95 के दौरान भारत ने मत्स्यन क्षेत्र में निर्यात के माध्यम से 3600 करोड़ रुपये अर्जित किए। चालू वित्तीय वर्ष में पहले ही निर्यात में गिरावट आई है। जो लगभग 300 करोड़ रुपये की है। अर्थात् यह 1994-95 में निर्यात से अर्जित राशि का दस प्रतिशत है। विगत बीस वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है।

मछली पालन में भारत का विश्व में सातवां स्थान है और अन्तर्देशीय मछली पालन में दूसरा स्थान है। गत कुछ दशकों में मछली पालन क्षेत्र ने अपना अलग महत्व बना लिया है। परिवर्तनों के मद्दे नजर जापान, पेरू, नार्वे, फिलीपीन्स आदि अनेक विकसित और विकासशील देशों में मत्स्यन के एक अलग से पूरे मंत्रालय हैं।

दुर्भाग्यवश भारत में मत्स्य विकास कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण वर्तमान में कृषि मंत्रालय के एक डिवीजन द्वारा किया जाता है।

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री पी॰ शंकरन]

मत्स्यन क्षेत्र को अधिक जिम्मेदारी और प्राधिकार दिए जाने चाहिए। इसलिए देश में मत्स्यन कार्यक्रमों के बेहतर प्रबंधन के लिए मत्स्यन के लिए दो अलग स्कन्धों—सामुद्रिक मत्स्यन स्कन्ध और अन्तर्देशीय मत्स्यन स्कन्ध के साथ एक अलग मंत्रालय बनाया जाए।

यह सुझाव भी दिया गया है कि भारतीय मत्स्यन अनुसंधान परिषद्, राष्ट्रीय मत्स्यन निगम और अन्तर्देशीय मत्स्यन विकास निगम की स्थापना भी की जाए, आशा की जाती है कि इस महान देश के हित में सरकार मत्स्यन क्षेत्र को आवश्यक प्रोत्साहन देने के लिए मेरे सुझाव पर विचार करेगी।

श्री राम नाईक : महोदय माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। जब मैं उस पक्ष में था तो मैं भी इस मुद्दे का समर्थन करता था। हमारी सरकार ने अपने राष्ट्रीय एजेंडा में भी मत्स्यन क्षेत्र को पर्याप्त महत्व देने का निर्णय किया है क्योंकि इस क्षेत्र का योगदान अद्वितीय है। यह रोजगोरान्मुखी क्षेत्र है। इस क्षेत्र से भोजन मिलता है और विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जाती है। मैं, सदस्यों की भावनाओं और इस मुद्दे पर संपूर्ण सभा के समर्थन से प्रधानमंत्री को अवगत कराऊंगा कि वे उनकी मांग पर गौर करें।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं जम्मू कश्मीर का एक विशेष मुद्दा आपके द्वारा सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। श्री सोज़ जी ने एक मसला उठाया है, मैं पूरी तरह से उनके साथ हूं। परन्तु इतना मैं जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि जम्मू-कश्मीर के अंदर जो उग्रवाद से पीड़ित लोग हैं, उनकी तरफ भी इनकी सरकार ध्यान दें क्योंकि सरकार द्वारा बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह लाजिमी चीज है कि जो लोग वहां से उजड़ रहे हैं, उनको राशन दिया जा रहा है। यह लाजिमी चीज है कि जो लोग वहां से उजड़ रहे हैं, उनको राशन दिया जाए, उनके ठहरने की व्यवस्था की जाए लेकिन सरकार उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है।

जो मुद्दा मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, वह यह है कि 1947 में जिस समय देश का विभाजन हुआ, उस समय वेस्ट पाकिस्तान से एक लाख के करीब हरिजन लोग जम्मू-कश्मीर के अंदर आकर बस गये थे। वे सारे देश के अंदर आकर बसे थे और सैटल हो गए लेकिन हमारा प्रदेश एक ऐसा अभागा प्रदेश है कि 1947 से आए हुए लोगों को आज तक स्टेट असेम्बली में वोट डालने का अधिकार नहीं है। उनके बच्चे कॉलेज में भी नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि वह स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। आज स्वतंत्रता के पचास वर्ष बीत जाने के बाद भी हरिजनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो इस प्रदेश के अंदर बसा है, उनको किसी भी तरह का अधिकार नहीं दिया गया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री चमन लाल गुप्त संवैधानिक दृष्टि से वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां हैं हरिजन नहीं। इसलिए आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शब्दों का प्रयोग करें न कि हरिजन का।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : मेरी बात को ठीक करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद वे सब बंधु ऐसे हैं जिनको वहां वोट डालने का अधिकर नहीं मिल रहा है। उनके बच्चे मैट्रिक तक पढ़ लेते हैं लेकिन कॉलेज नहीं जा सकते हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि वहां जो रिफ्यूजीज़ हैं उन सबको भी वैसे अधिकार मिलने चाहिए, जिस तरह बाकी देश के अंदर सबको अधिकार हैं। वहां कुछ रिफ्यूजी 1965 में बने, फिर 1971 में बने और 1947 के पहले से थे ही। जितने भी वहां रिफ्यूजीज हैं उन सबका मसला भारत सरकार तुरंत सुलझाए, हल करे। जम्मू-कश्मीर के नागरिक अपने को पूरी तरह भारत के नागरिक समझें, इस तरह की व्यवस्था सरकार करे, यह मेरा कहना है।

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय मैं उनका समर्थन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह हमें कई सदस्यों को बोलने का मौका देना है और पहले ही 12.00 बज गए हैं। कृपया सहयोग दें।

श्री बूटा सिंह : महोदय मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं केवल एक बात उनके समर्थन में कहना चाहता हूं।

महोदय, पाकिस्तान से यहां आए हजारों परिवारों को यहां नागरिकता प्राप्त नहीं है। वे न तो जम्मू-कश्मीर के नागरिक हैं न भारत के नागरिक हैं। उन्हें अपनी आजीविका से वंचित किया गया है। इसलिए मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दे का समर्थन करता हूं और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उन्हें जम्मू-कश्मीर की नागरिकता दी जाए जहां पर वे पचास वर्षों से रह रहे हैं।

[हिन्दी]

डा॰ शकील अहमद (मधुबनी) : महोदय, मैं आपका ध्यान बिहार राज्य के मधुबनी लोक सभा क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। पिछले काफी दिनों से यह क्षेत्र बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के प्रखंड खजौली, जयनगर, हरलाखी, बासोपट्टी, मधवापुर, बेनीपट्टी, मधुबनी, राजनगर, बिसफी और दरभंगा जिले के जाले एवं सिंधवाड़ा प्रखंड बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित हैं।

महोदय, वहां सारा पानी नेपाल से आई हुई नदियों के द्वारा आता है। नेपाल के लोग सिंचाई के लिए तथा अन्य कार्यों के लिए पानी

रोक कर रखते हैं और जब उनके यहां पानी ज्यादा होने लगता है तो एकाकए सारा पानी खोल देते हैं, जिससे फ्लड की तरह सारा पानी आकर किसानों की खेती, उनके घर, अनाज तथा सारी फसलों को बर्बाद कर देता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि नेपाल से जो नदियां भारत में आकर उत्तर-बिहार के मधुबनी लोक सभा क्षेत्र के गांवों में तबाही मचाती हैं, उसके लिए केन्द्र सरकार सहायता दें और नेपाल सरकार से बात करके उन्हें ऐसा करने से रोकें।

महोदय, पूरे बिहार की फ्लड में अब तक 58 लोग मर चुके हैं। मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार बिहार को विशेष राशि मुहैया करे। बिहार में मधुबनी में बाढ़ की स्थिति बहुत गंभीर है।

महोदय, मैं चार दिन से बोलने का प्रयास कर रहा था, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती रमा देवी, आपका नाम नहीं पुकारा गया है। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्रीमती आभा महतो (जमशेदपुर) : महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र के काफी गम्भीर मामले को सदन में उठाने जा रही हूं। बिहार राज्य के आदिवासी क्षेत्र घाटशिला/मुसाबनी स्थित भारत सरकार के उपक्रम इंडियन कॉपर कॉम्प्लैक्स की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई है। जो विगत कई वर्षों से वर्तमान प्रबन्धन की लापरवाही के कारध घाटे में चल रही है। इस उपक्रम में करीब आठ हजार मजदूर कार्यरत हैं। प्रबन्धन ने आई-सी-सी- के खदानों के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया, जिससे क्रमशः बानालोपा और बादिया ताम्र खदान को बन्द कर देना पड़ा, इस कारण 1500 मजदूर बेकार हो गए। स्थानीय समाचारपत्रों में भी यह खबर छपी है कि अगस्त महीने में दो और खदानों, केन्द्राडीह और पाथरगोड़ा को बन्द कर दिया जाएगा। यदि उक्त दोनों खदान बन्द कर दी जाती हैं तो मजदूरों की हालत बद से बदतर हो जाएगी।

अतः आपके माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि आई-सी-सी- को एक सौ करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देकर नए खदान धोबोनी, किशनगाड़िया, सिद्धेश्वर और चापड़ी को खोला जाए, ताकि बन्द खदानों के मजदूरों को वहां काम दिया जा सके।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, मैं पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और पूर्वी क्षेत्र के किसानों और जूट उत्पादकों की गंभीर समस्या को उठाना चाहता हूं।

महोदय, जैसा आप जानते हैं कि जूट इन क्षेत्रों की एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। लगभग 40 लाख लोग जूट उत्पादन और 5 लाख लोग जूट के व्यवसाय में लगे हैं। 73 जूट मिलों में से 59 पश्चिम बंगाल में हैं और उन मिलों में 2.5 लाख कामगार कार्यरत हैं।

महोदय जूट के मूल्यों में गिरावट आ रही है। अब इस समय जूट की फसल का मौसम है वर्तमान में जूट का मूल्य 250 रुपये से 300 रुपए तक प्रति कुन्तल है जबकि जूट उत्पादन की लागत इससे काफी अधिक है। यह इससे कम से कम तीन गुणा अधिक है। जूट उत्पादक मांग कर रहे हैं कि इसके मूल्य बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति कुन्तल कर दिए जाए, सरकार ने जूट के लिए समुचित मूल्य की घोषणा नहीं की है।

दूसरा, जूट के निर्यात से केन्द्रीय सरकार लगभग 800 करोड़ रुपए अर्जित करती है और यह अनुमान है कि नौवीं योजना में जूट के उत्पादन से सरकार 2000 करोड़ रुपये अर्जित करेगी। किंतु यह उद्योग धीरे-धीरे नष्ट किया जा रहा है।

महोदय हमारे देश में जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम है। इस अधिनियम के अनुसार इस देश में उत्पादित सीमेन्ट और चीनी जूट के बोरियों में पैक करने होंगे किंतु प्लास्टिक विनिर्माताओं की लॉबी के दबाव के कारण सरकार इस अधिनियम को नजरंदाज कर रही है। इसीलिए जूट उद्योग संकट में है।

महोदय, कच्चे जूट की खरीद भारतीय जूट निगम द्वारा की जाती है। केन्द्रीय सरकार जूट खरीदने के लिए भारतीय जूट निगम को धन उपलब्ध कराती है। किंतु धन की कमी के कारण भारतीय जूट निगम कच्चे जूट की खरीद के लिए बाजार में प्रवेश नहीं कर पाया इससे गंभीर समस्या पैदा हो रही है।

इसलिए मैं सरकार से जूट के मूल्य को 1000 रुपए प्रति कुन्तल रखने का आग्रह करता हूं। मैं सरकार से भारतीय जूट निगम को पर्याप्त धन उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूं ताकि यह कच्चे जूट के बाजार में हस्तक्षेप कर सके। तीसरा, सरकार को जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम को समुचित रूप से लागू करना चाहिए ताकि जूट उद्योग और किसानों सहित लाखों कामगारो को बचाया जा सके।

मैं एक बार पुनः सरकार से इन समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान देने और समुचित कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

अपराह्न 12.09 बजे

नियम 357 के अधीन व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

[हिन्दी]

श्री आनन्द मोहन (शिवहर) : अध्यक्ष जी, विगत 14 जुलाई को आपके आदेशानुसार मुझे मार्शल-आउट किया गया था और उसी दौरान मेरी हथेली बुरी तरह जख्मी हो गयी थी। जब मैं अस्पताल में इलाज करवा रहा था तो तीसरे दिन अखबार में मैंने पढ़ा कि मैं सदन में दो चाकू और एक पिस्तौल लेकर आया था और बुरी तरह से दारू के नशे में धुत था। अध्यक्ष जी, इस खबर को सच मानकर एक

[श्री आनन्द मोहन]

मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट का विवेक जग गया और हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार स्वविवेक के आधार पर कॉगनिजेंस लेकर उसने अपनी अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। इस खबर को सच मानकर एक सम्मानित अखबार "द पायनियर" ने लगभग 700 मैम्बरों, जैसी कि खबर है, से मिलकर एक सर्वे शुरू किया कि अब इस सदन में जहां एक मैम्बर आनन्द मोहन नशे की हालत में पिस्तौर और चाकू लेकर गये थे तब क्या आपकी जिंदगी सुरक्षित है या नहीं। इस पर एक सर्वे किया गया। "दैनिक जागरण" ने लिखा कि मैं पिस्तौल और चाकू लेकर बैठा हुआ था और जब मार्शल-आउट किया गया तो इस दौरान यहां जो यंत्र हैं, मैटल डिटेक्टर है उसमे पाया गया कि आनंद मोहन के पास पिस्तौल और चाकू हैं और जब मुझे एम्बूलेंस में डाला जाने लगा तो मार्शल ने इन्हें रिकवर किया। हिन्दुस्तान टाइम्स ने लिखा कि पिस्तौल और चाकू आनंद मोहन से तब बरामद हुए। जब वह डाक्टरी इलाज कराने के लिए ऑपरेशन थियेटर में जा रहे थे तो उनके पास से ये चीजें बरामद हुई। एक अखबार 'न्यूज टाइम्स' ने... (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द मोहन, कृपया समाप्त कीजिए। 'शून्यकाल' के दौरान आप केवल दो मिनट बोल सकते हैं। इससे अधिक नहीं।

[हिन्दी]

श्री आनन्द मोहन : अध्यक्ष महोदय पाक्षिक पत्रिका 'सरिता' ने जो लिखा, उसकी कतरन मेरे पास मौजूद हैं। मैं ऐसे ही नहीं आया हूं, सब कटिंग्स साथ लाया हूं। उसमें लिखा है कि मैंने आपसे दुर्व्यवहार किया, आपके हाथ से कागजात छीन लिए, आपको बेइज्जत किया। तब आपने मार्शल-आउट करने का आदेश दिया। प्रधानमंत्री ने इंटरफियर करके इस मामले को दबा दिया। यह पाक्षिक 'सरिता' में लिखा है। मैंने ये अखबार कल आपको दफ्तर में दिखाए थे। यह एक सोची समझी साजिश का अंग है। महिला विधेयक पर लोगों के सामने मेरा दृष्टिकोण न आए, इसलिए पहले दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, 21वें दिन तक कुछ अखबार ऐसी बातें लिखते हैं। इसके द्वारा मेरा चरित्र हनन करने की कोशिश की जा रही है। वह ऐसा समझते हैं कि यहां माननीय सांसद लाखों मतों से जीत कर नहीं आए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यह गुंडों, मवालियों और जुआरियों का अड्डा है। यह केवल व्यक्तिगत सवाल नहीं है। ये बातें यहां बैठे तमाम 542 सांसदों की इज्जत, सदन की गरिमा और मर्यादा के खिलाफ कही गई हैं। हम प्रेस की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। हम अपराधी तंत्र में पैदा होने वाले कीड़े नहीं हैं। हमारे पूर्वज फ्रीडम फाइटर थे। हमने आजादी के आन्दोलन में चार सेर सोना दान दिया। हमारे दादा ने सैंकड़ों एकड़ जमीन आजादी के आन्दोलन में बेच दी थी। मैं जे.पी. आन्दोलन का प्रोडक्ट हूं। जब सैंसरशिप की तलवार इनकी गर्दन पर लटकी थी, माफ करना, मैं उसके खिलाफ लड़ते हुए जेल गया था। मेरे चरित्र हनन की साजिश हो रही है। मैं इससे घबराने या डरने वाला नहीं हूं। मैं पत्र-पत्रिका, कई सरकारों से लड़ते हुए, वर्तमान व्यवस्था तथा यथास्थितिवाद से लड़ते हुए, विधान सभा के गलियारों से निकल कर लोक सभा में दूसरी बार आया हूं। ऐसे अखबारों को हमारे समर्थक मूंगफली खाकर, हाथ पोंछकर, कूड़ेदान में फेंक देंगे और मैं फिर इस सदन में जीतकर आऊंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे हमारी राजनीतिक सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द मोहन, आपने अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे दिया है। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री आनन्द मोहन : इससे आसन और सदन की मर्यादा पर असर पड़ता है। मैं यह सवाल करना चाहता हूं कि वह पिस्टल और रिवाल्वर कहां गई? इन्होंने पूरी दुनिया में भारतीय लोकतंत्र की पताका को शर्म से झुका दिया है।

डा. विजय सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : आपको जिस कारण से सदन से निकाला गया, वह तो बता दीजिए।...(*व्यवधान*)

श्री आनन्द मोहन : मुझे मार्शल-आउट किया गया था।... (*व्यवधान*) हमारे जैसी वन मैन छोटी पार्टियों को ऑल पार्टी लीडर्स की मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। यहां खड़े होकर कहा जाता है कि प्लीज आनन्द मोहन, सिट डाउन। क्या मैं बस और बाथरूम में जाकर गुनगुनाऊं? क्या मैं अपने विचार खेत-खलिहान में जाकर गुनगुनाऊं? मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग में छोटी पार्टियों को भी बुलाएं और सदन में उनके लिए भी समय आवंटित करें। मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सदन चलाएंगे या आप चलाएंगे?

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, यह मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना चाहिए...(*व्यवधान*)

श्री टी.आर. बालू (मद्रास दक्षिण) : महोदय क्या आप इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजेंगे।...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, यदि यह विशेषाधिकार का मामला बनता है तो इसे विशेषाधिकार समिति में भेजा जाये।...(*व्यवधान*)

श्री आनन्द मोहन : अध्यक्ष जी, हमारे चरित्र हनन की गंभीर साजिश की गई है। यह इस सदन की मर्यादा और गरिमा के खिलाफ है...(*व्यवधान*) मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने किस संविधान के अंतर्गत ऐसा किया है? न्यायपालिका अलग है, विधायिका अलग है... (*व्यवधान*) हमने दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान टाइम्स, युथ टाइम्स और

मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के खिलाफ नोटिस दिया है। इसमें सदन की गरिमा का प्रश्न उठता है। इसलिये मुझे इजाजत दी जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द मोहन, कृपया बस कीजिए। यह क्या है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस मामले को प्रीवलेज कमेटी में भेजा जाये।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : अध्यक्ष महोदय, यह सारे सदन की गरिमा का सवाल है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह क्या है? कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आपको यह समझना चाहिए कि यह 'शून्यकाल' है।

(व्यवधान)

श्री अजीत जोगी : महोदय, हमारा अनुरोध यह है कि आप कृपया इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेज दें।

[हिन्दी]

श्री आनन्द मोहन : अध्यक्ष महोदय, इसमें मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने आपके अधिकारों में दखलंदाजी की है। इसलिये यह गंभीर मामला है। आप इस मामले में अपनी राय जाहिर कीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द मोहन, कृपया अपनी बात यहीं खत्म कीजिए।

(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 227 के अंतर्गत मैं यह मुद्दा उठाना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द मोहन, कृपया अपनी बात खत्म कीजिए। श्री बूटा सिंह, यह क्या है? आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं और आप जैसे वरिष्ठ सदस्य को नियमों का पालन करना चाहिए। मुझे अन्य सदस्यों को भी बोलने का अवसर देना है। हमारे पास केवल यही एक विषय नहीं है। उन्होंने प्रत्येक बात की अच्छी तरह से व्याख्या की है। आवश्यक रूप से हस्तक्षेप क्यों किया जाए?

श्री बूटा सिंह : महोदय, नियम 227 के अन्तर्गत आपको इस मामले पर विचार करना होगा।

[हिन्दी]

श्री आनन्द मोहन : अध्यक्ष महोदय, मेरी यह मांग है कि इस मामले को प्रीवलेज कमेटी के पास भेजा जाये।

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह : महोदय, कृपया मेरी बात सुनिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह, कृपया मेरी बात सुनिए। मैं इस मामले पर विचार कर रहा हूं। श्री बूटा सिंह, उनके विशेषाधिकार नोटिस पर मैं पहले से ही विचार कर रहा हूं। डा॰ वी सरोजा।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : अध्यक्ष महोदय, इस मामले को प्रीवलेज कमेटी के पास भेजा जाये। जब संसद सदस्य के पास कोई हथियार नहीं था फिर क्यों उन पर यह इलज़ाम लगाया गया है। इसलिए इस मामले को प्रीवलेज कमेटी में भेजा जाये। :...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री अकबर अहमद (आजमगढ़) : महोदय, यह एक गंभीर मामला है और इसे विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना चाहिए... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया इस बात को समझिए कि मैंने पहले ही अपना विनिर्णय दे दिया है। इस विशेषाधिकार के मामले पर मैं विचार कर रहा हूं। अध्यक्षपीठ की बात सुने बिना आप बोल रहे हैं। यह क्या है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मामला पहले ही मेरे विचाराधीन है। यह क्या है?

श्री बूटा सिंह : महोदय, कृपया मेरी बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह, बहुत सम्मान के साथ मुझे यह कहना चाहिए कि मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं और आपको कार्य-प्रणाली का पालन करना चाहिए। मैंने डा॰ वी॰ सरोजा का नाम पुकारा है।

श्री बूटा सिंह : महोदय, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूं। मैं केवल अध्यक्षपीठ की मदद करने की कोशिश कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ ने पहले ही अपना विनिर्णय दे दिया है कि यह विशेषाधिकार का मामला विचाराधीन है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह, मैं इस मामले पर विचार कर रहा हूं। यह क्या है? अध्यक्षपीठ बता रहे हैं कि यह मामला विचाराधीन है।

(व्यवधान)

श्री जी॰एम॰ बनातवाला : महोदय, इस पर सक्रिय विचार किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत सक्रियता से मुझे कह रहे हैं कि इस पर सक्रिय रूप से विचार किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

डा॰ सरोजा वी॰ (रासीपुरम्) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान हाल ही में तमिलनाडु में हुए दुर्व्यवहार तथा छेड़छाड़ की घातक घटना की ओर आकर्षित करने के लिए खड़ी हुई हूं।

चेन्नई के एक कॉलेज की विद्यार्थी कुमारी सारिका शाह की हाल ही में हुई दुखद मृत्यु छेड़छाड़ की एक अत्यन्त शर्मनाक घटना है। ऐसी अशोभनीय घटनाओं को उत्तेजित करने वाले कारकों को प्रोत्साहन सिनेमा और दूरदर्शन के कार्यक्रमों में दिखाए जाने वाले ऐसे अश्लील दृश्यों और अहिंसा के दृश्यों से मिलता है जिसमें लड़कों के दल द्वारा लड़कियों से छेड़छाड़ करते हुए दिखाया जाता है।

इससे पहले तमिलनाडु के एक मेडिकल कॉलिज के मेडिकल छात्र श्री नवरासु के साथ निर्दयतापूर्ण दुर्व्यवहार की एक अन्य घटना हुई थी। वरिष्ठ छात्रों द्वारा की गई रैगिंग उसकी मृत्यु का कारण बनी।

अतः इस सम्माननीय सभा में आप सब लोग इन विद्यार्थियों की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त करने और उनके अभिभावकों के दुःख को बांटने में मेरा साथ देंगे।

मैं इस सम्माननीय सभा द्वारा इस देश के छात्र समुदाय से अपील करता हूं कि इस इतिहास की पुनरावृत्ति न होने दें।

हमारी आन्दोलनकारी नेता डा॰ पुराधि थाल्लवी ने हाल ही के अपने प्रेस वक्तव्य में प्रसार भारती से अपील की है कि निम्न तरीकों से प्रसार माध्यमों द्वारा नई चेतना लाई जाए—

(1) जो चलचित्र दिखाए जाते हैं वह ऐसे होने चाहिए जिन्हें पूरा परिवार, व्यस्क और बच्चे एक साथ बैठकर बिना किसी झिझक और उलझन के आराम से देख सकें; और

(2) इनमें यौन उत्पीड़न और अहिंसा के कोई दृश्य नहीं होने चाहिए।

सरकार सेंसर बोर्ड के माध्यम से सेंसर के कड़े नियमों का सख्ती से पालन करवाकर ही ऐसा कर सकती है।

मैं फिल्म के निदेशकों कलाकारों, और निर्माताओं को अपील करती हूं कि राष्ट्रीय सेवा के रूप में वह फिल्मों को स्वयं सेंसर करें।

मैं अपना दुख व्यक्त करती हूं और और निम्न बातों की भर्त्सना करती हूं—

(1) भोले-भाले विद्यार्थियों पर निर्दयतापूर्ण प्रहार;

(2) वर्तमान द्रविड मुनेत्र कषगम सरकार में राजनीति इच्छा-शक्ति का अभाव;

(3) महिलाओं पर बढ़ती हुई अहिंसा और प्रहार; और

(4) तमिलनाडु में गिरती हुई कानून तथा व्यवस्था की स्थिति।

जैन आयोग की रिपोर्ट में भी द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) पर राजीव गांधी की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।

अतः मैं तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कषगम सरकार की बर्खास्तगी की मांग करती हूं।

श्री राम नाईक : डा॰ वी॰ सरोजा ने फिल्मों के बारे में एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है। दुर्भाग्यवश, सम्बन्धित मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज आज दिल्ली में नहीं है। लेकिन मैं तत्काल ही डा॰ वी॰ सरोजा के विचार उन तक पहुंचा दूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि कोई कार्यवाही की जाए।

[हिन्दी]

श्रीमती कैलाशो देवी (कुरूक्षेत्र) : अध्यक्ष महोदय, बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। इस बजट सत्र के दौरान संसद में अनेक महत्वपूर्ण बिल इंट्रोड्यूस किये गये और पास भी किये गये। जिनमें एक सांसदों के वेतन और भत्तों से संबंधित बिल भी आया जिसकी श्री लालू प्रसाद यादव तथा कई अन्य माननीय सदस्यों ने पुरजोर वकालत की और वह पास भी कर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, 13 जुलाई का वह भयानक काला दिन याद कीजिए, जिस दिन महिला आरक्षण बिल को इंट्रोड्यूस किया जाना था। उस बिल के इंट्रोडक्शन के समय कुछ महिला विरोधी तत्वों के इशारे पर एक महिला विरोधी सांसद ने माननीय विधि मंत्री के हाथ से महिला आरक्षण बिल को छीनकर फाड़ दिया और महिला जाति का अपमान किया...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, यह आपत्तिजनक है।...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : आप सिर्फ महिला बिल से संबंधित बात बोलिये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप सदस्य के नाम का उल्लेख नहीं कर सकते। आप अपनी बात कह सकते हैं।

डा॰ सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै) : यह विशेषाधिकार का हनन है।

श्री बूटा सिंह : आप सदस्यों के नाम नहीं ले सकते।

[हिन्दी]

श्रीमती कैलाशो देवी : उन्होंने नारी जाति का अपमान किया और संसद की गरिमा को रौंदकर हिंदुस्तान के इतिहास में एक स्याह

पन्ना जोड़ दिया। इसके लिए महिलाएं इन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। नारी इस अपमान को हरगिज-हरगिज नहीं भूलेगी।

अध्यक्ष महोदय, इस घिनौने कांड के कारण वे चेहरे बेनकाब हो गए हैं जो महिलाओं के कल्याण की बातें करके केवल झूठी हमदर्दी हासिल करते रहे हैं और जब वास्तव में महिलाओं के कल्याण की बात आती है, तो वे किसी न किसी रूप में और किसी न किसी बहाने से इसका विरोध करते हैं या ऐसे मामले पर चुप्पी साध लेते हैं। यही उस दिन हुआ और सदन में महिला आरक्षण विधेयक के प्रस्तुतीकरण के विरोध को सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग चुपचाप देखते रहे। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि वास्तव में कोई भी राजनीतिक दल और कोई भी पुरुष महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहता।

अध्यक्ष महोदय, आपने पढ़ा ही होगा, मैं द्रौपदी चीर-हरण का दृष्टांत प्रस्तुत करना चाहती हूं। जब द्रौपदी के चीर हरण का आदेश दिया, तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य भी उस सभा में उपस्थित थे और वे इस दृश्य को इसलिए देखने को विवश थे क्योंकि अध्यक्ष महोदय उस समय कुरू राज था और राजा के आदेश के खिलाफ कोई भी आवाज बुलंद नहीं कर सकता था, लेकिन आज तो हमारे देश में लोकतंत्र है और प्रजा द्वारा चुने हुए प्रतिनिधिगों का राज है। फिर लोकतंत्र में नारी जाति का अपमान हो और हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत, संसद में नारी आरक्षण विधेयक प्रस्तुत भी न हो सके, तो समझ लीजिए कि इस देश में लोकतंत्र का भविष्य खतरे में है। इस घटना के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दुस्तान में लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, जब माननीय सदस्य आनन्द मोहन जी ने महिला आरक्षण विधेयक के प्रस्तुतीकरण की वकालत की, तो उन्हें मार्शलों द्वारा सदन से बाहर निकलवा दिया गया और उन्हें अपमानित किया गया और जिन लोगों ने महिला विधेयक की प्रस्तुति का विरोध किया तथा पूरी नारी जाति का अपमान किया, उनको बड़ी आसानी से क्षमा कर दिया, माफ कर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, भूल हम महिलाओं से भी हुई है। उस दिन आनन्द मोहन जी को जब सदन से मार्शलों द्वारा बाहर निकलवाया गया, तब हमको भी सदन से बहिर्गमन करना चाहिए था। जो बात मैं कह रही हूं अध्यक्ष महोदय, वह बहुत महत्वपूर्ण है और नारी जाति के मान और अपमान का प्रश्न है। उस दिन नारी जाति के कल्याण के विधेयक को प्रस्तुत करने के विरोध की घटना से मेरे मन को बहुत ठेस लगी है। मैं बहुत दुखी हूं। इसलिए मैं आज सदन से वाकआउट कर रही हूं और महात्मा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर सांकेतिक हड़ताल पर बैठूंगी।...*(व्यवधान)*

12.28 बजे

(तत्पश्चात् श्रीमती कौलाशो देवी सभा भवन से बाहर चली गईं)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैडम कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राम दास आठवले, मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है। यह क्या है? आपने अपना व्यवहार नहीं बदला है। अब श्रीमती लक्ष्मी पनबाक बोलेंगी।

(व्यवधान)

श्री अजीत जोगी : महोदय, उन दो टिपपणियों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल देना चाहिए...*(व्यवधान)* वे दो टिप्पणियां जिनमें से एक सांसद ने सम्बन्धित और दूसरी माननीय अध्यक्षपीठ से सम्बन्धित है—को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि यह आपत्तिजनक है तो मैं उन टिप्पणियों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अजीत जोगी : कृपया उन दोनों टिप्पणियों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि इनमें कुछ आपत्तिजनक कहा गया है तो मैं उन्हें कार्यवाही वृतान्त से निकाल दूंगा।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, मैं उनकी मांग का समर्थन करता हूं। वे इस सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक लाने में असफल क्यों हुए हैं?...*(व्यवधान)*

श्रीमती लक्ष्मी पनबाक (नेल्लोर) : महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूं कि पिछले कई दिनों से दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा मंडल में बार-बार डिब्बों के पटरी में उतरने की घटनाएं हो रही हैं जिनके परिणामस्वरूप यात्रियों की मौतें हो रही हैं और वे घायल हो रहे हैं। इसलिए, यात्रियों और गाड़ियों को और अधिक सुरक्षा प्रदान करने की अनिवार्य आवश्यकता है।

25 जुलाई की शाम को इल्लूर के निकट एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई जिसके परिणामस्वरूप 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 5 अन्य घायल हो गए।

26 की शाम को विशाखापत्तनम एक्सप्रेस 7015 गाड़ी नाडीकुड्डी स्टेशन पर पटरी से उतर गई जसमें 11 डिब्बे पटरी से उतर गए जिसमें 55 व्यक्ति घायल हो गए।

पुनः 29 जुलाई की सुबह गाड़ी सं॰ 2724, नारमंडरी एक्सप्रेस विजयवाड़ा और गुटुर मण्डल के बीच पटरी से उतर गई। इसमें मरने वालों और घायलों की संख्या का पता नहीं चला है। 30 और 31 जुलाई और 2, 3, 4, और 5 अगस्त को भी इसी मण्डल में गाड़ियां पटरी से उतरी हैं। विजयवाड़ा मण्डल में पटरियों का रख-रखाव अच्छा नहीं है।

[श्रीमती लक्ष्मी पनबाक]

रेल प्राधिकारियों को इस बार-बार पटरी से उतरने की घटनाओं के कारणों की जांच करनी चाहिए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। उन्हें यात्रियों और रेल सम्पत्ति को रक्षा और सुरक्षा भी प्रदान करनी चाहिए।

श्री टी॰आर॰बालू (मद्रास-दक्षिण) : महोदय, यह वचन भंग करने का मामला है। माननीय गृह मंत्री ने माननीय प्रधान मंत्री की उपस्थिति में वायदा किया था कि वे इस सत्र में ही पांडिचेरी राज्य से सम्बन्धित विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे। आज इस सत्र का अन्तिम दिन है। लेकिन अभी तक सरकार की मंशा विधेयक को पुरस्थापित करने की दिखाई नहीं पड़ रही है। अतः हमें इसके बारे में बहुत चिन्ता है। पांडिचेरी के लोग भी इसके बारे में चिन्तित हैं। वास्तव में इस मामले में मजे की बात यह है कि ए॰आई॰ए॰डी॰एम॰के॰ दल के माननीय मित्र पांडिचेरी में विजय दिवस जलूस भी निकाल चुके हैं हमें पांडिचेरी राज्य के बारे में काफी चिन्ता है।

श्री वी॰ सत्यमूर्ति (रामनाथपुरम) : महोदय हमें "ए॰आई॰ए॰डी॰एम॰के॰ कार्यकर्त्ताओं की मजे की बात" शब्दों को वापस ले लेना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री टी॰आर॰ बालू : हम सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। माननीय गृह मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। हम जानना चाहते हैं क्या यह विधेयक कम से कम अगले सत्र में पुरस्थापित कर दिया जाएगा। उन्हें इस पर अपने विचार प्रकट करने चाहिए क्योंकि हम इसके बारे में काफी चिन्तित हैं।

अध्यक्ष महोदय : फिर अव्यवस्था की स्थिति बनती जा रही है।

(व्यवधान)

श्री आर॰ मुथैया ((पेरियाकुलम) : महोदय, उन्हें 'मजा किया' शब्द वापस लेना होगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री बालू का नाम लिया है। उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए। यह क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

श्री आर॰ मुथैया : हमारी मांग पर इस सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि वह दिल्ली को राज्य का दर्जा देने वाले विधेयक के साथ-साथ पांडिचेरी को राज्य का दर्जा देने वाले विधेयक को भी लाएगी।...*(व्यवधान)*

श्री टी॰आर॰ बालू : सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है वे हमारी मांग पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रही है। इसके विरोध में, मैं सभा का बहिष्कार करता हूं...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.31 बजे

(इस समय श्री टी॰आर॰ बालू सभा भवन से बाहर चले गए)

[हिन्दी]

श्रीमती रमा देवी (मोतीहारी) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि पूरे उत्तर बिहार में बाढ़ के बढ़ते प्रकोप के चलते वहां का जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, यातायात भी ठप्प हो गया है तथा वहां जान माल का काफी नुकसान हुआ है। खासकर उत्तर बिहार के आदापुर विधान सभा क्षेत्र के सभी गांव, मोतिहारी लोक सभा क्षेत्र के सभी छः विधान सभा क्षेत्रों तथा बेतिया, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, रुपौल, सहरसा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सारण, गोपालगंज, भागलपुर तथा बांका आदि लोक सभा क्षेत्रों में बाढ़ से वहां का जन-जीवन प्रभावित हुआ है। वहां के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। नेपाल की कई नदियां एवं सिकुरना, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमलाबालाना, कोसी, बागमती, महानंदा, अधवारा, बकैया तथा गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहां की जनता अपने घरों के छप्पर, ऊंचे-ऊंचे टीलों तथा पेड़ों पर चढ़कर शरण लिये हुए है।

हमारा प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि वे वहां सर्वेक्षण करायें तथा बाढ़ की स्थिति को देखते हुए लोगों को सहायता देने की भरसक कोशिश करें। इसके साथ-साथ जिनकी फसल बर्बाद हुई है, उनको मुआवजा देने का प्रयत्न करे।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि मोतिहारी चीनी मिल को सुचारू रूप से चलाया जाये जिससे गरीब जनता को राहत मिले और वे उसमें काम करके अपनी रोजी-रोटी ढूंढ सकें। चकिया चीनी मिल, जो बंद है, उसे अविलम्ब चलाने की कोशिश की जाये। साथ-साथ पूर्वी चम्पारण जिले में बाढ़ के कहर से सारा क्षेत्र प्रभावित हैं इसलिए उसे बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाये। बूढ़ी गंडक की नदी में जो बांध अधूरा पड़ा है, उसे पूरा कराया जाये। इन्दिरा आवास में 20 हजार रुपये देने की जो योजना है, उसे 25 हजार रुपये किया जाये। मधुबनी घाट पुल का निर्माण अविलम्ब कराया जाये।

[अनुवाद]

श्री पी॰सी॰ चाक्को (इडुक्की) : महोदय, मैं अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं जिसे मैं पिछले 4-5 दिनों से उठाने के लिए इन्तजार कर रहा हूं।

पिछले शनिवार को मध्यरात्रि को बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ जिससे इडुक्की जिला प्रभावित हुआ है जो केरल की पर्वत श्रेणियों में स्थित है। इसमें 300 मकान ढह गए जिससे जान और माल की भारी क्षति हुई। दुर्भाग्यवश, यह इडुक्की जिले जिसका मैं संसद में प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, में आम बात है। भूस्खलन और मूसलाधार वर्षा रोज की बात है। इडुक्की में इस मानसून के दौरान 300 घर बह गए और 100 एकड़ भूमि पूरी तरह नष्ट हो गई। अगले 10-15 वर्षों तक किसान वहां किसी की भी फसल नहीं उगा पाएंगे। दुर्भाग्यवश राज्य सरकार द्वारा ही जा रहा क्षतिपूर्ति राशि काफी अपर्याप्त है। एक

घर के नष्ट होने पर राज्य सरकार द्वारा 2000 से 3000 रु॰ क्षतिपूर्ति दी गयी है। जान जाने के मामले में राज्य सरकार द्वारा 20,000 से 25,000 रु॰ की राशि दी गयी है। आपदा राहत कोष से केन्द्र सरकार द्वारा पर्याप्त क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में कोई सहायता नहीं दी जा रही है।

भूस्खलन और भूमि कटाव के कारण, भूमि पूरी तरह परती भूमि बन गई है। यह गम्भीर स्थिति है। केन्द्र सरकार द्वारा पर्याप्त क्षतिपूर्ति राज्य को दी जानी चाहिए।

मैंने यह मामला उस समय सदन में उठाया था जब पहले ऐसी घटना घटी थी। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे प्रभावित क्षेत्र में प्रतिनिधि मण्डल भेजें। मैंने प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा है जिसमें मैंने उन्हें अनुरोध किया है कि वे आपदा राहत कोष से अधिकारियों का हल भेजें जो हुई क्षति का मूल्यांकन करे और किसानों को क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करे। यह अत्यन्त गम्भीर मामला है जिससे इदुक्की जिले के किसान प्रभावित हुए हैं। पिछले सप्ताह ऐसी घटना रांनी में सिथीथोड़ा में घटित हुई है।

महोदय, पिछले सप्ताह मरियापुरम, विजनहोप, कांजीकुंथी और वाथुकुड्डी में व्यापक पैमाने पर क्षति हुई है। अतः मैं एक बार फिर केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस क्षति का मूल्यांकन करने और किसानों को क्षतिपूर्ति राशि दिलाने के लिए दल भेजे।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगले मद पर आते हैं जो जैन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा के संबंध में है।

(व्यवधान)

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण (कराड) : महोदय, श्री कृष्ण आयोग रिपोर्ट महाराष्ट्र विधानसभा में आज रखी जानी है। एक गंभीर आशंका है कि मुम्बई में कानून और व्यवस्था चरमरा सकती है। अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे पर्याप्त अहतयाती कदम उठाए। आवश्यक हो तो सरकार को वहां अतिरिक्त सेना भेजनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री तपन सिकदर (दमदम) : महोदय आज के 'शून्यकाल' की सूची में मेरा नाम नौंवे नम्बर पर था लेकिन मेरा नाम नहीं पुकारा गया है...*(व्यवधान)*

कई माननीय सदस्य : महोदय, जैन आयोग रिपोर्ट पर चर्चा पुनःआरम्भ करने से पहले आप कृपया नियम 377 के अधीन मामले ले लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : हम नियम 377 के अधीन मामले बाद में लेंगे। अब श्री मुलायम सिंह बोलेंगे।

अपराह्न 12.36 बजे

जैन आयोग की अंतिम रिपोर्ट और रिपोर्ट पर की गई-कार्यवाही संबंधी ज्ञापन पर विचार किये जाने के संबंध में प्रस्ताव—*जारी*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे समय का ध्यान रखा और मुझे बोलने का अवसर दिया।...*(व्यवधान)*

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : आपको लालू जी का समय दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : लालू जी को समय दे दिया था। इन्होंने मेरी सुविधा के अनुसार मुझे समय दिया इसलिए मेरे धन्यवाद देने में आपको क्यों परेशानी हो रही है। धन्यवाद दें तो परेशानी और यदि कुछ और कह दे तो भी परेशानी होती है।...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।...*(व्यवधान)* आज के एजेंडे में इससे पहले नियम 377 के अधीन मामले हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बाद में देखेंगे।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : हमारे बाद उसे ले लिया जाए। ...*(व्यवधान)*

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन (मवेलीकारा) : देखेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : क्या आप अध्यक्ष हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ये आपके दोस्त हैं।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : जैन कमीशन पर कल से लगभग 12 घंटे से बहस हो रही है। यह अच्छी बात है कि इसमें काफी माननीय सदस्यों ने भाग लिया। यदि हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे तो मुझे खुशी होगी। जहां तक स्वर्गीय राजीव गांधी जी का सवाल है, वे केवल कांग्रेस पार्टी के नेता ही नहीं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, वे देश की धर्म निर्पेक्षता के प्रतीक थे और मुझे इस बात का फख्र है, गर्व है कि धर्मनिपर्क्षेता की लड़ाई को मजबूत करने के लिए उन्होंने मेरा सहयोग किया था तथा राष्ट्रीय एकता परिषद् में साम्प्रदायिकता के खिलाफ लड़ने के लिए हर स्तर पर समर्थन देने का वायदा किया था कि वे केवल इंसान ही नहीं थे बल्कि इस देश की सम्पत्ति थे। राजीव जी की हत्या के मामले में दो कमीशन बैठ और उसके बाद भी अगर किसी नजीते पर न पहुंचे तो यह बहुत अफसोस की बात है। 12 घंटे बहस हो चुकी है, दो बजे उसका जवाब होना है। मुझे अफसोस है कि जवाब के समय मैं गृह मंत्री जी के उत्तर के समय उपस्थित नहीं रह पाऊंगा

[श्री मुलायम सिंह यादव]

क्योंकि मेरी मजबूरी है, मुझे जरूरी काम से जाना है। दो-दो कमीशन बैठे, सात साल लग गए। मैं दोहराना नहीं चाहता, हमारे कई माननीय सदस्यों ने कहा कि करोड़ों रुपये भी खर्च हुए लेकिन इस रिपोर्ट से कुछ नतीजा नहीं निकला। इसलिए हम सुझाव देना चाहते हैं इस लम्बी बहस के बाद सदन किसी ठोस नतीजे पर पहुंचे। गृहमंत्री जी ऐसा जवाब दें जिससे समयबद्ध और सही नतीजा निकले। इस रिपोर्ट को देखकर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसे जिस गंभीरता से कमीशन को लेना चाहिए था, उसे नहीं लिया।

हम कहना चाहते हैं कि जब कोई भी आयोग बैठता है तो आयोग के उन पन्नों को और संविधान को तो नहीं पढ़ना चाहते हैं, न समय लेना चाहते हैं। उसमें यह जो प्रावधान है कि आयोग ठोस सबूत पेश करे और आयोग अपनी ठोस सहमति भी दे, अपनी राय भी दे, लेकिन ये दोनों बातें इस रिपोर्ट में नहीं है, न ठोस सबूत हैं और न कमीशन की ठोस राय है, सिर्फ संदेह है। इसलिए हमारे कुछ लोग भले ही हमारे मित्र कुछ भी कहें, हमारे कांग्रेस के साथी भी कहें कि आयोग पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहिए, मेरा सीधा आरोप है कि यह कमीशन सही नतीजे पर नहीं पहुंचा है। राजीव गांधी जैसे नेता की हत्या को गम्भीरता से नहीं लिया है, जिससे आने वाले समय में इस प्रकार की हत्याओं की पुनरावृत्ति न हो, इस सम्बन्ध में भी उन्होंने अपनी ठोस सहमति या राय नहीं दी है।

जहां तक वर्मा आयोग का सवाल था, जांच के लिए जिन मुद्दों का उल्लेख था, उसमें षडयंत्र के मुद्दे का उल्लेख नहीं था और इसीलिए जैन आयोग की स्थापना की गयी थी। षड़यंत्र के मुद्दे के लिए एक अलग कमीशन की इसीलिए आवश्यकता पड़ी थी।

मूल प्रश्न यह उठता है कि क्या इस कमीशन का गठन इसीलिए किया गया था कि कोई ठोस नतीजा न मिले और मात्र यह बोल दिया जाये कि कुछ व्यक्ति व संस्थाएं संदेह के घेरे में हैं। यदि संदेह के घेरे की बात कही जायेगी तो सभी जानते हैं कि न्याय शास्त्र के मान्य सिद्धान्तों के अनुसार जब तक बिना किसी सन्देह के यह सिद्ध न हो जाए कि कोई व्यक्ति दोषी है उसे दण्डित नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां केवल संदेह के आधार पर लोगों को दण्डित किया जा रहा है। संदेह समझकर न्यायालय भी उसको बरी कर देता है। इस कमीशन को जिम्मेदारी दी गई थी कि इस जघन्य हत्या के पीछे कौन है, किसने हत्या की, कौन सी संस्थाएं थीं, विदेशी संस्थाएं कौन थीं, इसके पीछे क्या षडयन्त्र था तथा षडयन्त्रकारी कौन थे। इसका खुलासा होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जो भी हत्या करने वाले हैं, वे किसी तरह से बचने न पायें। इसके साथ यह भी कहना है कि निर्दोष लोगों को परेशान न किया जाये, अगर निर्दोष लोगों को परेशान किया गया और फंसाया गया और राजनीतिक दृष्टि से उनको बदनाम भी किया गया तो हम जानते हैं कि इतने बड़े नेता की हत्या के प्रति जो सहानुभूति हमारे देश की पूरी जनता को है और होनी चाहिए, उसके ठीक विपरीत स्थिति हो सकती है।

जो वर्तमान सत्ताधारी पार्टी है, उससे हम इस बात को जान-बूझकर कहना चाहते हैं कि जो रिपोर्ट लीकेज हुई थी या जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, उसकी जांच का कोई परिणाम आया कि यह लीकेज कैसे हुई, रिपोर्ट प्रकाशित कैसे हुई। जब यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो मेरा आरोप है कि इस कमीशन के बगैर यह रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हो सकती थी। कहीं न कहीं राजनैतिक दृष्टि से यह कमीशन भी प्रभावित था, यह मेरा आरोप है। इसकी गहराई में गृह मंत्रालय भी नहीं गया। उसके साथ रिपोर्ट क्यों नहीं आई? लगातार यह बात होती रही कि यह रिपोर्ट प्रकाशित कैसे हुई। यहां पर एक सुझाव आपको आगे दूंगा कि जहां तक सत्ता पक्ष का सवाल है, सत्ता पक्ष तो हम लोगों को इस रिपोर्ट के आधार पर बांटकर लाभ उठाना चाहता है। लाभ उठा भी लिया, रिपोर्ट प्रकाशित होने के कारण देश को बड़े चुनाव में जाना पड़ा और आज का सत्ता पक्ष इसका फल भोग रहा है। रिपोर्ट के प्रकाशन को गम्भीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा? सत्ता पक्ष इसको गम्भीरता से नहीं लेगा, इसलिए हम अपने कांग्रेस पार्टी के मित्र सदस्यों से भी कहेंगे, जो कुछ हुआ, उसको हम तो भूल गये, आप इनको हटाएंगे तो हम आपका साथ दे देंगे, लेकिन आपने तो संयुक्त मोर्चा सरकार को प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर ही हटा दिया और समर्थन वापस ले लिया। यह मामूली मामला नहीं है, अपितु गम्भीर मामला है। इसलिए आज अगर आप इसे गम्भीरता से नहीं लेंगे कि प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर चलती हुई सरकार से कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस लिया।

देश को चुनाव में जाना पड़ा, उसका नतीजा है कि आज सत्ता पक्ष को उसका पूरा-पूरा लाभ मिला। देश की जनता जानना चाहती है कि रिपोर्ट पहले कैसे प्रकाशित हो गई, क्या आयोग ने दी या किसी बक्से से, अलमारी से या टेबल से उसे किसी ने उठा लिया? आखिर आयोग से भी पूछना चाहिए कि रिपोर्ट कैसे लीक होकर प्रकाशित हो गई, क्योंकि हमें इस बारे में संदेह है। जब संदेह के घेरे में कुछ नेताओं या व्यक्तियों के नाम लिए जा रहे हैं, तो हमें इस कमीशन पर भी संदेह है कि आखिर रिपोर्ट कैसे प्रकाशित हो गई। हमें उम्मीद है जब गृहमंत्री जी बहस का उत्तर देंगे तो इसे भी स्पष्ट करेंगे। हो सकता है उनको इसकी जानकारी मिल भी गई हो। सदन और देश की जनता इस बात को जानना चाहती है कि सभी अखबारों और पत्रिकाओं में कैसे किसी ने ज्यों की त्यों रिपोर्ट छाप दी। अगर यह सच्चाई सामने नहीं आती है तो कमीशन पर कैसे विश्वास किया जा सकता है इसलिए कमीशन पर पूरा संदेह है और जैन कमीशन की नीयत भी संदेह के दायरे में है। क्या स्वयं जस्टिस जैन ने राजनैतिक उद्देश्यों के लिए लीक कराया था?

आज सदन में बहस चल रही है। अगर आप गहराई से अध्ययन करें तो मालूम होगा कि इस अन्तिम रिपोर्ट में और अंतरिम रिपोर्ट में अंतर है, सात महीने के अंदर एक सरकार भी इस बीच चली गई तथा देश को एक चुनाव झेलना पड़ा। अंतरिम रिपोर्ट के बाद अंतिम रिपोर्ट आई, तो इनमें सात महीने के अंदर कैसे हो गया और क्यों हो गया? इसलिए हम इसे संदेह के घेरे में मानते हैं और कमीशन भी संदेह के घेरे में आता है।

राष्ट्र को इस कमीशन से उम्मीदें थीं कि वह किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचेगा और सही निष्कर्ष पर पहुंचेगा। लेकिन दुख की बात है कि कमीशन ने कोई जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व का निर्वाह कर किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। मैंने शुरू में कहा था कि न तो उसने कोई ठोस उपाय बताए हैं, न ठोस सबूत दिए हैं। कमीशन मे राष्ट्र का बहुमूल्य धन और समय नष्ट किया है और लोगों को घोर निराशा है कि उन्हें सत्यता का 7 वर्षों बाद भी पता नहीं चल सका यह कर देना कि प्रभाकरण शिवरासन व शुभा आदि के पकड़े जाने से षडयंत्र का खुलासा हो जाता। यह बात जनरल है क्योंकि पहले से ही पता था कि प्रभाकरण आदि जांच के लिए उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए कमीशन अपनी जिम्मेदारी से यह बहाना बनाकर नहीं बच सकता कि जब तक प्रभाकरण और अन्य लोग गिरफ्तार नहीं हो जाते, तब तक पता नहीं चलेगा। मान लो प्रभाकरण की असामयिक मृत्यु हो जाए तो क्या हमेशा के लिए राजीव गांधी के हत्यारों का पता नहीं चलेगा और देश सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकेगा? और राष्ट्र का इतना धन और समय बर्बाद करने की क्या आवश्यकता थी।

अध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन बातें और कहना चाहूंगा। जैन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि उसे पूरा सहयोग नहीं मिला तथा अनेक पत्रावलियां छिपाई गई। अगर सहयोग नहीं मिला तो कमीशन को बताना चाहिए था कि इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है। किस एजेंसी ने और किस सरकार ने सहयोग नहीं दिया। वे कौन सी शक्तियां बाधक थीं, कौन सी राजनीतिक ताकतें बाधा डाल रही थीं जिसकी वजह से रिपोर्ट में देरी हुई। यह भी साफ करना चाहिए था कि कौन सी राजनीतिक शक्तियां और एजेंसीज हैं जिनकी वजह से कमीशन को सहयोग नहीं मिल सका। जहां तक जांच के लिए कमीशन बना था, राजीव गांधी की हत्या के बारे में कहा गया कि सुरक्षाकर्मियों की कमी थी या सुरक्षा के पूरे प्रबन्ध नहीं थे और सुरक्षा के मामले में लापरवाही बरती गई। उसके बाद क्या उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है कि आगे चलकर किस प्रकार की सुरक्षा हो? जिससे सुरक्षा में कमी न होने पाए। यह तो जनरल बात है, कोई भी कह सकता है कि सुरक्षा ठीक नहीं थी या सुरक्षा में कमी थी। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है इसलिए पांच हजार और पुलिसकर्मी चाहिए थे क्या यह बहाना नहीं है?

यह बहाना नहीं है। इस तरह के बहाने किए जाते हैं जिससे अपने पांच हजार समर्थकों को पुलिस में भर लिया जाए। सुरक्षा में अगर कमी थी या सुरक्षा कर्मियों की कमी थी या इस देश के बड़े नेताओं की, प्रधानमंत्री जी की, गृहमंत्री जी की या किसी भी नेता की सुरक्षा आगे चलकर कैसे की जाएगी और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, ऐसी सुरक्षा के बारे में कमीशन की रिपोर्ट में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है? क्यों नहीं किया गया?

जहां तक इस मामले को सी•बी•आई में देने का सवाल है, सारा देश जान गया है, जनता भी जाग गई है कि सी•बी•आई ने जितनी रिपोर्ट दी हैं, चार्जशीट लगाई हैं, न्यायालय ने उनको निरस्त कर दिया है। कल भी हमारे साथियों ने कहा था कि सी•बी•आई• का कोई भरोसा नहीं रहा। सी•बी•आई पर भरोसा करते हैं तो गृहमंत्री जी स्वयं बता दीजिए, सी•बी•आई• ने आपको भी फंसा दिया था। अगर कोर्ट नहीं होता तो आप भी फंस गए थे और आपको जेल में रहना पड़ता। आपकी तो जिंदगी सी•बी•आई ने बर्बाद कर दी थी। उस वक्त हमने अखबार में बयान भी दिया था, शायद आपने पढ़ा हो या न पढ़ा हो कि आडवाणी जैसे नेताओं को सी•बी•आई पकड़कर रिश्वत या हवाला में फंसा देगी तो कोई नहीं बचेगा क्योंकि हमें इस मामले में इतना भरोसा था। लेकिन सी•बी•आई• ने आपको भी फंसा दिया। अगर आप सी•बी•आई पर भरोसा करते हैं तो आपका पूरा नियंत्रण सी•बी•आई• पर होगा। हम यह मानकर चल रहे हैं कि अगर आपके नियंत्रण में सी•बी•आई से जांच कराने की बात है, आपकी सरकार में यह जांच होगी तो वह निष्पक्ष नहीं हो सकती यदि आप सी•बी•आई पर विश्वास करते हैं क्योंकि आप स्वयं भुक्तभोगी हैं। अब यह कहना कि सी•बी•आई में एक विशेष दल बना दिया जाए, हमारी राय है कि उससे कुछ नहीं होने वाला।

हमारा एक सुझाव है यदि पूरे सदन को विश्वास हो कि अब जहां तक दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बातचीत का सवाल है, ठीक है गृह मंत्रालय ने पहले भी इसे देने से यह कहकर मना कर दिया था कि उनकी बातचीत देश के सामने प्रकाशित नहीं करनी है इसे हम भी समझते हैं। लेकिन जो सूचना मिली है, उस सूचना के आधार पर जानकारी अवश्य करनी चाहिए थी। हम यह नहीं कहते कि दोनों राष्ट्राध्यक्षों की जो बातचीत हुई है, उसे जाहिर किया जाए लेकिन जो गृह मंत्रालय को सूचना मिली थी, उन सूचनाओं के आधार पर आगे कार्यवाही तो की जा सकती थी। उसके आधार पर कुछ तथ्य मिल सकते थे लेकिन उसे भी नहीं किया गया।

मेरी राय है कि किसी भी देश के नेताओं को जो सरकार में हैं या जो सरकार से बाहर भी हैं, किसी दूसरे देश के आंतरिक मामले में दखल नहीं देनी चाहिए, जैसा कल कहा गया था। आज भी हम उस बात से सहमत हैं कि श्रीलंका के मामले में भारत सरकार को दखल नहीं देनी चाहिए थी ताकि भारत के भी अंदरूनी मामले में दूसरे देशों के लोग कोई दखल न दे सके, यह हमें मानकर चलना चाहिए। हो सकता है कि अगर यह दखल नहीं दिया होता तो देश के इतने बड़े नेता की हत्या होने से बच सकती थी, ऐसी आज आम लोगों की धारणा है। कोलम्बो में जब वह गए थे, वहां सिक्योरिटी के एक कर्मचारी ने उन पर हमला कर दिया था, उस समय वह प्रधानमंत्री थे। लेकिन वह किसी तरह बच गए थे। हमारे कुछ साथियों की राय है कि इस मामले को किसी स्वतंत्र एजेंसी को दे देना चाहिए। पता नहीं ये लोग किस एजेंसी को निष्पक्ष या इंडिविजुअल मानते हैं। ऐसी इंडिविजुअल कौन सी एजेंसी है जिसके माध्यम से यह जांच दोबारा हो। हमारी अपनी राय है कि जो अभी रिपोर्ट आई है, उस पर हम जैसे लोगों को कोई भरोसा नहीं है, हम इसे अपने दिल से पढ़कर, समझकर कह रहे हैं। जो ए•टी•आर• है, उसमें भी राजनैतिक बू आती है। इसे भी रद्द किया जाए।

[श्री मुलायम सिंह यादव]

महोदय, हमारा यह सुझाव है कि कभी भी रियायर्ड जज से जांच नहीं करानी चाहिए, यह मेरी पक्की राय है। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, हमने भी जांच कराई है। हम जानते हैं कि रिटायर्ड जज भी राजनैतिक हो रहे हैं। वे भी राज्य सभा में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे आर्मी के जनरल तथा और भी बहुत से लोग राज्य सभा में जाने लगे हैं और लोक सभा में आने लगे हैं। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराए और कम से कम तीन साल की अवधि उसके रिटायर होने में बाकी होनी चाहिए। इस कमीशन को और एटीआर को रद्द करके दोबारा एक कमीशन बैठे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जज हो। जांच सुप्रीम कोर्ट की देख-रेख में हो और समयबद्ध हो। तीन महीने, छः महीने या एक साल के अंदर जांच हो, इससे ज्यादा समय किसी भी कीमत पर नहीं लगना चाहिए। सरकार भी यह कानून भी बना दे कि उसे जो रिपोर्ट चाहिए, सरकार तथा अधिकारियों की तरफ से जो भी सहयोग चाहिए, उनको इतने समय में सहयोग देना पड़ेगा। जहां तक पत्रावली का संबंध है, पत्रावली खो गई, गायब हो गई, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। गृह मंत्रालय भी किसी को जिम्मेदार नहीं कर रहा है कि पत्रावली कहां गई, उसके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। यह पता लगाना चाहिए कि वह पत्रावली कैसे गायब हुई और वह क्यों गायब हुई? यह भी एक संदेह है कि आखिर पत्रावली को क्यों गायब किया गया? पत्रावली भी नहीं मिली।

महोदय, मुझे याद है कि एक बार राजीव जी की धर्मपत्नी ने भी अमेठी में भाषण दिया था और बड़े दुखी होकर कहा था कि जो रिपोर्ट है वह हमें बताई नहीं जा रही है। कागज गायब किए जा रहे हैं। इस तरह देश में एक संदेह पैदा होता है। राजीव गांधी जी जैसे बड़े नेता की हत्या के मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाए, असली अपराधी को सजा मिले। इसलिए हमारी राय है कि सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराएं। हम फिर दोहराना चाहते हैं कि जांच सुप्रीम कोर्ट की ही देख-रेख में हो, हमें इस सरकार पर भरोसा नहीं है कि इस सरकार के रहते इसमें निष्पक्ष जांच होगी। न्यायालय का मान्य सिद्धान्त है कि जो संदेह के घेरे में आते हैं उनको भी छोड़ दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, आप तो वकील भी हैं, रोजाना हम अखबारों में पढ़ते हैं कि हत्या भले ही की हो लेकिन हम लोगों की जानकारी में है कि संदेह का लाभ उठा कर वे बच जाते हैं। संदेह के घेरे में आने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती। इसलिए एटीआर पर मुझे भरोसा नहीं है, इससे विशुद्ध राजनैतिक दुर्गन्ध आती है।

महोदय, मेरी मांग है कि आप गृह मंत्री जी से कहें कि एक समयबद्ध कमीशन बैठे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जज हो और वही इसकी जांच करे। हमारे बहुत सारे साथी जिन बातों को कह चुके हैं, उनको हम दोहराना नहीं चाहते। मैं यह जरूर खेद के साथ कहना चाहता हूं कि सदन का भी इतना समय लग रहा है। आयोग ने तो सात साल लगा दिए हैं और पैसा भी बर्बाद किया है। सदन ने व्यस्त कार्यक्रमों को छोड़ दिया और माननीय सदस्यों तथा नेताओं ने 11 बजे रात तक यहां बैठ कर इस बहस में हिस्सा लिया। उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, उनको ध्यान में रखा जाए ताकि सदन में जो चर्चा हुई है, वह व्यर्थ न जाए। इसलिए इस पर सदन सकारात्मक रुख के साथ ऐसा निर्णय ले या प्रस्ताव पारित करे, गृह मंत्री जी ऐसा निर्णय लें कि समय पर रिपोर्ट आए, जिससे असली अपराधी पकड़े जाएं और निर्दोष व्यक्ति बच सके, यही मुझे कहना है।

अपराह्न 1.00 बजे

नियम 357 के अधीन व्यक्तिगत स्पष्टीकरण—*जारी*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वी॰ पाटिल (लातूर) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से विषय से कुछ हटकर इस सभा में पहले उठाए गए एक मुद्दे पर बोलना चाहूंगा। श्री आनन्द मोहन ने आपके विशेषाधिकार के संबंध में एक मामला उठाया है और आप इसकी जांच कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप इस संबंध में कोई निर्णय अवश्य लेंगे। उससे यह पता चलता है कि वह मामला अखबारों तथा न्यायपालिका से भी संबंधित है। यह बहुत ही पेचीदा क्षेत्र है। हमें इस पर काफी सावधानीपूर्वक विचार करना होगा। यदि आप समझते हैं कि यह लीक से हटकर नहीं है और उचित है तो इस मामले में कुछ नेताओं के साथ भी चर्चा की जा सकती है।

इसका अर्थ है कि इस सभा को न्यायिक अधिकार होना चाहिए और इस सभा के न्यायिक अधिकार की किसी दूसरे द्वारा पुष्टि नहीं की जानी चाहिए अथवा कोई अन्य संगठन इस न्यायिक अधिकार को न ले जो उनका नहीं है।

अपराह्न 1.01 बजे

जैन आयोग की अंतिम रिपोर्ट और रिपोर्ट पर की-गई-कार्यवाही संबंधी शापन पर विचार किए जाने के बारे में प्रस्ताव—*जारी*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वी॰ पाटिल (लातूर) : महोदय, में समझता हूं कि जैन आयोग की रिपोर्ट पर की गई चर्चा काफी विश्वस्त, सच्ची, सीमित और जिम्मेदारीपूर्ण रही है। इसमें कुछ बातें सभा में दूसरी तरफ बैठे सदस्यों ने कही थी और कुछ इस तरफ बैठे सदस्यों ने कही है। मैं समझता हूं कि अगर हम सभी बातों पर एक साथ विचार करें तो हम

देखते हैं कि बहस के दौरान अत्यन्त महत्वपूर्ण बातों को काफी प्रबलता, विवेकता और प्रभावपूर्ण तरीके से उजागर किया गया है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस चर्चा का श्रेय सभी दलों और सभी नेताओं को जाता है जिन्होंने इस रिपोर्ट पर अपने विचारों को बहुत निष्ठापूर्वक, स्पष्ट रूप से और कभी कभी काफी लाभदायक और प्रभावी ढंग से प्रकट किया है।

मैं इस रिपोर्ट के अध्याय और लाइनों का उल्लेख नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि पूरी रिपोर्ट लगभग 12,000 पृष्ठों की है। अन्य दस्तावेज भी हैं। अपने तर्कों के पक्ष में रिपोर्ट से उद्धरण पढ़कर सुनाना दिए गए इस थोड़े से समय में संभव नहीं है। इसलिए मैं रिपोर्ट से उद्धरण पढ़े बिना अपनी बात कह रहा हूं।

कल अनेक सदस्यों ने रिपोर्टों से उद्धरण दिए थे और रिपोर्टें हमें उपलब्ध हैं। अपनी बात कहते हुए यदि हमें यह सत्यापित करना हो कि क्या ये बातें रिपोर्ट के अनुसार हैं या नहीं तो हम रिपोर्ट का संदर्भ दे सकते हैं और यह पर्याप्त होगा।

श्री राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। वे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। इसके अलावा वे बहुत ही सज्जन युवा, आकर्षक और दूरदृष्टा व्यक्ति थे। शेक्सपियर के शब्दों में कोई भी यह कह सकता है कि सभी स्थायानिक गुण उनमें इस प्रकार विद्यमान थे कि कहा जा सकता है कि यह पूर्ण व्यक्ति थे।

ऐसे व्यक्ति, ऐसे मित्र, ऐसे नेता को मार दिया गया है। और हम इस ओर बैठे हुए वास्तव में काफी दुखी हैं। हमारे दिल दुख से भरे हैं। जब हम इस सभा में वक्तव्य देते हैं तो हम वह वक्तव्य किसी संगठन, किसी पार्टी या किसी व्यक्ति के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना से नहीं देते बल्कि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम ऐसा महसूस करते हैं। हम न्याय पाने के लिए बोल रहे हैं। हम किसी ऐसे व्यक्ति को व्यर्थ ही परेशान नहीं करना चाहते जिसे दोषमुक्त पाया गया हो, जिसे निरपराधी ठहराया गया हो या जिसे षड़यंत्र में शामिल न पाया गया है।

परन्तु साथ ही, हम यह देखने में भी रुचि लेंगे कि हम किसी तार्किक निष्कर्ष तक पहुंच सकें और हम वास्तविक सच्चाई को जानने की कोशिश करें। रिपोर्ट के बारे में बोलते हुए अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग तरीके से अपने विचार प्रकट किए हैं। यह एक की गई जांच की रिपोर्ट है। हमें इस तथ्य को समझना चाहिए। यह किसी अन्वेषण की रिपोर्ट नहीं है। जांच और अन्वेषण के बीच अंतर होता है। जब कोई किसी अपराध या किसी घटना के कुछ पक्षों की जांच करता है तो हम एकदम से किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच जाते, हम केवल सच्चाई के निकट पहुंचने की कोशिश करते हैं जिससे असलियत का पता लग सके। हमें निर्देश दिए जाते हैं और हम उन निर्देशों और सूचनाओं को अन्वेषण प्राधिकारी, सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते हैं जिसके आधार पर अन्वेषण शुरू किया जा सकता है और मामले को न्यायालय में उठाया जा सकता है और न्यायालय अंतिम निर्णय दे सकता है। हमें जांच और अन्वेषण के बीच अन्तर को समझना होगा।

महोदय, कभी-कभी हमें लगता है कि जब सदस्य रिपोर्ट के बारे में बोलते हैं तो वे सोचते हैं कि यह रिपोर्ट अन्वेषण प्राधिकारी ने दी है। यह रिपोर्ट अन्वेषण प्राधिकारी ने नहीं दी है। यह रिपोर्ट जांच प्राधिकारी ने दी है। इस रिपोर्ट से जो कुछ सामने आता है उसके आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती थी। सरकार को इसकी फिर से जांच करनी होगी और आरोप पत्र दायर करने होंगे और उसके बाद ही लोगों को सजा दी जा सकती है। अन्यथा, इसके आधार पर किसी व्यक्ति को कोई सजा नहीं दी जा सकती।

लोगों का यह कहना कि इस रिपोर्ट का यह परिणाम रहा? इस रिपोर्ट का कोई परिणाम नहीं निकला। मुझे इस बात को स्वीकार करना बड़ा कठिन लग रहा है। इस रिपोर्ट से जो बात सामने आई है वह यह है कि कहीं चूक हुई थी; कुछ लोगों और कुछ एजेन्सियों की असक्षमता थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोई षडयंत्र हुआ था। रिपोर्ट कहती है कि लिट्टे इस षडयंत्र में शामिल था।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह घटना हमारे देश में होने वाली आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी लगती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि षड़यंत्र का दायरा उससे प्राप्त जानकारी से कहीं अधिक बड़ा है इसलिए इसकी आगे जांच होनी चाहिए। क्या ये निष्कर्ष उपयोगी नहीं है? क्या हम यह कह सकते हैं कि अगर कोई स्वतंत्र एजेन्सी या कोई न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचता है और यह मामला हमारे समक्ष रखता है तो क्या यह हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा?

महोदय, चूक के संबंध में रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट कहा गया है—न केवल एक रिपोर्ट बल्कि दो रिपोर्टों में कि अगर एस॰पी॰जी॰ को न हटाया जाता तो संभवतः यह अपराध न हुआ होता। लेकिन अब, लगता है कि एस॰पी॰जी॰ के होते हुए भी यह हो सकता था। यह कहना बहुत कठिन है कि ऐसा सर्वथा नहीं होता परन्तु अगर ऐसा कहा गया है कि एस॰पी॰जी॰ अधिक अच्छी सुरक्षा दे सकती थी तो हम इससे भी इन्कार नहीं कर सकते। अगर हम विगत में हुई घटना के संबंध में इस पक्ष पर विचार करना नहीं चाहते तो कम से कम इस पक्ष पर तो विचार कर सकते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। यह मामला किसी विशेष दल से संबंधित व्यक्ति के बारे में नहीं है बल्कि हम सभी से संबंधित है।

माननीय गृहमंत्री जी चेन्नई गए थे और उनका जीवन खतरे में पड़ गया था। क्या हमें स्वर्गीय राजीव गांधी के साथ घटी घटना से शिक्षा लेकर जरूरतमंद व्यक्ति को सुरक्षा नहीं प्रदान करनी चाहिए? हमारे लिए यह निष्कर्ष निकालना आवश्यक नहीं है कि हमें सुरक्षा दिए जाने का इन्तजार नहीं करना चाहिए? यदि आवश्यक हो तो सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। विगत को भुला दें, फिर भी भविष्य हमें बता रहा है कि हम ऐसे समय और स्थिति में जी रहे हैं जिसमें सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है, इसलिए हमें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की जान ले ली जाती है, अगर किसी व्यक्ति को मार दिया जाता है तो इससे न केवल वह मरने वाला व्यक्ति प्रभावित होता है बल्कि सरकार तंत्र में लोगों का सम्पूर्ण विश्वास ही खत्म हो जाता है। यह क्षति इतनी अधिक है कि इसकी पूर्ति नहीं हो सकती।

[श्री शिवराज वी॰ पाटिल]

उसकी प्रतिष्ठा ही चली जाती है। सरकार की प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। देश की प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। एक दूसरे पर से विश्वास ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए हमें भविष्य के संबंध में सावधान रहना होगा कि जिन व्यक्तियों को सुरक्षा की आवश्यकता है उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए चाहें वे सुरक्षा न चाहते हों। हमारे गृहमंत्री जी ने, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र है, सुरक्षा लेने से इन्कार कर दिया था। मैं उन्हें यह कहना चाहता हूं कि उन्हें सुरक्षा से इन्कार नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी उन्हें आवश्यकता है। न केवल उनका जीवन ही महत्वपूर्ण है बल्कि अगर उनके जीवन को कुछ हो गया तो पूरा देश ही विश्वास और प्रतिष्ठा खो देगा। इसलिए सुरक्षा जरूरी है। यह हमें इस रिपोर्ट से सीखना चाहिए। क्या यह सब बातें हमें रिपोर्ट में बड़ी मार्मिकता, सक्षम रूप से और प्रभावी रूप से नहीं बताई गई हैं? यद्यपि यह बात रिपोर्ट में कही गई है पर हमारी समस्या यह है कि हम इसे समझ नहीं रहे हैं। अगर यह रिपोर्ट में कहा गया है और हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो यह हमारा काम है। हम न्यायाधीश या उस व्यक्ति को दोष नहीं दे सकते जो आयोग की अध्यक्षता कर रहा था।

अपर्याप्तता एक अन्य कारण है। श्री राजीव गांधी श्री पेरूम्बदुर गए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई थी। यहां तक कि वह व्यक्ति भी उनके साथ नहीं थे जिन्होंने उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी थी क्या यह ऐसी बात नहीं है जिससे हमें भविष्य के लिए सीख लेनी चाहिए? मैं समझता हूं कि इसमें कुछ ऐसा है जिससे हम भविष्य के लिए कुछ सीख सकते हैं। रिपोर्ट कहती है कि संदेश पकड़े गए थे परन्तु कुछ संदेशों का अभिप्राय नहीं जाना जा सका था क्योंकि वे जटिल थे और हमारे व्यक्ति उन्हें पढ़ नहीं सकते थे। क्या इस सबसे हम भविष्य में कुछ करने की ओर ध्यान नहीं खींच सकते थे? रिपोर्ट कहती है कि पुलिस बल के पास उपलब्ध आसूचना पर्याप्त नहीं थी। क्या यह ऐसी बात नहीं है कि हम इस रिपोर्ट से यह समझें कि हमें देश में हो रही आतंकवादी गतिविधियों से खुद को बचाना चाहिए।

यदि हम रिपोर्ट में से कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो वह बात हम पर निर्भर करती है। परन्तु यदि हम प्रत्येक शब्द, वाक्य परिच्छेद और रिपोर्ट को पूर्ण रूप से पढ़ते हैं, तो मेरे विचार से इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है। परन्तु महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास पढ़ने की इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय होना चाहिए और इसे पढ़कर देखना चाहिए कि इसमें क्या कहा गया है और उसके अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए।

इसलिए, मेरे विचार से जब हमने आयोग स्वयं नियुक्त किया है और यदि इसकी रिपोर्ट से पूरी तरह हम सहमत नहीं हैं, तो आयोग पर आपत्ति करना गलत होगा। इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं है। मेरा निवेदन है कि न्यायमूर्ति जैन कतिपय परिस्थितियों में कार्य कर रहे थे। उनके समक्ष कतिपय कठिनाइयां थी उन्होंने उन कठिनाइयों का उल्लेख रिपोर्ट में किया है यदि हमें कुछ कहना है, तो उन कठिनाइयों के बारे में कुछ कहना चाहिए। संभवतः उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के कुछ अंशों पर हम सहमत नहीं हो सकते हैं। यदि रिपोर्ट की पूर्णता को हम स्वीकार करते हैं, तो इसकी आलोचना करना गलत होगा। आयोग नियुक्त करने के पश्चात् इसकी आलोचना करना और यह कहना कि यह हमें स्वीकार्य नहीं है, सही नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी का यह दृष्टिकोण नहीं है।

कांग्रेस पार्टी का दृष्टिकोण यह है कि जो कुछ भी रिपोर्ट में कहा गया है वह हमें स्वीकार है। हम नहीं चाहते कि इस मामले को फिर से खोला जाये। हम चाहते हैं कि रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर कार्रवाई की आनी चाहिए और यदि कार्रवाई के लिए और अधिक जांच की आवश्यकता है, तो हमें आगे जांच भी करनी चाहिए। हमें जांच करनी चाहिए और संदेह के लाभ के सिद्धान्त को प्रयोग में लाते हुए तर्कसंगत अन्तिम निष्कर्षों पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस मामले को इस प्रकार से सिद्ध किया जाना चाहिए कि इसमें सन्देह की कोई गुंजाइश नहीं रहे अन्यथा किसी को भी परेशान मत कीजिए ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई मत कीजिए जो इस कांड में संलिप्त न हो।

कांग्रेस पार्टी का यह दृष्टिकोण नहीं है। इस रिपोर्ट को एक न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत किया गया है और इसमें कतिपय निष्कर्ष निकाले गए हैं। सरकार ने कार्यवाही के लिए कुछ मुद्दों का चयन किया है और जिन 18 मुद्दों का चयन किया है वे सभी महत्वपूर्ण हैं। यदि कोई इन मुद्दों को पढ़ता है तो वह समझ सकता है कि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का स्वरूप क्या है इसीलिए हमारी पार्टी को यह रिपोर्ट स्वीकार्य है। हम यह नहीं कहना चाहते हैं कि यह अच्छी रिपोर्ट नहीं है इसके विपरीत, हम यह कहना चाहते हैं कि न्यायाधीश को कतिपय परिस्थितियों के अधीन कार्य करना पड़ा था, कार्य की परिधि और अधिकार क्षेत्र काफी व्यापक था।

हमें इस मामले को दो भागों में समझना होगा—एक तो उन लोगों से संबंधित है जो कि राजीव गांधी की हत्या के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे और दूसरा यह पता लगाना कि क्या कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने शायद हत्या की योजना में कतिपय सामग्री की आपूर्ति कर सहायता पहुंचायी थी। इस मामले के पहले भाग में कोई शंका नहीं है। इसकी जांच की गई। इस मामले की विशेष न्यायालय के सामने पेश किया गया और सजा दी जा चुकी है। यह मामला अब उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और हम अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वर्मा आयोग ने इस बात की जांच की कि दुर्घटना स्थल पर वास्तव में क्या हुआ था। जैन आयोग को इस घटना की परिणति तक के जाने वाली परिस्थितियों की जांच करनी थी। अन्ततः इससे यह अपेक्षा थी कि यह इस बात का पता लगाए कि क्या इसमें कोई साजिश रची गई थी और यदि हां, तो पद कितनी बड़ी साजिश थी और इसमें कौन लोग और संगठन सम्मिलित थे। यदि कोई इसके आगे कुछ चाहता है, तो उसे इसके आगे की जांच करवाई जानी चाहिए। इस दूसरे भाग में कुछ कठिनाई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कतिपय लिट्टे नेता इसमें संलिप्त है। इसमें कतिपय लिट्टे नेताओं का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। शब्दों का कोई हेर-फेर नहीं है, इसीलिए निष्कर्ष पर पहुंचने

में कोई कठिनाई नहीं है। यदि इसमें भी जांच की आवश्यकता है तो हमें यह जांच भी करनी चाहिए। परन्तु इसका क्षेत्र काफी व्यापक है।

जहां तक साजिश का सम्बन्ध है, मैं रिपोर्ट से बाहर कुछ कहने के लिए आप से अनुमति चाहता हूं। यह सम्भव नहीं है कि इस रिपोर्ट में यह प्रत्येक बात शामिल की जा सके। अब यह सिद्ध हो चुका है कि निसंदेह यह एक षड़यंत्र था। अब प्रश्न उठता है कि इस षडयंत्र में कौन-कौन संलिप्त है। कुछ व्यक्तियों और कुछ संगठनों के विरुद्ध पक्के सबूत हैं और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अन्य व्यक्तियों और अन्य संगठनों के विरुद्ध रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि जांच की जानी चाहिए और अधिक जानकारी एकत्रित की जानी चाहिए। यह षडयंत्र का एक भाग है—एक व्यक्ति के विरुद्ध षडयंत्र।

मैं कुछ और बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। राजीव गांधी एक उत्साही और होनहार नेता थे। उनसे अपेक्षा थी कि वह राजनीति में काफी समय तक अपनी भूमिका निभायेंगे। वे देश के लोगों को स्वीकार्य थे। विकासशील और अन्य देशों से आने वाले लोग उन्हें मानते थे उनसे अपेक्षा की जा रही थी कि वह काफी लम्बे समय तक राजनीति में अपनी भूमिका निभाएंगे। उनकी पहले अतिशय प्रशंसा की गई थी ओर फिर उनसे कतिपय अच्छे कार्यों की उपेक्षा थी। किसी भी नेता के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह लोगों की सभी अपेक्षाओं को पूरा करें और उन पर खरा उतरें। उनकी यह कहकर आलोचना की गई कि उनके द्वारा किए गए कार्यों से अपेक्षित परिणाम नहीं निकले। उनकी यह कहकर आलोचना की गई कि वे अक्षम हैं उनकी यह भी आलोचना की गई कि वे अच्छे ढंग से आचरण नहीं कर रहे हैं। उनकी निन्दा की गई उनकी प्रतिष्ठा पर हमला किया गया। लोग उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म करना चाहते थे और लोगों ने उन्हें राजनीतिक रूप से समाप्त करने का प्रयास भी किया। इन सब बातों के बावजूद भी जब वे सत्ता में आने के लिए तैयार थे तब उनकी हत्या कर दी गई। क्या हमारे देश के सभी प्रसिद्ध नेताओं के साथ ऐसा नहीं हुआ है? क्या श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ ऐसा नहीं हुआ था? क्या ऐसा राजीव गांधी के साथ नहीं हुआ था? आप इस प्रकार की घटना को क्या कहेंगे? क्या आप इसे एक षडयंत्र नहीं कहेंगे यद्यपि कानून की दृष्टि से ऐसा नहीं है। आप इसे किसी भी तरह का नाम दे सकते हैं।

परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यह षडयंत्र है। ऐसे षडयंत्र का पता लगाना, इसे नियंत्रित करना और इसके लिए दण्ड देना कठिन है। परन्तु श्री राजीव गांधी के विरुद्ध ऐसा षडयंत्र रचा गया और उन्हें इसका खमियाना भुगतना पड़ा। उन्हें मानसिक रूप से पीड़ित होना पड़ा, उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची; अन्ततः उन्हें शारीरिक रूप से पीड़ित होना पड़ा और उन्हें राजनीतिक परिदृश्य से हटा दिया गया। यदि ऐसा षडयंत्र रचा जाता है, तो उसे रोकना कठिन है।

अब एक तीसरी बात है? ऐसा क्या होता है? भारत एक विशाल देश है और यदि भारत को एकजुट रहना है और भारत को प्रगति करनी है, तो इसे एक ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो सक्षम हो, जो देश को एकजुट रख सके, जो भविष्य को देख सके जो देश में सक्षमता ला सके और जो अन्य देशों के साथ कदम मिलाकर चलने में इस देश की सहायता कर सके। इसके लिए सरकार की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण होती है। इसके लिए भारत को सरकार का समर्थन चाहिए। केवल सरकार ही महत्वपूर्ण नहीं है। बाहर भी ऐसे लोग हैं, जो सहायता करेंगे परन्तु उस सरकार के द्वारा मर्यादाएं सृजित की जाती है और फिर इस सरकार की एक विचारधारा होनी चाहिए या ऐसे व्यक्तियों का समूह हो जो इस विचारधारा को मानते हों, जिसे एक दल कह सकते हैं और उस दल का समर्थन चाहिए। ऐसी सरकार एक उपयुक्त सरकार प्रदान कर सकती है और फिर उस दल और उस विचारधारा को एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन चाहिए जो भविष्यद्रष्टा हो, जिसकी लोगों के दिलों तक पहुंच हो। श्री राजीव गांधी ऐसे ही व्यक्ति थे।

अब यदि आप किसी देश को अस्थिर करना चाहते हैं, तो आप सरकार को अस्थिर कीजिए; यदि आप सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, तो आप पार्टी को अस्थिर कीजिए; यदि आप पार्टी को अस्थिर बनाना चाहते हैं, तो आप नेता को अस्थिर कीजिए, आप उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाइए और फिर अन्ततः उसकी निन्दा करने के बावजूद भी वह सत्ता में वापस आता है, तो उसे सत्ता से हटा दीजिए। क्या श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री राजीव गांधी के साथ ऐसा ही नहीं हुआ? क्या यह एक षडयंत्र नहीं है? क्या हम इस प्रकार के षडयंत्र से कुछ सीख नहीं सकते? क्या हम, इस पक्ष या उस पक्ष का साथ दिए बगैर, ऐसा फिर से नहीं होने के लिए कुछ नहीं करते? यदि इस पक्ष या उस पक्ष के किसी नेता की जान को खतरा हो, तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। हम नही चाहते हैं किसी नेता की प्रतिष्ठा को अनावश्यक और अन्यायपूर्वक कलंकित किया जाये। हम चाहते हैं कि प्रतिष्ठा बनी रहे। अब यह भी हो रहा है और इससे भी अधिक हो रहा है।

एक बात और है आप दक्षिण एशिया का उदाहरण लीजिए। क्या हमने महसूस किया कि दक्षिण एशियाई देशों के नेताओं की हत्याएं हुई हैं? नेताओं, प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों की हत्या की गई हैं पाकिस्तान में, भारत में, बंगलादेश में और श्रीलंका में इनकी हत्याएं हुई हैं। और दक्षिण एशिया में हत्या किए गए नेताओं की संख्या दुनिया के अन्य हिस्सों में हत्या किए गए नेताओं की संख्या से अधिक है। ऐसा क्यों हो रहा है? सम्भवतः ऐसा इसीलिए हो रहा है कि कहीं न कही गडबड है क्योंकि हम एक दूसरे पर बिना किसी सीमा और बिना किसी प्रतिबंध के दोषारोपण कर रहे हैं। हमें जो मारना चाहते हैं उनके लिए हमें शिकार या लक्ष्य बनाना असम्भव नहीं है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस क्षेत्र से बाहर की कोई शक्ति चाहती है कि यह क्षेत्र जोकि प्राकृतिक रूप से संसाधन सम्पन्न है, जो विश्व का अत्यधिक शक्तिशाली हिस्सा है, धीमी गति से प्रगति करे, हमारे साथ नहीं बल्कि हमारा पिछलगू बना रहे। यदि पूरे विश्व में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो क्या यह हमारे लिए आवश्यक नहीं है कि हम इस मामले पर ध्यान दें? मेरे विचार से जो राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, वे हमारी आपसी दुश्मनी के कारण हुई हैं। इस बात को भी समझा

[श्री शिवराज वी॰ पाटिल]

जाना चाहिए। यह मामला विदेश नीति से संबंधित और इस पर हमें विचार करना पड़ेगा।

सच्चाई की आसानी से उपेक्षा नहीं की जा सकती है। यह केवल कानूनी मामला नहीं है। यदि यह केवल कानूनी मामला ही होता, तो इस पर विशेष न्यायालय या जिला न्यायालय या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्यायालय या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में चर्चा की जा सकती है। इसका संबंध राजनीति से भी है इसके अतिरिक्त अधिक इसका संबंध इतिहास से भी है। इन बातों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

षडयंत्र के बारे में इतना कुछ कहने के बाद अब प्रश्न यह उठता है हम क्या कर सकते हैं, हम सरकार से क्या करने की अपेक्षा रखते हैं? की-गई-कार्रवाई रिपोर्ट दे दी गई है। हमारे सदस्य की-गई-कार्रवाई रिपोर्ट पर बोल चुके हैं। कुछ सदस्यों ने इसकी आलोचना की और कहा कि यह सन्तोषप्रद नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह पूरी तरह असंतोषप्रद है या कुछ ऐसी ही बातें मैं नहीं कहना चाहता। कुछ बातें हो सकती हैं, जिन पर हमारे विचार भिन्न-भिन्न हों।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह रिपोर्ट में दी गई सभी बातों पर कार्यवाही करें। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वे उन पर कार्यवाही करें। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई कि जब श्री आडवाणी जी ने अर्थपूर्ण अपने संक्षिप्त वक्तव्य में कहा कि उनका विचार पता लगाए गए तथ्यों पर कार्यवाही करने का है। उन्होंने कहा था कि यदि अन्य सुझाव भी आते हैं, तो वे उन पर विचार करेंगे और यदि यह आवश्यक हुआ और वे कार्यवाही कर सकने की स्थिति में हुए तो वे उन पर कार्यवाही करेंगे। यह बहुत ही स्वीकार्य दृष्टिकोण है और हम समझते हैं कि इस दृष्टिकोण की भावना को बनाए रखा जाएगा और सरकार यहां दिए गए तथ्यों पर कार्यवाही करेगी।

श्री शिव शंकर ने विस्तार से बताया। उन्होंने कई तथ्य और आंकड़े बताए हैं और इस मामले के कानूनी पहले पर प्रकाश डाला है। किन्तु अपने भाषण के अन्त में उन्होंने कुछ सुझाव दिए है। उन्होंने कहा कि इन बिन्दुओं पर कुछ और कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता थी। शायद की-गई-कार्यवाही रिपोर्ट में वे बिन्दु नहीं हैं और हमें सरकार से उन बिन्दुओं पर कार्यवाही करने की अपेक्षा है। हम सरकार से कांग्रेस पार्टी की ओर से मुख्य वक्ता श्री शिव शंकर द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किये जाने का अनुरोध करते हैं। केवल श्री शिव शंकर ने ही सुझाव नहीं दिए है अपितु अन्य सदस्यों ने भी सुझाव दिए है। हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार उन सुझावों पर भी गौर करेगी।

कुछ सिद्धान्त प्रतिपादित किए हैं जिस सिद्धान्त के बारे में मैंने कहा है और उस अन्य पक्ष के सदस्य द्वारा भी एक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। माननीय गृहमंत्री को सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों की छानबीन करनी चाहिए और उन पर गौर करना चाहिए तथा यदि उनके लिए संभव हो तो उन पर कार्यवाही करनी चाहिए। यदि उन पर कार्यवाही करना संभव न हो तो हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह उन बिन्दुओं पर चर्चा कराए, या तो सरकार सदस्य को मना ले या सदस्य सरकार को मना लें और उसके बाद उस पर कार्यवाही की जा सकती है। अब हमें आशा है कि ऐसा किया जाएगा।

तीसरी बात जो मैं कहता हूं वह यह है कि सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने पर होने वाला व्यय देश में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। लोगों का कहना है कि सुरक्षा पर कई करोड़ रुपये व्यय किए गए, और किसी व्यक्ति के लिए उसे प्रदान की गई सुरक्षा स्वीकार करना बहुत कठिन है क्योंकि वह स्वयं को दोषी समझता है। किन्तु साथ ही हमने अनेक नेताओं को खोया है। एक मुख्यमंत्री, एक धार्मिक समुदाय के नेता, दो प्रधानमंत्रियों एक पूर्व प्रधानमंत्री व एक कार्यरत प्रधानमंत्री की हत्याएं की गई। अन्य पार्टियों भाजपा और अन्य दलों के भी अनेक नेताओं की हत्याएं की गई हैं।

हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह स्वतः पता लगाएगी कि उन लोगों को किस प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता है और उनके कहे बिना उन्हें यह सुरक्षा उपलब्ध कराएगी। हम इस सुरक्षा को इसलिए उपलब्ध कराएंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि विश्व इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हम लोगों के पास अपने नेताओं को संरक्षण देने की क्षमता भी नहीं है।

मैं जानता हूं कि कुछ लोग कहेंगें कि नहीं हमें किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, आप चिंतित न होए यदि आवश्यक हो और यदि गृह मंत्री इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाने चाहिए तो हमें उस सुरक्षा को स्वीकार करने के लिए उन्हें बाध्य करना होगा। क्योंकि उसका जीवन ही नहीं अपितु विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरी चौथी बात की जाने वाली कार्यवाही के बारे में है।

अपराह्न 1.29 बजे

[श्री पी॰एम॰ सईद पीठासीन हुए]

महोदय, मैं दो बातें कहने के बाद बैठ जाऊंगा, एक बात विलम्ब के बारे में है। कभी-कभी विलम्ब बड़ा कष्टदायी होता है। सोनिया जी ने भी विलम्ब के बारे में कुछ कहा है। शायद उनका यह मानना है कि एक जीवन तो नहीं रहा और फिर न्याय भी नहीं किया गया। उन्होंने इस मामले में विलम्ब के बारे में कुछ कहा है। विलम्ब वास्तव में कष्टदायी होता है। विलम्ब के कारण साक्ष्य भी नष्ट हो जाते हैं। यदि समय से न्याय नहीं मिला तो यह निष्फल भी हो जाते हैं।

कानून में एक उक्ति है न्याय में विलम्ब किये जाने से न्याय नहीं मिल पाता हैं किन्तु एक उक्ति यह भी है कि न्याय में जल्दबाजी किये जाने से न्याय दफन हो जाता है हम नहीं चाहते कि इन दो चरम स्थितियों को अपनाया जाए। न तो अत्यधिक विलम्ब होना चाहिए और न ही असाधारण जल्दबाजी होनी चाहिए ताकि कहीं ऐसा न हो न्याय बिल्कुल किया भी न जाए, इसलिए हमें विलम्ब से बचना होगा, साथ ही उनके साथ समुचित न्याय भी किया जाए।

अब मैं बहु-अनुशासनिक निगरानी एजेंसी पर आता हूं। इस मुद्दे पर श्री शिव शंकर ने आपको एक स्वतंत्र एजेंसी बनाने के लिए कहा था और यह आपके लिए मददगार होगी तथा सरकार की ओर से यह सही ही कहा गया था कि जांच के लिए एक सांविधिक प्राधिकरण होना चाहिए और जब तक इसमें पुलिस बल नहीं होगा उस सांविधिक प्राधिकरण को न ही कोई प्राइवेट व्यक्ति और न ही सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति उसको आदेश दे सकेगा और उपयोग कर सकेगा इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि इस प्रयोजन के लिए आप एजेंसी का गठन कर सकते हैं किन्तु इस एजेंसी के सदस्य ऐसे व्यक्ति हों जिनमें सभी को विश्वास हो, मेरे विचार से ऐसा संबंधित व्यक्तियों और अन्य सभी दलों से भी चर्चा करके किया जा सकता है। अब यह कैसे किया जाए इन सभी ब्यौरों पर गौर करना आवश्यक है और मैं इस बात को सरकार पर छोड़ देता हूं कि इस पर गौर करे। कुल मिलाकर मेरा कहना है कि कोई भी रिपोर्ट सभी सदस्यों को संतुष्ट नहीं कर सकती है। किन्तु मेरे विचार से यह रिपोर्ट न केवल स्वीकार करने योग्य है अपितु लागू करने योग्य भी है इसलिए इस रिपोर्ट को लागू किया जाना चाहिए।

कुछ ऐसे बिन्दु हैं जिनके बारे में शायद और सबूतों की आवश्यकता है। हमें और साक्ष्य जुटाने चाहिए और उन पर कार्यवाही करनी चाहिए। निष्कर्षतः मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा सुरक्षा या देश की रक्षा पर किया गया व्यय व्यर्थ नहीं है यदि हम अपने देश की रक्षा नहीं करते हैं तो सारी प्रगति बेकार है यदि हम अपने नेताओं या लोगों या मानव जाति सभी मनुष्यों की रक्षा की जानी चाहिए, की रक्षा नहीं कर पाते हैं तो वह भी बेकार है, इस क्षेत्र में हमें किसी प्रकार का दृष्टिकोण, सिद्धान्त और दर्शन विकसित करना होगा और वह उपयोगी हो सकता है।

सभापति महोदय : कृपया थोड़ा संक्षेप में बोलिए।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ (बारामूला) : मैं, संक्षेप में कहने का प्रयास करूंगा, जो पहले कहा जा चुका है मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। सभापति महोदय मैंने कल आरंभ के तीन या चार भाषण सुने और मैंने उनका आनन्द लिया, उन्हें सुनकर मुझे लगा कि यह सभा हाऊस आफ कामन्स बन गया है। क्योंकि इसमें हाउस ऑफ कामन्स की कुछ विशेषताएं हैं क्योंकि हाउस ऑफ कामन्स विश्व की संसदों की जननी है। मुझे हाउस ऑफ कामन्स में जाने और वहां वाद-विवाद सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

श्री शिवशंकर के व्यापक और अच्छे भाषण का श्री राम जेठमलानी की ओर से उत्साहवर्धक प्रत्युत्तर दिया गया। वस्तुतः उन्हें यहां होना चाहिए था। फिर भी मैं उन्हें बधाई देता हूं। यह बताता है कि देश के हित में किसी स्थिति पर हमें किस प्रकार प्रतिक्रिया करनी चाहिए। उनके द्वारा राजीव गांधी को महान व्यक्ति कहना मुझे व्यक्तिगत रूप से आनन्ददायक लगा। उनके प्रत्युत्तर में गर्मजोशी थी। वस्तुतः श्री जेठमलानी ने वाद-विवाद का स्तर काफी ऊंचा कर दिया है। श्री शिव शंकर और कामरेड इन्द्रजीत गुप्त यह पहले ही कह चुके हैं। मैंने डा॰ सुब्रहमण्यम स्वामी का भाषण सुना। अभी मैंने श्री शिवराज पाटिल का भाषण सुना। मुझे इस सभा में वाद-विवाद के स्तर से काफी संतोष मिला। श्री राजीव गांधी की हत्या के बारे में जैन आयोग की रिपोर्ट ने अधिक प्रकाश नहीं डाला है क्योंकि पहली रिपोर्ट को मैंने बड़े ध्यान से देखा है चूंकि उस समय मैं मंत्री का इसलिए मैं कुछ कहना चाहता था। मैं रिपोर्ट में की गई सामान्य टिप्पणियों और श्री वी॰पी॰ सिंह, श्री चन्द्रशेखर और अन्य के बारे में की गई उत्तेजक टिप्पणियों से पूर्णतः असहमत था। उससे मुझे दुख हुआ।

मुझे न्यायपालिका के बारे में कुछ कहना है। उसने कई तरह से गलत निर्णय दिए है। इस मुद्दे पर यह सभा दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठ रही है। इस सभा को दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए क्योंकि लोक सभा भारत की जनता की अंतिम आशा है।

उस संबंध में हम कोई प्रभावशाली कार्य नहीं कर रहे हैं। मैं कानूनी जानकार नहीं हूं किन्तु न्यायिक सुधार में मेरी काफी रुचि है।

मुझे जैन आयोग की वजह से एशिया के उदीयमान सितारे श्री राजीव जी की स्मृति उन्हें श्रद्धान्जलि देने का अवसर मिला हैं वे स्वयं में तीसरी दुनिया के नेता थे और हमारे लिए वे दूरदृष्टि रखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में अपने प्रतिभाशाली विचारों के साथ हमें इक्वीसवीं सदी में ले जाना था। कभी-कभी मैं धारावाहिकों में पात्रों को उनके नाक, कान और मुंह से आग उगलते देखता हूं और स्कूलों में युवा पीढ़ी को देखकर तरस आता है कि विज्ञान और प्रौद्यागिकी की दुनिया में इस तरह की स्थिति होते हुए टेलीविजन के होते हुए किस प्रकार आगे बढ़ेगे। संपूर्ण देश को विज्ञान और प्रौद्योगिक की जानकारी देने के बारे में श्री राजीव गांधी की सही दृष्टि थी और जैसा श्री राम जेठमलानी ने कहा कि इस देश के लिए यह दुखद त्रासदी थी यह न केवल एक नेता की हत्या की अपितु हमें एक षडयंत्र के समक्ष भी झुकना पड़ा जिसे बड़ी सावधानी से रखा गया था। इस बारे में मैं विस्तार में नहीं जा सकता क्योंकि इस बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है।

माननीय गृहमंत्री के प्रत्युत्तर ने मुझे उत्साहित किया है क्योंकि उन्होंने इस सभा को आश्वासन दिया है और मुझे आशा है कि वे अपने वायदे को पूरा करेंगें। उन्होंने कहा कि वे निश्चित तौर पर तथ्यों को इस सम्माननीय सभा के समक्ष रखेंगे और सरकार की और से वे सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। इसी बात की मांग श्री शिवशंकर ने की थी। उन्होंने पहले कहा था कि यह सरकार सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। मैं अपेक्षा करता हूं कि यह आश्वासन ईमानदारी से दिया गया और वास्तविक रहेगा।

अब मैं जैन आयोग के बारे में बोलूंगा। मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। किन्तु उसे अन्तरिम रिपोर्ट में अपवादों की पूरी तरह से उपेक्षा की गई की और इससे मुझे दुख हुआ कि किस प्रकार कुछ न्यायाधीश कहां तक जा सकते हैं इस सेवानिवृत्त न्यायाधीश के पास सामान्यीकरण और बहुत से व्यक्तियों जिन्हें हम अत्यधिक आदर देते हैं, को एक ही श्रेणी में रखने का कोई आधार नहीं था तथा जब उस न्यायाधीश ने इस पर राष्ट्र की सशक्त

[प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़]

प्रतिक्रिया देखी तो उन्होंने दूसरी रिपोर्ट में इसे सही कर दिया, उस न्यायाधीश के लिए यह सही नहीं था कि वह उस प्रकार से अपनी भूल के लिए सुधार करे क्योंकि उन्होंने इस देश की जनता की भावनाओं के हिसाब से अधूरे मन से कार्य किया। उस पर मैं थोड़ी देर में आऊंगा।

किन्तु साथ ही मैं न्यायमूर्ति वर्मा का उल्लेख करना चाहता हूं क्योंकि मैंने उनकी रिपोर्ट को देखा है। और मैं उस न्यायाधीश माननीय न्यायाधीश को जानता था लेकिन मैं उनसे मिला नहीं था और बाद में मैं उनसे मिला भी हूं।

मैं उनका बहुत आदर करता हूं और यह इस संसद के कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया जा रहा है कि उन्होंने देशवासियों को अपनी सत्यनिष्ठा, आपत्तिरहित सत्यनिष्ठा का पर्याप्त सबूत दिया है और उनकी रिपोर्ट बहुत संगत थी। यह इस सभा के लिए प्रश्न चिह्न है कि वह सुझाव स्वीकार और कार्यान्वित क्यों नहीं किए गए।

अब संक्षेप में श्री शिव शंकर के विस्तृत भाषण का उल्लेख करते हुए जो कि उन्होंने आरम्भ में दिया था, उन्होंने दो बातें कही थी जिसको माननीय गृह मंत्री ने भी अवश्य नोट किया होगा। कुछ और लोगों पर भी आरोप लगना चाहिए था। मैं दो अथवा तीन मिनट में अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

कुछ लोगों पर आरोप लगना चाहिए। उन्होंने सूची दी है और माननीय श्री मुरासोली मारन ने भी उनके नामों का उल्लेख किया है। उसमें काफी तथ्य है। मैं आपका समय व्यर्थ नहीं रहा हूं। ऐसा किया जाना चाहिए और श्री राम जेठमलानी ने श्री शिव शंकर द्वारा दिए गए सुझावों का उत्तर देते हुए कहा था कि हमें भूतकाल में वापस नहीं जाना चाहिए। जी हां, हमें हमेशा भूतकाल में नहीं जाना चाहिए। भूतकाल को हमारे पैरों की बेड़िया नहीं बनना चाहिए। लेकिन भूतकाल को भविष्य के लिए रोशनी दिखानी चाहिए। इसलिए मैं भूतकाल में वापस नहीं जाना चाहता और संदिग्ध व्यक्तियों की खोज नहीं करना चाहता। मैं यह भी नहीं कहूंगा कि मोसाद और सी॰आई॰ए॰ के बारे में श्री जफर सैफुल्लाह की टिप्पणियां कि उनके किसी बड़े व्यक्ति से संबंध हैं सही नहीं हो सकती है। लेकिन निश्चय ही, मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह खोई हुई फाइल के बारे में उत्तर दें। वह फाइल महत्वपूर्ण समझी जानी चाहिए।

प्रधानमंत्री के कार्यालय अथवा गृह मंत्री के कार्यालय में रखे गए रिकार्डों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? उस फाइल को अवश्य ही खोजना चाहिए। माननीय गृह मंत्री को हमें वह तरीका बताना चाहिए जिससे हम सच का पता लगा सके।

सभापति महोदय : कृपया अब बस कीजिए।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ : कुछ लोग केन्द्रीय जांच ब्यूरो के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं। मैं उस संगठन के बारे विशेष रूप से कुछ नहीं कह सकता। लेकिन माननीय मंत्री महोदय को हमें स्पष्ट रूप से यह व्याख्या करनी चाहिए कि सच्चाई जानने का क्या रास्ता है।

महोदय, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जैन ने अनेक लोगों के बारे में अनेक अपवादों की उपेक्षा करने वाली टिप्पणियां की थीं। उन्होंने उन्हें कहने के दौरान ही उनमें सुधार भी कर लिया था। यदि उन्होंने कुछ न्यायाधीशों द्वारा अपने विनिर्णयों को संशोधित और पुनरीक्षित करने और अमरीका में, आस्ट्रेलिया में और अन्य स्थानों पर क्षमा-याचना मांगने की प्रक्रिया का पूरा अध्ययन किया होता तो उन्होंने सभी तमिलो को उग्रवादी कहने के लिए भी माफी मांगी होती। इससे उनका सम्मान बढ़ जाता। उन्होंने माफी नहीं मांगी है।

सभापति महोदय : प्रो॰ सोज, अब कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ : महोदय, मैं इस सभा से निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि न्यायमूर्ति जैन ने तमिलों को उग्रवादी कहने के लिए माफी नहीं मांगी है, इस सभा को उनकी अपवादों की उपेक्षा करने वाली और सभी तमिलों को उग्रवादी कहने के लिए टिप्पणियों के लिए और फिर उन्हें वापस लेने के लिए उनके विरूद्ध अप्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि, उनका यह अभिप्राय कभी नहीं था लेकिन उन्होंने ऐसा कहा है। यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल है।

सभापति महोदय : प्रो॰ सोज़ कृपया बस कीजिए। अभी तीन वक्ता और हैं और हमें अपराहन् 2 बजे चर्चा समाप्त करनी है।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ : महोदय, मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं लेकिन ठीक है मैं दो पंक्तियों के साथ समाप्त करूंगा। मेरी न्यायमूर्ति जैन के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मैं उन्हें नहीं जानता था।

[हिन्दी]

मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर वे यह समझते हैं, उनके मन में दर्द है...(*व्यवधान*) पहले वे रिमार्क करेंगे...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रो॰ सोज़, कल जब आपका नाम बुलाया गया था, आप अनुपस्थित थे लेकिन फिर भी अध्यक्षपीठ ने आपको बोलने का समय दिया। अब आपको अपना भाषण समाप्त करना चाहिए।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ : महोदय, मैं न्यायमूर्ति जैन के विरुद्ध नहीं हूं। मैं उनका सम्मान करता हूं। क्या मैं दो पंक्तियां कह सकता हूं?

[हिन्दी]

फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर

मर्दे नादां कलामे नर्मो-नाजुक बेअसर।

डा॰ शकील अहमद (मधुबनी) : यह किसके लिए है?

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : यह सदन के बाहर के लोगों के लिए है।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : सभापति महोदय, आदरणीय शिव शंकर जी, शिवराज पाटिल जी, जोगी जी और पायलट जी ने सदन में बोलते हुए दुख प्रकट किया। ये लोग ट्रूथ जानना चाहते हैं। मैं कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहता हूं कि अगर सचमुच आपके मन में दर्द है तो जिन फाइलों का जिक्र आपने किया, जो डाक्यूमेंट जैन कमीशन ने मांगे थे, वे क्यों नहीं दिए गए? ए•आई•सी•सी• की कॉसिल ने भी यही मांग की थी। तब कांग्रेस की ही सरकार 1991 से 1996 तक थी। जब इनकी सरकार थी तो फिर क्यों नहीं डाक्यूमेंट दिए गए? जस्टिस जैन ने भी कहा था कि "मैंने जितने डाक्यूमेंट मांगे थे, उसका दसवां हिस्सा भी मुझे नहीं मिला"। अभी मुलायम सिंह जी बोल रहे थे और कह रहे थे कि स्वर्गीय राजीव गांधी की पत्नी सोनिया जी दुख भोग रही हैं। उन्होंने भी कहा कि इनकी सरकार ने कागज गायब किए। सरकार को पता लगाना चाहिए कि इसके पीछे किसका हाथ है? मुझे ऐसा लगता है कि यह अंतिम रिपोर्ट नहीं है, यह अंतरिम रिपोर्ट है। इन्क्वायरी कमीशन एक्ट, 1952 में लिखा है कि जो डाक्यूमेंट मांगे जाएं, वे देने चाहिए। जैन आयोग ने भी कहा है, मैं उसे पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

न्यायमूर्ति एम•सी• जैन की अध्यक्षता में जांच आयोग की यह अन्तिम रिपोर्ट है। रिपोर्ट के नवें पृष्ठ पर उन्होंने कहा है :

> "आयोग ने अपने पत्र में कुछ पहलुओं को स्पष्ट किया है जिसका सार कुछ नहीं है और यह उल्लेख किया है कि यदि फाइलों में इन पर कार्यवाही की गई है तो आयोग के लिए यह आवश्यक है कि इन पहलुओं की जांच करे ताकि विभिन्न स्तरों पर विचारों की एक स्पष्ट तस्वीर उभर सके। अतः आयोग ने सरकार से यथाशीघ्र आवश्यक फाइलें प्रस्तुत करने के लिए कहा ताकि उस पर कार्यवाही की जा सके।"

[हिन्दी]

अभी तक इन्होंने फाइलें नहीं दी हैं। क्यों नहीं दी? कांग्रेस आज इतना चिल्ला रही है और कल अजीत जोगी जी दर्द भरे गले से चिल्ला रहे थे, मैं पूछता हूं कि पेपर्स क्यों नहीं दिए गए?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी) : महोदय, कृपया सदस्य से अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करने के लिए कहें।

सभापति महोदय : श्री रावले, आप उन्हें सम्बोधित नहीं करिए, आप अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करिए।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : देवगौड़ा जी की सरकार ने भी कागजात नहीं दिए जो कांग्रेस की वैशाखी पर चल रही थी।...*(व्यवधान)* जब इन्द्र कुमार गुजराल जी को पता लगा कि हमारी सरकार जाने वाली है और जैन कमीशन में यह लिखा है :

[अनुवाद]

> "विदेश मंत्रालय ने उस मंत्रालय से सम्बन्धित सूचना 10.12.1997 को, वाणिज्य मंत्रालय ने 15.12.1997 को, गृह मंत्रालय ने 22.12.1997 को, प्रवर्तन निदेशालय ने 11.12.1997 को, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (राजस्व विभाग) ने 19.12.1997 को, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 13.12.1997 को, मंत्रिमंडल सचिवालय में 17.12.1997 को, प्रधानमंत्री के कार्यालय ने 23.1.1998 को और आसूचना विभाग ने 5.1.1998 को भेजी।"

[हिन्दी]

इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन्होंने फाइलें नहीं दी। बाद में इंद्र कुमार गुजराल जी की सरकार, जो कि केयरटेकर सरकार थी, जब आई तो उसके आने के बाद...*(व्यवधान)* मैं दो ही मुद्दे उठाना चाहता हूं जिन पर यहां चर्चा नहीं हुई।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इधर देखकर बोलिए।

(व्यवधान)

श्री मोहन रावले : पहले हमने लिट्टे को समर्थन किया था और लिट्टे को ट्रेनिंग दी थी।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : पहले दो पाइन्ट बता दीजिए।

श्री मोहन रावले : वही बता रहा हूं। राजीव जी की जो हत्या हुई, उसी के ऊपर बोल रहा हूं। जैन कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है कि 'मोसाद' और आई•एस•आई• में जिक्र किया गया है लेकिन इस बात का जिक्र नहीं किया गया।...*(व्यवधान)* मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जो अमरीका आज हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है, उसके खिलाफ ईराक ने युद्ध किया था। सद्दाम हुसैन ने ऐलान किया था और राजीव जी ने ईराक के ऊपर हुए आक्रमण को लेकर एक जनमत तैयार करने की कोशिश की थी।...*(व्यवधान)* इसमें जरूर विदेशी हाथ है।...*(व्यवधान)* इसमें सी•आई•ए• का भी हाथ हो सकता है। लिट्टे की जो टैक्नॉलोजी है, उसे किसने फ़ाइनेंस किया था?...*(व्यवधान)* राजीव हत्याकांड में एच•ए•एम• ऑपरेटर्स की भूमिका संदेह के घेरे में है। राजीव गांधी स्वयं एच•ए•एम• ऑपरेटर थे। इस बात को लेकर अखबारों में खबरें छपी थीं कि सी•बी•आई• की स्पेशल इंवेस्टीगेशन टीम ने भी इस पर चर्चा की थी।...*(व्यवधान)* कई एच•ए•एम• ऑपरेटर्स सुरक्षा नियमों को धोखा देकर राजीव गांधी जी की सभा में घुसते रहे थे, ऐसी खबरें अखबार में छपी थीं।... *(व्यवधान)* लिट्टे ने ऑपरेटर्स की मदद से...*(व्यवधान)* इस काम में ऑपरेटर्स को दबाव में लाने के लिए हैदराबाद में ऑपरेटर सूरी की भूमिका को लेकर भी एस•आई•टी• में तीव्र मतभेद थे।...*(व्यवधान)* जैन आयोग ने कहा था कि इसकी जांच करेंगे लेकिन इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी।

हमें दो बजे चर्चा समाप्त करनी हैं। श्री मोहन रावले, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : महोदय, शिवरासन और धानु अंदर कैसे गए और एक भी तमिलियन कांग्रेस नेता मारा नहीं गया। मुफ्ती मोहम्मद सईद जी ने कहा था कि सोनिया जी ने कहा था कि मेरे पति के खून पर यह सरकार चल रही है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री रावले, कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : महोदय, ऐसा लगता है कि राजीव जी को कांग्रेस वालों में से ही किसी ने मारा होगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री रावले, अब आपको अपना स्थान गृहण करना होगा। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : हमें दो बजे चर्चा समाप्त करनी है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : आईएसआई ने अटल बिहारी वाजपेयी जी, जॉर्ज फर्नान्डीज जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, फारूख अब्दुला जी और बालासाहेब ठाकरे जी को भी मारने की साजिश की है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नहीं, मैं अब आपको और नहीं बोलने दूंगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : डा॰ वेणुगोपालाचारी जी, आपका नाम कल पुकारा गया था और आप अनुपस्थित थे। अब आपको केवल 5 मिनट दिये गए हैं।

डा॰ एम॰ वेणुगोपालाचारी (आदिलाबाद) : महोदय, मैं केवल 20 मिनट लूंगा।

सभापति महोदय : नहीं, आपको केवल 5 मिनट का समय दिया गया है। हमें अपराह्न 2.00 बजे तक चर्चा पूरी करनी होगी और माननीय मंत्री जी 2.00 बजे उत्तर देगें।

डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी : महोदय, श्री राजीव गांधी की कायरतापूर्वक तरीके से हत्या की गई थी। कल से लगभग सभी राजनीतिक दल और उनके नेता इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि आयोग ने 7 वर्ष लिए फिर भी कुछ भी पता नहीं चल सका हैं। माननीय शिवराज पाटिल ने ठीक ही कहा है कि इसने केवल आसूचना के क्षेत्र में सुधार और कुछ अधिकारियों को तैनात करने और भाषा का कूटानुवाद करने संबंधी प्रोद्योगिकी के सुधार के बारे में ही कुछ सामान्य टिप्पणियां की हैं। षडयंत्र अथवा षडयन्त्रकर्ता के बारे में सामान्य टिप्पणियों के अलावा जैन आयोग ने किस चीज का पता नहीं लगाया है।

मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश में विभिन्न मामलों की जांच करने के लिए कई आयोग गठित किये जाते हैं। जब आयोग की स्थापना की जाती है, तो यह लगभग 7-8 वर्ष का समय लेता हैं। यह विलम्ब भी साक्ष्य नष्ट करता है। जब श्री राजीव गांधी जैसे महान नेता की हत्या होती है अथवा कोई अप्रिय घटना घटती है, तो यदि सरकार आयोग का गठन करना चाहती है, तो सरकार को इसके कार्य को पूरा करने के लिए पक्के सबूत वचनबद्धता, निश्चित रूप और निश्चित समय निर्धारित समय के साथ आगे आना चाहिए।

जैन आयोग के सम्बद्ध में एक अन्य व्याकुल करने वाला तथ्य कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों के प्रकाशन में सम्बन्धित है। क्योंकि यह दस्तावेज सरकार ने जैन आयोग को इस विश्वास के साथ दिये थे कि उनके विषयो को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा लेकिन सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रेस में छापे गए। इसमें भारत-नेपाल सम्बन्धों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

कल से धानु के बारे में कई प्रश्न उठाए गए और उन पर जोरदार पर तरीके से कहा गया है। जब धानु भारत आई थी, तो किसने उसे आश्रय प्रदान किया था? वह जन सभा में राजीव गांधी के इतने नजदीक कैसे पहुंच गई? दुर्घटना स्थल पर उन्हें कौन ले गया था? अन्तिम क्षणों में स्वर्गीय राजीव गांधी के दौरे के कार्यक्रम को किसने बदला? इस तथ्य के बारे में कोई जांच नहीं की गई है।

मैं मानता हूं कि यह भावनात्मक मामला है। कल से सभी राजनीतिक नेता एक दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं, जो कि ठीक नहीं हैं। जब किसी राष्ट्रीय नेता की हत्या की जाती है तो कई अन्य लोग भी मरते हैं। इस विशेष घटना में कई सुरक्षा कर्मियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी।

भारतीय लोगों की मुख्य चिन्ता षडयन्त्र की तह तक जाना और इसमें शामिल षडयन्त्रकर्ताओं का पता लगाना है। दबाव डालने के बजाय, सभी दल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस रिपोर्ट का प्रयोग कर रहे हैं। यह अनुचित है। मैं तो यही देख रहा हूं।

महोदय, कल श्री अजीत जोगी ने संयुक्त मोर्चा सरकार को कांग्रेस पार्टी द्वारा समर्थन वापस लेने के बारे में कहा था। उन्होंने केवल इसी मामले पर संयुक्त मोर्चा सरकार में समर्थन वापस लिया था। हालांकि श्री अजीत जोगी ने समर्थन वापस लेने के कारण बनाए हैं, परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने जैन आयोग की अन्तिम रिपोर्ट का इन्तजार किये बिना ही समर्थन वापस ले लिया और इससे देश को लगभग 7,00 करोड़ रुपये की हानि हुई और आर्थिक अस्थिरता भी आई जिसकी अभी तक पूर्ति नहीं हुई है।

इसके अतिरिक्त काफी लम्बे समय से लिट्टे को वास्तव में कौन सहायता दे रहा था इसका वर्णन भी जैन आयोग ने किया है। दिनांक 11.11.1997 'दॉ इकोनमिक टाइम्स' में कहा गया है :

> "उन लोगों की सबसे बड़ी गलती यह थी कि वे खुद भी उसी हिंसा का शिकार हुए और मारे गए जिस हिंसा को उन्होंने बढ़ावा दिया था।"

सभी राजनीतिज्ञों को इस घटना से शिक्षा लेनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया।

[हिन्दी]

श्री शकुनी चौधरी (खगड़िया) : सभापति जी, स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या पर से पर्दा उठाने के बारे में पूरे सदन ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं दो-तीन बातें ही सदन में कहना चाहता हूं। राजीव गांधी इस देश के प्रधान मंत्री और एक महान हस्ती थे। जब यह पता लगाने के लिए कि राजीव गांधी जैसी महान हस्ती की हत्या किसने की, किसने हत्या की साजिश की सात साल लग जाते हैं तो यह हमारे देश के लिए और देश की जो सुरक्षा एजेंसियों या कमीशन बने हुए हैं उनके लिए शर्म की बात है। हत्या के कारणों पर पूरा प्रकाश डाला जाना चाहिए था। हत्या दो ही कारणों से होती है। पहला, हत्या होने के बाद उस हत्या से लाभ किसको मिला, यह देखा जाता है दूसरा यह देखा जाता है कि हत्या अगर रिवेंज के कारण हुई तो रिवेंज का कारण क्या था, हत्यारों ने हत्या क्यों की? पहले तो सुरक्षा के बंदोबस्त पर एक कमीशन बैठा और फिर हत्या की जांच के कारणों पर प्रकाश डालने में और हत्यारों का पता लगाने में सात वर्ष लग गये। मैं कहना चाहता हूं कि हत्या के बाद किसको फायदा मिला, इस बात को देखना चाहिए। अब जिस व्यक्ति को फायदा मिला उसने राजीव गांधी के हत्यारों को पकड़ने के लिए कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके कारण कमीशन कुछ भी नहीं कर सका और कोई सबूत पेश नहीं किया जा सका। उस समय सरकार किसके हाथ में थी, सरकार तो उन्हीं लोगों के हाथों में थी। उसके बाद गुजराल साहब की सरकार आई। गुजराल साहब ने भी कुछ नहीं किया। मैं सदन में विश्वास के साथ कहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी और गृह मंत्री जी ने जो कार्रवाई शुरू की है हमें उस पर पूरा विश्वास है। राजीव गांधी इस देश में ही नहीं दुनिया में महान हस्ती थे। इसलिए मैं प्रधान मंत्री जी से और पूरी कैबिनेट से कहना चाहूंगा कि जो भी तरीके आपको अडोप्ट करने हों, वह आप करें और पता लगाए कि हत्यारा कौन है, हत्या कराने वाले और हत्या की साजिश करने वाले कौन-कौन लोग हैं। मुझे लगता है कि जैन कमीशन की रिपोर्ट में भी इस बारे में कुछ परिलक्षित हुआ है और अगर परिलक्षित नहीं हुआ है तो जो लोग संदेह के घेरे में हैं उनके ऊपर कार्रवाई करके निश्चित करना चाहिए कि ये लोग संदेह के घेरे में हैं जिससे हम हत्या के कारणों तक पहुंचे।

अपराह्न 2.00 बजे

विश्वास मानिए जो हत्यारे हैं, जिन्होंने साजिश की, अगर ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही नहीं की गई तो आने वाले दिनों में पता नहीं किसकी हत्या हो जाए? यह सोचने का विषय है। मैं खासतौर पर गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि राजीव जी की हत्या के कारण बिल्कुल स्पष्ट हैं। दोषी लोगों को सजा होनी चाहिए भले ही वह प्रधान मंत्री रहे हों।

कमीशन ने एक अच्छी बात कही कि कोई प्रधान मंत्री ऐसा काम नहीं करवा सकता। आज प्रमोशन लेने के लिए एक दूसरे की हत्या की जाती है, राजनीति के लिए भी एक दूसरे की हत्या की जाती है। प्रधान मंत्री बनने के लिए चन्द्रास्वामी जैसे लोगों का इस्तेमाल किया गया। वह अमेरिका किस काम से गए, इसकी जांच नहीं की गई। कहा गया कि इसकी आगे जांच की जाएगी। इसमें हत्यारे बड़े साफ हैं, हत्या की साजिश करने वाले साफ हैं। गृह मंत्री को ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए। यही मेरा आपसे आग्रह है।

श्री भजनलाल (करनाल) : आदरणीय सभापति जी, दो दिन से एक बहुत अहम मुद्दे पर बहस चल रही है। यह एक बड़ा भंयकर मसला है। राजीव जी की हत्या छोटी बात नहीं है। वह एक संस्था थे। वह आने वाले भविष्य की रोशनी थे, साजिश के शिकार हुए। उनकी हत्या एक षडयंत्र के तहत की जाए, इससे ज्यादा बुरी, घिनौनी बात संसार में कोई दूसरी नहीं हो सकती। 21 मई का दिन इतिहास में काले अक्षरों में लिखने वाला दिन होगा। जिन हालात में उनकी हत्या हुई, उसके बारे में बहुत से महानुभावों ने अपने विचार रखे। उन्होंने बहुत सी ठीक बातें कहीं। कल डेढ़ घंटे से ज्यादा हमारे दोस्त शिव शंकर जी बोले। उन्होंने एक-एक पेज का हवाला देते हुए रिपोर्ट का जिक्र किया। कौन से पेज में क्या बात अंकित है, उसका उल्लेख किया। उन्होंने सभी बातों पर चिंता प्रकट की। मैं उस इतिहास में नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूं कि समय का अभाव है। मैं 15 मिनट का समय लेने के लिए माफी चाहूंगा। देश के भविष्य के लिए क्या काम होना चाहिए, यह एक विचारणीय विषय है। राजीव गांधी जी की हत्या बहुत बड़ी साजिश के तहत की गई। क्यों की गई? उन्होंने दुनिया में हिन्दुस्तान का नाम ऊंचा किया। पाकिस्तान हमारे ऊपर हावी हो रहा था। हमने उसके दो टुकड़े किए। हम हिन्दुस्तान को शांति के रास्ते पर लाए। पाकिस्तान ने उग्रवादियों को भेज कर पंजाब के हालात

[श्री भजनलाल]

खराब किए। दूसरी कई ताकतों की वजह से वहां के हालात खराब हुए। नतीजा यह हुआ कि श्रीमती इन्दिरा गांधी जी की हत्या हुई।

सभापति महोदय, यहां गृह मंत्री बैठे हैं। यहां दूसरे बड़े-बड़े नेता बैठे हैं। सभी पार्टियों को राजनीति से ऊपर उठ कर संकुचित विचारधारा छोड़ कर इस बात को देखना चाहिए कि इस देश में शासन करने वाला व्यक्ति किस तरह जिन्दा रह सकता है?

और किस तरह से मुल्क चला सकते हैं। आप जानते हैं कि शासक दल को देश हित में कई फैसले लेने पड़ते हैं जिससे कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है। यदि वे फैसले न लिये जायें तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। श्री राजीव गांधी ने किन हालात में इस देश की रक्षा की, यह आप जानते हैं। जैसा मैंने शुरू में अर्ज किया, वह ऐसे महान व्यक्ति और विचारक था उनकी जिन शब्दों में भी तारीफ की जाये, उतनी कम है।

सभापति महोदय, राजीव जी की हत्या के बाद दो कमीशन-वर्मा कमीशन और जैन कमीशन बनाये गये। इसमें वर्मा कमीशन का दायरा सीमित था। उन्हें बताना था कि हत्या किन कारणों से हुई, हत्या से कैसे बचा जा सकता था और सिक्यूरिटी में क्या कमियां थी। मैं कहना चाहूंगा कि वर्मा कमीशन और जैन कमीशन दोनों को इक्ट्ठा समझकर उस पर निर्णय लेना चाहिये था। उसके बाद ही किसी इंडेपडेंट एजेंसी या कमीशन से दुबारा जांच करानी चाहिये थी कि कहां क्या कमियां रह गई हैं? यह हमारे देश का इतिहास रहा है कि जहां भी जुल्म और अन्याय हुआ है, वहां ऐसे जुल्मियों को सरेआम चौराहे पर खड़ा करके फांसी पर लटका दिया जाता था, इसके लिये चाहे कुछ भी करना पड़े। ऐसा ही हमें करना चाहिये। राजीव जी की हत्या कोई छोटी बात नहीं है, यह हमारे देश के प्रजातंत्र की हत्या है। हमारे देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया है।

सभापति महोदय, आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कोलम्बो सम्मेलन में गये थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने वहां प्रभाकरण को अपने देश में लाने की कोई बात की? जब प्रधानमंत्री को इस बात का ज्ञान था कि दो दिन बाद पार्लियामेंट में जैन कमीशन की और ए॰टी॰आर॰ रिपोर्ट रखी जानी है और उस पर चर्चा होनी है तो इस बारे में उन्होंने क्या विचार किया? यह मामला बहुत गंभीर है। इसमें ए॰टी॰आर॰ की लीपा-पोती की बात नहीं है। ऐसा किसी के साथ हो सकता है। चाहे कोई आदमी कितना ही बड़ा या छोटा क्यों न हो जिसका भी इस जघन्य अपराध में दोष है, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिये। इसमें किसी प्रकार की रियायत का सवाल नहीं है। जब तक इन सब बातों के लिये इंडिपेंडेंट कमीशन नहीं बनेगा, बात बनने वाली नहीं है। इस सदन को मंजूर करना चाहिये कि यह इंडेपेंडेंट इन्क्वायरी किस प्रकार की हो। इसमें चाहे सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज हो या कोई दूसरी एजेंसी हो, उस को वैसे ही अधिकार होने चाहिये जो किसी दूसरी सरकारी एजेंसी को मिले हुये होते हैं।

सभापति महोदय, पार्लियामेंट सर्वोपरि है। वह निर्धारित करे कि उस इन्क्वायरी की क्या समय सीमा होनी चाहिये। पिछले कमीशन ने सात साल लगा दिये, इसलिये अनुरोध करना चाहूंगा कि इसकी समय सीमा निर्धारित की जाये। मेरे विचार में इसकी सीमा 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिये। लेकिन जो भी इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाई जाये, वह सब की मंजूरी से हो, सब की सलाह से हो जो अपनी रिपोर्ट 6 माह के अंदर दे दे। इस बीच में जब भी पार्लियामेंट बैठे, उस इन्क्वायरी की प्रोग्रेस रिपोर्ट सदन के सामने आनी चाहिये। यदि टाइम बढ़ाया जाता है तो मुश्किलें पेश आती हैं। उस इन्क्वायरी के लिये सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज रहे तो अच्छी बात है। या आप सबकी सलाह से एक ऐसी इंडिपेंडेन्ट एजेन्सी बनाइये जो इन सब चीजों की जांच कर सके। आपने ए॰टी॰आर॰ बनाई, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसमें आपने कह दिया कि दूसरी एजेन्सी जांच करेगी सी॰बी॰आई॰ जांच करेगी। सी॰बी॰आई॰ कोई जांच सिरे नहीं चढ़ा सकती। सी॰बी॰आई॰ के बहुत से केसिज मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन उसमें ज्यादा समय लग जायेगा। उनके पास सालों से कितने केसिज पड़े हुए हैं...(*व्यवधान*)

श्री मोहन सिंह (देवारिया) : सी॰बी॰आई॰ से सारे मामले वापस ले लिये जाएं।

श्री भजनलाल : मैं सारे मामलों के बारे में तो नहीं कह सकता कि वापस लिये जाएं, लेकिन यह मामला किसी इंडिपेंडेन्ट एजेन्सी को हवाले कर दिया जाए, ताकि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके ताकि आइंदा इस देश में कोई इस तरह की घिनौनी घटना न घट सके। चूंकि समय कम है, इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री बूटा सिंह (जालौर) : सभापति जी, मुझे लगता है कि शायद मैं आखिरी स्पीकर हूं, इसलिए मैं अधिक समय नहीं लूंगा। गृह मंत्री जी काफी देर से बोलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अभी श्री शिवराज पाटिल साहब ने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं समझता हूं कि उन्होंने हम सबका प्रतिनिधित्व कर दिया है। श्री राजीव गांधी का विश्व और देश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। वह युवा पीढ़ी के लिए एक आशा की किरण थे। यह सब कुछ श्री पाटिल ने बहुत अच्छे ढंग से कहा। जैन कमीशन की इंटेरिम और फाइनल दो रिपोर्ट्स सदन के सामने आई हैं, जिन पर चर्चा हो रही है, उन पर मैं दो-तीन प्वाइंट्स बोलकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

सभापति जी, सदन को याद होगा कि जब वर्मा कमीशन चल रहा था तो सदन में कांग्रेस पार्टी के ही सदस्यों ने इस चीज को महसूस किया कि वर्मा कमीशन तो केवल घटना पर ही अपनी रिपोर्ट देगा और उसमें जो अभियुक्त होंगे, जो कल्प्रिट होंगे, उनको सजा दिलवा देगा। लेकिन जो पहलू इस घटना के साथ जुड़ा हुआ है और जिस कारण से यह घटना हुई है, जो कांसपिरेसी है, कुछ राजनीतिक संगठन है, कुछ व्यक्ति हैं, कुछ प्रवृत्तियां हैं, राजीव गांधी का ऐतिहासिक रोल अपने आप में जिम्मेवार था। क्योंकि दुनिया उनसे कुछ आशा रखती थी। केवल राजीव गांधी ही विश्व को एक ऐसे नेता थे जो सत्ता में न

रहते हुए भी बड़े-बड़े मसलों में कूद पड़ते थे। सदन को याद होगा कि जब खाड़ी का युद्ध चल रहा था, उस समय श्री राजीव गांधी प्रधान मंत्री नहीं थे, मगर उस युद्ध में विश्व का कोई नेता यदि फिजीकली गया तो वह राजीव ही थे। वे मास्को तक पहुंचे, ईरान तक पहुंचे और यह कोई संयोग की बात नहीं है। जिस दिन राजीव गांधी ने तेहरान में लैंड किया, उसी दिन युद्ध समाप्त हो गया। वह ऐसे विश्व ख्याति के नेता थे।

मैं अर्ज कर रहा था कि जब वर्मा कमीशन चल रहा था तो कांग्रेस के सदस्यों ने यह महसूस किया कि वह पूरा इंसाफ नहीं कर पायेगा, एक अधूरा इंसाफ होगा। उस वक्त यह जरूरत महसूस की गई कि एक ऐसे कमीशन की नियुक्ति की जाए जो इस केस के सभी पहलुओं, सभी मुद्दों पर, राजीव गांधी की हत्या के पीछे क्या षड्यंत्र था, कौन सी शक्तियां थी, उन शक्तियों का क्या आदेश था, वे शक्तियां क्या हासिल करना चाहती थीं, इन सब पहलुओं की विस्तृत जांच कर सके और जैन कमीशन कायम हुआ। लेकिन अफसोस यह है कि कांग्रेस के सदस्यों की प्रेरणा से कांग्रेस के सदस्यों के आग्रह पर बनाया गया कमीशन उस वक्त की सरकार की आंख में कांटे की तरह चुभ गया। मैं आज कांग्रेस के सदस्यों से पूछना चाहता हूं, माननीय नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आप बड़े फख्र और फराखदिली से कहते हैं कि हमें यह रिपोर्ट मंजूर है, कभी आपने यह झांककर देखा है कि यह रिपोर्ट कैसे बन पाई है? आपकी सरकार ने कैबिनेट में फैसला किया कि जैन कमीशन को वाइंड अप कर दिया जाए। कांग्रेस के अध्यक्ष ने, कांग्रेस के प्रधान मंत्री ने कांग्रेस के वकील को मेरे माध्यम से बुलाकर अपने घर में साफ कहा कि यह फलां डॉकूमेंट न मांगे।

सभापति महोदय, कांग्रेस के लोगों की तरफ से कहा गया कि जस्टिस जैन को रिपोर्ट देने में सात साल लग गए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप भूल गए हैं कि एस•बी•आई के एक बड़े आफिसर की गवाही लेने में जस्टिस जैन को ढाई साल लग गए उन्हें अनेक प्रार्थनाएं करनी पड़ी, नोटिसेस भेजने पड़े?...(*व्यवधान*)

श्री दत्ता मेघे (वर्धा) : उस समय आप क्या कर रहे थे?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया उन्हें तंग न कीजिए। श्री बूटासिंह कृपया अब समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

प्रो• पी•जे• कुरियन : श्री बूटा सिंह, हमने अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि जैन आयोग रिपोर्ट में जिसका नाम आया है इसकी जांच की जानी चाहिए। हमने इसे राजनीतिक मामले के रूप में नहीं लिया है। जिस किसी का भी नाम रिपोर्ट में आया है चाहे वह व्यक्ति हमारी तरफ का हो अथवा आपकी तरफ का हो उसकी जांच की जानी चाहिए। अतः हमने कभी नहीं कहा कि यदि हमारी तरफ का कोई व्यक्ति शामिल है, तो उसे संरक्षा दी जाए। यह हमारा मामला नहीं है।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : सभापति महोदय, मुझे इस बात का दुख है कि ..(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया उन्हें तंग मत कीजिए। हमें पहले ही समय का अभाव है।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : सभापति महोदय, मेरे कहने का भाव यह नहीं था ओर न मैं कोई टिप्पणी कर रहा हूं। मैं कांग्रेस के लोगों को याद दिला रहा हूं कि जिस दिन सोनिया जी ने यह बात कही कि हत्या हुई, लेकिन इंसाफ नहीं हुआ, आप अंदाजा लगाइए कि उनके मन में कितना दुख होगा, उनके दिल पर दुख का कितना बोझ होगा, मैं उसी को व्यक्त कर रहा था।

सभापति महोदय, मुझे एक सेवक के नाते, एक साथी के नाते श्री राजीव जी के साथ निकटता से रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैंने उनके साथ ऐसे कामों में हिस्सा लिया, मुझे ऐसे कामों को करने का मौका मिला जिनको मैं अपने अंदर छिपाए बैठा हूं। जब कभी मौका आएगा तो मैं कहूंगा। मगर राजीव जी की हत्या के सिलसिले में,.. .(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : श्री बूटा सिंह कृपा अब आप समाप्त कीजिए। मुझे माननीय गृह मंत्री जी को उत्तर देने के लिए बुलाना है।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : सभापति महोदय, जस्टिस जैन को, जस्टिस सिन्हा को हैरेस किया गया, उनके ऊपर दफ्तर बंद करने के लिए दबाव डाला गया, उनके ऊपर सी•बी•आई• की इन्क्वायरी लादी गई, उनके अफसरों को परेशान किया गया, उनके रिकार्ड को जला दिया गया। एक व्यक्ति श्री आर•एन• मित्तल, जो कांग्रेस पार्टी के एक लीडर थे और जिनको इस मुकदमे की पैरवी करने के लिए ए•आई•सी•सी• ने लगाया था, उनको क्यों बदल दिया गया? आप उनकी जगह पर दूसरे वकील ले आए। श्री मित्तल ने जिस तरह से सात साल तक लड़ाई लड़ी, मैं चाहता हूं कि इस सदन में श्री मित्तल का खासकर विशेष उल्लेख करूं कि उस वक्त के प्रधान मंत्री के विरोध, सरकारी जांच एजेंसियों के विरोध और भारत की कैबीनेट के विरोध के बावजूद, सिंगल हैंडेडली उन्होंने इस केस को लड़ा और जस्टिस जैन को इस काबिल बनाया ताकि वे इस बारे में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकें।

सभापति महोदय, जास्टिस जैन की रिपोर्ट इस सरकार ने देख ली। इसमें इस सरकार को अपनी टिप्पणी देने के लिए कुछ है भी नहीं क्योंकि न तो इनके समय में राजीव गांधी की हत्या हुई और न इनके समय में उसकी जांच हुई। इस सरकार के समय में जैन आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे इन्होंने सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सहित उसे सदन के पटल पर रख दिया।

[श्री बूटा सिंह]

सभापति महोदय, जस्टिस जैन ने अपनी रिपोर्ट में जो प्रश्न अनसुलझे छोड़ दिए, वे आज हमसे जवाब मांग रहे हैं। उनमें एक प्रश्न यह है कि श्री राजीव गांधी की हत्या से 60 दिन पूर्व, यानी दो महीने पहले 21 मार्च को एक मैसेज इंटरसैप्ट हुआ था जिसमें कहा गया था कि राजीव गांधी को कहां मारा जाए और उसके पूरे 60 दिन के बाद उनकी हत्या हुई। इस प्रश्न का उत्तर न तो जस्टिस सिन्हा दे पाए, न जस्टिस वर्मा दे सके और न यह सरकार दे पाई है इस प्रकार के मैंने सात प्रश्न लिखे हैं। चूंकि समय का अभाव है इसलिए मैं उन प्रश्नों को यहां नहीं पूछना चाहता हूं बल्कि माननीय गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को लिख कर भेज दूंगा और मेरा आग्रह रहेगा कि माननीय गृह मंत्री जी मेरे इन प्रश्नों के उत्तर मुझे अवश्य भेजे।

आपने एम॰डी॰एम॰ए॰ बनाया है, लेकिन यह नहीं बताया कि एम॰डी॰एम॰ए॰ की शख्सीयत क्या होगी, उसकी क्या पहचान होगी, उसके पास क्या कानूनी शक्तियां होंगी और उसका क्या क्षेत्र होगा, इसका कोई उल्लेख नहीं है। मेरा माननीय गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी से अनुरोध है कि वे अपने जवाबी भाषण में इस बात को भी मेंशन करें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए। ये सभी बातें कई माननीय सदस्यों द्वारा पहले ही बताई जा चुकी है। अब माननीय गृह मंत्री जवाब देंगे।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : वह एम॰डी॰एम॰ए॰ कहा ले जाएगा, देश का क्या प्राप्त करके देगा, इन सब बातों को जवाब दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब श्री आडवाणी उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरयिंकिल) : महोदय, मेरा एक प्रश्न है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने श्री आडवाणी को बुला लिया है। आप पहले ही कल बोल चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री वारकला राधाकृष्णन : मैं रिपोर्ट के बारे में नहीं बात करूंगा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आपको कुछ नहीं कहना है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। मैंने पहले ही माननीय मन्त्री जी को बुला लिया है।

अपराह्न 2.21 बजे

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : अध्यक्ष महोदय, कल और आज इस सदन ने जैन आयोग के प्रतिवेदन और उस पर की गई कार्रवाई रपट पर चौदह घंटे से अधिक बहस की है। मैं समझता हूं कि पिछले वर्षों में जिन डिबेट्स को हम अच्छी डिबेट्स कह सकते हैं, एक अच्छे स्तर की डिबेट्स कह सकते हैं जिसमें साधारणतया दलीय राजनीति बहुत कम है और जिस उद्देश्य से बहस हो रही है, उस उद्देश्य की पूर्ति मन में है, उन डिबेट्स में से यह एक डिबेट रही है। स्वाभाविक है कि हरेक सदस्य के दल के अपने विचार होते हैं और उन विचारों के अनुसार वह बोलता है, उसका प्रकटीकरण होता है। इस कारण कभी-कभी नोंक-झोंक भी हो जाती थी लेकिन कुल मिलाकर इन चौदह घंटों में मैंने जो कुछ सुना, उससे मुझे लगता है कि अपने कार्य को पूरा करने में मुझे सहायता ही मिली है।

पहले मैं कहूं कि जब कांग्रेस के मेरे मित्र बोल रहे थे, उनकी भाषा में, उनकी वाणी में, उनके तौर तरीके में और बाकी लोग जब बोल रहे थे चाहे हमारे पक्ष के हों या इधर के हों, दोनों में अंतर था। अगर किसी ने आज शिवराज पाटिल जी को सुना या कल शिव शंकर जी को, अजीत जोगी जी को सुना तो उनको साफ दिखाई देगा कि केवल मात्र तर्क के स्तर पर बात नहीं हो रही है। अच्छे आरग्यूमैंट देना हरेक डिबेट में होता है। इधर के जो ओपनिंग बैट्समैन हैं या उधर के ओपनिंग बैट्समैन हैं, उन्होंने अच्छे आरग्यूमैंट्स दिये लेकिन दोनों में अंतर था।

मैं समझता हूं कि राजीव गांधी जी की हत्या सम्पूर्ण देश के लिए एक राष्ट्रीय त्रासदी थी, नैशनल ट्रैजिडी थी लेकिन कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के लिए और कांग्रेस पार्टी के खासकर वह सदस्य जिनको लगता था कि देश का भविष्य राजीव गांधी जी हैं, उनके लिए यह केवल ट्रैजिडी नहीं है बल्कि एक वज्रपात है जिसको मैं ट्रौमैटिक एक्सपीरियेंस कह सकता हूं। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में, 1951 से, जबसे भारतीय जनसंघ की स्थापना डा॰ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की तब से लेकर आज तक मैं दो बार इस प्रकार के ट्रौमैटिक एक्सपीरियेंस कह सकता हूं कि मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने अपने राजनीति जीवन में, 1951 से, जबसे भारतीय जनसंघ की स्थापना डा॰ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की तब से लेकर आज तक मैं दो बार इस प्रकार के ट्रौमैटिक एक्सपीरियेंस से निकला हूं। चाहे वाजपेयी जी हों या मेरे और हजारों साथी हों, जो आज भी भारतीय जनसंघ में सक्रिय हैं, उन सबको इसका एक्सपीरियेंस हुआ है। डा॰ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु या पंडित दीन दयाल उपाध्याय की हत्या हुई, उस समय कैसा एक्सपीरियेंस था, हमको क्या लगता था, जैसे मानो सब समाप्त हो गया है, कुछ बचा नहीं है। इसलिए मैं समझ सकता हूं कि कांग्रेस के जो सदस्य उस समय राजीव जी को यह समझते थे कि उनको

आधार पर देश बनेगा और हमारी पार्टी भी आगे बढ़ेगी, राजीव जी की हत्या का उन पर कैसा आघात हुआ। इसी अनुभव के कारण जब आज से दो दिन पहले कांग्रेस के कई नेता मुझसे मिलने आए तब राज्य सभा में बहस शुरू हो गई थी। उनसे मैंने कहा, इस मामले में अनायास हो लेकिन सही बात यह है कि इस मामले में हमारी सरकार जितनी डिस्पैशनेट हो सकती है, जितनी ऑब्जैक्टिव हो सकती है शायद ही कोई दूसरी सरकार हो सके। इसलिए आप जो भी सुझाव देंगे, यदि वे कानून के दायरे में, परम्परा के दायरें में आएंगे तो उनको स्वीकार करने में हमको कोई संकोच नहीं है। सत्य तक पहुंचने की जितनी आपकी तीव्रता है, आप उसके बारे में जितने उत्सुक हैं, यह सरकार भी उस तक पहुंचने में उतनी ही उत्सुक है। यह कहने के बाद मैंने देखा कि उस सदन में भी दूसरे दिन जो चर्चा हुई और उसके बाद इस सदन में दोनों दिन जो चर्चा हुई, उसमें एक आश्वस्ति रही कि हम कोई डिबोटिंग पाइंट स्कोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम चाहते हैं कि इसमें से कुछ निकले।

एक बात मैं स्वीकार कर सकता हूं कि कोई जैन आयोग की रपट को कह सकता है कि यह किसी काम की नहीं है और कहने वालों में कुछ लोग वे है जो शायद इस भेद को नहीं पहचान सके जिस भेद को बड़े प्रभावी रूप से आज शिवराज जी ने रखा। मुलायम सिंह जी यदि होते तो मैं उनको कहता कि जिस समय आप कहते हैं कि इस आयोग ने कौन सा निष्कर्ष निकाला, कोई कनक्लूजन तो निकाला ही नहीं, कोई ठोस बात तो बताई नहीं, तो शिवराज जी ने सही कहा कि इन्क्वारी और इन्वैस्टीगेशन, इन दोनों में अंतर मानना चाहिए। एस॰आई॰टी॰ एक इन्वैस्टीगेटिंग बॉडी होने के कारण उन्होंने आईडैंटीफाई किया फलाना, फलाना जो 41 लोग हैं, ये अपराधी हैं और इन्वैस्टीगैशन के बाद उनके खिलाफ प्रौसीक्यूशन किया। इन्क्वारी करने वाला इस प्रकार से कभी नहीं करता। यह पहला आयोग नहीं है, आज से पहले भी बहुत सारे आयोग बने हैं और यदि उन सब कमीशन्स की रिपोर्ट देखेंगे तो वे प्रायः इसी प्रकार की होंगी जिसमें, जैसे शिवराज जी ने सही कहा, एक दिशा बताई जाएगी, आखिरी गंतव्य स्थान नहीं बता सकेंगे, वह तो सरकार को खोजना है, किस ढंग से खोजना है, यह निर्णय वह करे, वे डायरैक्शन बताएंगे कि यह डायरैक्शन है। सरकार इस समय, जिस समय हम इस आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने बैठे, हम बात को मानकर चले, इस बात को स्वीकार कर चले कि जैन आयोग जो बात कह रहा है कि इसमें केवल ये 41 एल॰टी॰टी॰ई॰ के लोग दोषी नहीं है, इसमें दूसरों की करनी और भूलों के दुष्परिणाम हैं। कौन्सपीरेसी वाइडर हो सकती है, उस कौन्सपीरेसी की जड़ें देश के भीतर हो सकती हैं, देश के बाहर हो सकती है। यह जो उसकी एक ब्रॉड स्वीकृति, मान्यता है, हम भी उससे सहमत हैं। इस प्रकार से घटना घट जाए, जैसे कल जेठमलानी जी ने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति, एक पूर्व प्रधानमंत्री या एक सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष की हत्या नहीं है, यह पूरे देश का अपमान है कि कोई इस प्रकार बाहर से यहां आकार इस सफाई के साथ कुछ करके चला जाए और हम उसकी तह तक न पहुंच सकें, यह ह्यूमीलिएटिंग है। यह सही कहा कि समय बीत जाता है तो उस तह तक पहुंचने में दिक्कत होती है, तुरंत पहुंच जाते तो ज्यादा अच्छा होता।

मैं इस बात से सहमत हूं कि जैन आयोग द्वारा पहली रिपोर्ट को इंटरिम रिपोर्ट न कहते तो अच्छा था। उसे इंटरिम रिपोर्ट कहकर फाइनल रिपोर्ट करते। इंटरिम और फाइनल में बहुत अंतर होता है। इंटरिम पर कोई ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन व्यवहारतः यदि कोई पढ़ेगा तो उसे समझ में आएगा कि जब उन्होंने इंटरिम रिपोर्ट लिखा है तो वह केवल एक टर्म ऑफ रैफरैंस पर रिपोर्ट दे रहे थे और जब फाइनल रिपोर्ट कहा तो वे दूसरे टर्म ऑफ रैफरैंस दे रहे थे।

पहली रिपोर्ट से अगर हमारे सोज साहब दुखी हुए तो उनका दुखी होना स्वाभाविक है। सोज साहब यहां नहीं हैं, चले गये। वे शायद उस समय मंत्रिमण्डल के सदस्य थे। हमको भी आश्चर्य हुआ और कल शिवशंकर जी ने उसकी आलोचना की कि आपने अपनी इस ए॰टी॰आर॰ में उसका जिक्र क्यों किया है, ए॰टी॰आर॰ में आपने कण्ट्राडिक्शन क्यों दिखाया है, क्योंकि मुझे लगा कि हम जिस समय निर्णय कर रहे हैं तो निर्णय करने की भूमिका क्या है। आखिर तो पहली रिपोर्ट में जो चीजें श्री वी॰पी॰ सिंह के बारे में लिखी या चन्द्रशेखर जी बैठे हैं, उनके बारे में लिखी, वे हमको बिल्कुल पच ही नहीं सकती थी। इसीलिए पहले उन्होंने क्या लिखा अन्तिम रिपोर्ट में उन्होंने क्या लिखा, इन दोनों का उल्लेख किया है। हमें पहली रिपोर्ट पर टिप्पणी करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन जो चीज कल जेठमलानी जी ने अपने आरंभिक भाषण में कही कि हमने जहां पर इस जैन आयोग ने कहा है कि अमुक-अमुक को हम निर्दोष मानते हैं, इसमें कोई लेना-देना नहीं है। हमने कहा कि हम उसको स्वीकार करते हैं। तथ्य जिनके आधार पर वे बिन्दु, जिनके आधार पर इस सरकार ने अपनी ए॰टी॰आर॰ बनाई, वे क्या हैं। पहली तो यह कि हम जैन आयोग की इस एप्रोच से सहमत हैं कि केवल ये 41 लोग, जिनको डैजिगनेटिड कोर्ट के सामने एस॰आई॰टी॰ ने या सी॰बी॰आई॰ ने प्रोसीक्यूट किया है, उनके अतिरिक्त भी लोग हो सकते हैं कि जिन्होंने इस षड़यंत्र में भाग लिया है, हम इसको मानते हैं।

दूसरा तथ्य कि हम कोई ऐसी बात ए॰टी॰आर॰ में नहीं लिखेंगे, कोई ऐसी बात सरकार नहीं करेगी, जिसके कारण डैजिगनेटिड कोर्ट में जो अपराधी ठहराये गये हैं, उनको उसके कारण लाभ पहुंचे। हम डैजिगनेटिड कोर्ट की फाईडिंग को सही मानते हैं। तीसरा बिन्दु जो हम मानकर चले कि जिस जिसको जैन आयोग ने इस फाइनल रिपोर्ट में कहा कि इनका कोई दोष नहीं है, हम मानेंगे कि उनका कोई दोष नहीं हैं जिन-जिन के बारे में उन्होंने कहा कि लगता है कि ये अपराधी हैं और उनकी जांच होनी चाहिए, हम एज ऐ रूल मानेंगे कि इनकी जांच होनी चाहिए। जिन-जिन के बारे में उन्होंने आंशका प्रकट की, फिर चाहे यह नहीं भी कहा कि 'और आगे जांच की आवश्यकता है' लेकिन आशंका प्रकट की, हमने कहा कि जो एजेंसी हम बनाएंगे, हम उसके सुपुर्द कर देंगे कि आप इसको देखो। अर्थात् हम मामले को

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

क्लोज़ नहीं कर रहे हैं, उस एजेंसी को कहेंगे कि आप देखो कि इसके बारे में क्या करना है। और जांच करनी है, ओर कार्रवाई करनी है कि क्या करना है। ये कुछ ब्रॉड प्रिंसीपल्स हैं, ये कुछ मोटे बिन्दु हैं, जिनको मन में स्वीकार करके इस सरकार ने अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट का मैमोरेण्डम बनाया है।

श्री भजनलाल : आडवाणी जी, एक बात के लिए माफ करना, आपने ए॰टी॰आर॰ में कहा कि कमीशन ने कहा कि 21 लोगों के खिलाफ जांच होनी चाहिए, आपने उसमें कहा कि दो की जांच होगी तो उसमें 19 लोगों को छोड़ने की क्या बात है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं बताता हूं। आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और मैंने इसी सवाल का उत्तर आपके ही साथ जुड़े हुए प्रमुख वकील हैं और जिनमें से एक का नाम अभी-अभी बूटा सिंह जी ने भी लिया, उनके सामने भी रखा। मैंने कहा कि मैं कोई कानूनदां नहीं हूं। कानून की पढ़ाई मैंने जरूर की लेकिन राजनीति में रहने के कारण, जिसको कहें कांस्टीट्यूशनल लॉ तो थोड़ा ज्यादा समझ में आता है, लेकिन क्रिमिनल लॉ का अभ्यास आप लोगों को है, मुझे नहीं है, यह मैंने उन लोगों से कहा। मैंने जेठमलानी जी को भी यही कहा, कपिल सिब्बल जी को भी यही कहा और मित्तल जी को भी यही कहा। इसीलिए मैंने कहा कि मैंने जब यह संकल्प किया कि सरकार की किसी बात से, सरकार के किसी काम से इन डैंजिगनेटिग कोर्ट के निर्णय पर प्रभाव न पड़े और उनको इस अपील में फायदा ने पहुंच तो मुझे बताया गया कि ये जो ससपैक्ट्स हैं, सब के सब के बारे में जैन आयोग ने कहा है कि इसकी फिर से जांच होनी चाहिए। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं, जिन्होंने कोर्ट में गवाही दी है। जिनकी गवाही के आधार पर इनको सजा सुनाई गई है। आज मैं कहूं कि इन सबको फिर से देख रहा हूं तो उसका क्या परिणाम होगा, तो यह सबके खयाल में आ गया कि बात में वजन है। फिर भी मैंने कहा कि मैं इस मामले में यह सरकार अदम्य नहीं है। सरकार सच्चाई जानना चाहती है और यह सच्चाई जानने के लिए उतनी ही उत्सुक है जितना आप कि कौन अपराधी है। इसीलिए मैंने जैन कमीशन की पूरी रिपोर्ट पहले नहीं पढ़ी थी। लेकिन जिस समय नेवल इंटरसेप्स की बात इस बहस में सुनी, तो मैंने तुरंत कहा कि जो एम॰डी॰एम॰ए॰ होगा, वह इसकी जांच करेगा, देखेगा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। पहले-पहले जो इंटरसेप्स आया, जिसके बारे में डिकोडिंग में देरी हुई, यह तो हमने लिख दिया कि जो जैन आयोग ने कहा है कि हमारे पास गजेटरी इतनी आधुनिक होनी चाहिए जिसके कारण डिकोडिंग में देरी न हो, वह हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन पहले जो देरी हुई वह क्यों हुई, क्या कारण था, हमारे पास गजेटरी नहीं थी, वह कारण था यह और कोई कारण था, मैं समझता हूं इस मामले की जांच होगी, जरूर होगी। यह सारी की सारी जानकारी या सारे के सारे तथ्य इस बहस में से निकले हैं। इस बहस में से जो बातें निकली हैं, उनके बारे में एक ही बात पर बार-बार बल दिया जाता था कि यह कौन करे, यह एजेंसी क्या हो। जैसा मैंने बहस शुरू होने से पहले अपने वक्तव्य में कहा था कि एक कमीशन के ऊपर दूसरा कमीशन बिठाना, यह तो कोई सजेस्ट नहीं करेगा। आज कुछ लोगों ने किया। आज मुलायम सिंह जी ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सीटिंग जज, जिनकी सेवा के तीन साल बाकी हों, उनका कमीशन बिठाया जाए। वह यहां होते तो शिवराज जी पाटिल की बात से प्रभावित होते कि अब इन्क्वायरी का समय नहीं है, अब हमारे सामने यह लक्ष्य है कि इन्क्वायरी जितनी हुई है, उसके आधार पर इन्वेस्टीगेशन करके उसके आधार पर अगर कोई अपराधी साबित हो, उसके खिलाफ आवश्यक सामग्री एकत्र हो, जिसको कहें ज्यूडिशली एडमिसेबल एवीडेंस, वह हो सकता है, तो उसके आधार पर प्रोसिक्यूट किया जाए, यह काम है। इसीलिए इन्वेस्टीगेशन का काम कोई ज्यूडिशियल बॉडी नहीं करेगी, इन्वेस्टीगेशन का काम इन्वेस्टीगेटिव बॉडी ही कर सकती है। वह ऐसी हो जिसको कानूनी अधिकार हो इन्वेस्टीगेशन का, कि अगर वह किसी को बुलाए तो वह नहीं आता, तो वह कानून के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है। मुझे सी॰बी॰आई॰ से कोई मोह नहीं है। हम उसकी कितनी भी आलोचना करें, मैंने भी कभी की होगी। आज हमारे पास जांच के लिए सी॰बी॰आई॰ जैसी उच्चतम और उत्तम एजेंसी है। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वह स्टेचुटरी एम्पावर्ड होनी चाहिए, स्टेचुटरी इन्वेस्टीगेटिंग बॉडी नहीं होगी तो उसका कोई उपयोग नहीं है। सारे कंसिडरेशंस ख्याल में रखकर मल्टी डिसीप्लनरी मानेटरिंग एजेंसी की कल्पना आई। वह इसलिए आई, क्योंकि जैन आयोग की 12 हजार पेज की रिपोर्ट में केवल मात्र क्राइम इन्वेस्टीगेशन नहीं है, आप देखेंगे रेवेन्यू इंटेलिजेंस का भी इन्वेस्टीगेशन है। उसमें ऐसे मामले हैं जिसमें बैंकिंग का भी सवाल आता है। इसीलिए हमने सोचा है कि हम जब यह एजेंसी बनाएंगे तो उसमें क्रिमिनल इन्वेस्टीगेशन में जो निपुण होंगे, जिनको अनुभव होगा, ऐसे लोगों को तो लेंगे ही लेकिन साथ ही साथ-

[अनुवाद]

राजस्व आसूचना निदेशालय, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, बैंकिंग विभाग, विधि मंत्रालय और हमारी आसूचना एजेन्सियां भी।

श्री बूटा सिंह : क्या इसमें रक्षा आसूचना भी शामिल है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जब मैं आसूचना एजेन्सियां कह रहा हूं तो मैं केवल गृह मंत्रालय की आसूचना की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन सभी आसूचना एजेन्सियों की बात कर रहा हूं जो हमारे पास हैं

[हिन्दी]

उन सबको मिलाकर उसके कारण हमने मल्टी डिसीप्लनरी मानेटरिंग एजेंसी शब्द का प्रयोग किया। ऐसी एजेंसी बनाकर हम चाहेंगे कि इस जघन्य अपराध की तह में जाकर वह हमें तथ्य लाकर दे। मैं इस बात से बिलकुल सहमत हूं कि हमने कोई पूर्वाग्रह के आधार पर तय नहीं किया कि इसको प्रमुख बनाएंगे।

[अनुवाद]

आप कोई भी सुझाव देंगे हम वह स्वीकार करेंगे। हम यह देखेंगे कि हमने जो एजेन्सी बनाई है उस पर हर वर्ग के लोगों का और विशेषकर कांग्रेस पार्टी का विश्वास हो क्योंकि शायद किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षाएं इसमें अधिक सीधे तौर पर शामिल है।

[हिन्दी]

मैं चाहूंगा, इस मामले में मैंने पूरी कोशिश की है कि कांग्रेस के नेतृत्व से सम्पर्क करके, उनसे सलाह करता रहूं और उसके आधार पर मैं तथ्यों पर पहुंचू क्योंकि तथ्यों पर पहुंचना केवल इस एक घटना के लिए जरूरी नहीं है। धीरे-धीरे करके हमारा यह देश और हमारा शासन एक सौफ्ट स्टेट बन गया है। दुनिया भर के लोग समझते हैं कि हम कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पिछले दिनों जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं में मात्र आंतरिक बातें नहीं होती हैं, लगता है उसमें कोई विदेशी हाथ भी है। इसलिए जिस समय जैन आयोग ने कहा कि इसमें विदेशी हाथ दिखता है तो कुछ लोगों ने कहा कि हम क्या करेंगे? उनकी अपनी धारणा है और जैन आयोग ने कुल मिलाकर जैसी धारणा पैदा की है, उसके कारण बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसका मजाक उड़ाते हैं लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि कुछ मामलों में, कुछ उनके वाक्यों के आधार पर, जैसा कल शंकर जी ने एक्सट्रावेजेंट फ्रेजोलॉजी कही। फिर उसके विचित्र परिणाम आएंगे, मैं उनको पढ़ता नहीं हूं लेकिन पिछली बार उन्होंने वी॰पी॰ सिंह जी के बारे में या चन्द्रशेखर जी के बारे में कहा, मुझे बड़ा विचित्र लगा। यह ठीक है कि उन्होंने इसे कम्पेंसेट करने की कोशिश की है जो पिछली बार उन्होंने तमिलनाडु या सिखों के बारे में कहा। यह अच्छा किया कि अपनी फाइनल रिपोर्ट में तमिलनाडु के बारे में जो उनके वाक्य थे, उसको साफ करने की उन्होंने कोशिश की। अच्छा होता यदि वे सिखों के बारे में भी कह देते। लेकिन शिव शंकर जी कह रह थे कि जो आपने बिलिटिल करने की कोशिश की है कि आपने इंटेरिम रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट दोनों को डालकर 'आपने जैन आयोग की विश्वसनीयता को कम करने की कोशिश की है।' नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं बिलिटिल करने वाला होता तो इस ए॰टी॰आर॰ में प्रमुख बात यह है कि कमीशन सिफारिश करता है कि इसे फर्दर करो और मैं स्वीकार करता हूं कि इसे करो। हमारे कुछ लोग जैन कमीशन से नाराज हो सकते हैं लेकिन ए॰टी॰आर॰ से नहीं। जैन आयोग से नाराज होकर अगर कोई माननीय सदस्य कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसकी खिलाफत करूंगा। मुझे कोई अपत्ति नहीं है। मैंने केवल यदि जैन कमीशन ने कहा कि यहां पर जांच होनी चाहिए या यह हमारी आशंका है, उसके आधार पर हमने कोशिश की कि सत्य तक पहुंचने के लिए कम से कम इस सरकार की ओर से कोई कोताही नहीं होगी, यही ए॰टी॰आर॰ से प्रकट होता है। हां, संकोच इस बात का है कि हम कोई ऐसी बात नहीं लिखेंगे जिसके कारण डेजिग्नेटेड कोर्ट की फाईंडिंग्स पर प्रभाव पड़े और अपील में जो लोग हैं और जिन्होंने वास्तव में अपराध किया है, वे अपराधी उसका फायदा उठा लें। यह हमारे मन में इंहिबिशन थी जिसके प्रभावित होकर मैंने ऐसा किया है। मैं एक बार फिर से इस सदन को आश्वासन देना चाहूंगा कि सरकार ने इस मामले को पूरी तटस्थता से लेकिन साफगोही के साथ, निर्भीकता से इस मामले को स्वीकार किया है। इस मामले में सत्य तक पहुंचने के लिए जो भी आवश्यक होगा, हम करने को तैयार होंगे और उसमें आपकी सलाह ली जाएगी।

इसके लिए इस सभा के सभी वर्ग के लोगों का हमेशा स्वागत है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं। अगर यह सभा सहमत होती है,

(व्यवधान)

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, मुझे एक प्रश्न पूछना है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदय, जैन कमीशन ने कहा है... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी के दो माननीय सदस्य एक ही समय में कोई स्पष्टीकरण कैसे मांग सकते हैं? आप यह कैसे कर सकते हैं?

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि एम॰डी॰एम॰ए॰ अपने आप में एक जांच एजेन्सी है जिसमें विभिन्न विभागों के व्यक्ति होते हैं। अगर मैंने सही समझा तो उन्होंने यही कहा था। अगर ऐसी बात है तो इसे 'मानीटरिंग' का नाम क्यों दिया गया है। इस नामकरण से काफी कठिनाई आ रही है। जब आप इसे एक मानीटरिंग एजेन्सी कहते हैं तो इसका अर्थ है कि यह एक जांच एजेन्सी नहीं है। इसलिए मैं दुविधा में हूं।

श्री पी॰ शिव शंकर (तेनाली) : मैं समझता हूं कि आप खुले विचारों वाले व्यक्ति हैं। हम इन मामलों पर चर्चा कर सकते है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जब हम 'सी॰बी॰आई॰ में एम॰डी॰एम॰ए॰' कहते हैं तो हम सांविधिक प्राधिकरण का उल्लेख कर रहे हैं। यह वाक्यांश 'सी॰बी॰आई॰ में एम॰डी॰एम॰ए॰' है जिससे आपकी बात का उत्तर भी मिल जाता है।...*(व्यवधान)*

मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहूंगा। विदेशी हाथ होने की बात को छोड़कर सभी अन्य बातें एम॰डी॰एम॰ए॰ को भेजी जाएंगी। इस मामले में, की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और हमारी गुप्तचर एजेन्सियां उस समस्या को हल करेंगी।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं। जो पिछली सरकारों ने कागजात नहीं दिए और सच्चाई निकालने के लिए कैबिनेट में जो बातें हुई हैं, उन पर आप क्या कार्यवाही करने वाले हैं? जो बातें पिछली सरकारों में छिपाई गई थीं, वे भी इसमें आनी चाहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मैं समझता हूं कि एम•डी•एम•ए• के पास काफी गुंजाइश होगी, एम•डी•एम•ए• के पास काफी अधिकार होंगे। जहां लगेगा कि फ्रुटाइल प्रोब नहीं है, तो कुछ सच्चाई निकलेगी। मेरे सामने कुछ तथ्य आये हैं कि एक वाइटल फाइल मिसिंग है। उस सदन में पूर्व मंत्री द्वारा सार्वजनिक रूप से बहस में बोलते हुए, बताया गया-कहा जाता था कि फाइल होम मिनिस्टर को मत दिखाओ और यह फाइल लॉ-मिनिस्टर को मत दिखाओ। यह बात पूर्व मंत्री ने बताई है। इन सब बातों का ख्याल रखा जाएगा।

श्री मोतीलाल वोरा : अध्यक्ष महोदय, आडवाणी जी ने कहा कि जैन कमीशन की रिपोर्ट पर बहुत अच्छी बहस हुई है, सबके मन में पीड़ा है। इस मौके पर मैं एक दुष्यंत की कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं-"पीर पर्वत हो गया है अब पिघलना चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए" सबके मन में पीड़ा इकट्ठी हो गई है और सबके मन में दर्द है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगर यह सभा सहमत होती है तो आज के लिए नियम 377 के अधीन मामले सभापटल पर रखे जा सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

अपराह्न 2.47 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सिरमौर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय का दर्जा बढ़ाकर बारहवीं कक्षा तक किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा) : महोदय, जवाहर नवोदय विद्यालय सिरमौर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश ग्रामीण प्रतिभा सम्पन्न छात्रों के अध्ययन के लिए एकमात्र विद्यालय है। लेकिन दसवीं पास छात्रों के ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश के लिए वहां कोई व्यवस्था नहीं है। इस विद्यालय से दसवीं पास छात्र दूर-दूर प्रवेश के लिए भटक रहे हैं। विद्यालय के पास पर्याप्त भवन और स्टाफ है। कक्षा 11 की कक्षा प्रारम्भ करने में कोई अतिरिक्त व्यय भार भी नहीं पड़ने वाला है। गरीब प्रतिभावान ग्रामीण छात्रों के लिए ही नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी और सर्वत्र जहां यह विद्यालय स्थापित है, कक्षा 12 तक अध्ययन की व्यवस्था है। लेकिन इस पिछड़े जिले में ऐसी व्यवस्था न होना दुर्भाग्यपूर्ण है।

मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी से पुरजोर मांग करता हूं कि अविलम्ब जवाहर नवोदय विद्यालय सिरमौर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश में कक्षा 11 प्रारम्भ करने का अविलम्ब निर्देश देकर ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों के भविष्य को संवारने की दिशा में पहल करें।

(दो) मध्य प्रदेश के दमोह जिले में पंचमनगर सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा करना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

डा• रामकृष्ण कुसमारिया (दमोह) : महोदय, मध्य प्रदेश के दमोह जिले में पंचम नगर वृहत सिंचाई योजना 1979-80 में स्वीकृत की गई थी जिसके द्वारा दमोह पन्ना सागर जिले की लगभग छह लाख एकड़ भूमि सिंचित होने का प्रावधान था तथा इस योजना के लिए 6 अरब की धनराशि का प्रावधान किया गया था।

उसमें से लगभग 5 करोड़ की धनराशि इस योजना में खर्च भी की गई है किन्तु उसके बाद अभी तक यह योजना लम्बित पड़ी है। कोई कार्य नहीं हो रहा है। अतः भारत सरकार के जल संसाधन मंत्री से आग्रह है कि इस योजना को शीघ्र ही प्रारंभ कराएं।

(तीन) खुर्जा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जेवर और याकूदपुर में यमुना नदी पर बांध के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को समुचित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र खुर्जा के अन्तर्गत जेवर व याकूदपुर क्षेत्र में प्रति वर्ष यमुना नदी की बाढ़ से भयंकर तबाही होती है। विगत वर्ष तो मेरे संसदीय क्षेत्र में बाढ़ से भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गयी थी और मेरे द्वारा इस बारे में सदन तथा सरकार का ध्यान आकर्षित किए जाने के पश्चात् आश्वासन दिया गया था कि इस क्षेत्र में बाढ़ की रोकथाम हेतु समुचित कदम उठाए जाएंगे और बांध का निर्माण तुरन्त कराया जायेगा।

किन्तु मुझे बहुत ही दुख के साथ सदन का ध्यान आकर्षित कराना पड़ रहा है कि अभी तक भी याकूदपुर एवं जेवर में बांध के निर्माण हेतु कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं। जबकि मानसून का मौसम आ गया है। समय रहते याकूदपुर और जेवर में बांध का निर्माण कराए जाने हेतु तत्काल प्रभाव से कारगर कदम नहीं उठाए जाते हैं तो फिर विगत वर्षों जैसी स्थिति मानसून के समय में वहां हो जाएगी।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि खुर्जा संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत याकूदपुर एवं जेवर में बांध का निर्माण तत्काल प्रभाव से

---

* सभा पटल पर रखे माने गये।

कराए जाने हेतु समुचित कदम उठाने का कष्ट करें। इस निमित्त उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को समुचित धन निर्गत किया जाये।

(चार) उन्नाव और गंगाघाट को गंगा कार्य योजना में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

श्री देवी बक्स सिंह (उन्नाव) : अध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री जी का ध्यान गंगा नदी में प्रदूषण की ओर दिलाना चाहता हूं। गंगा एक्शन प्लान में जिन क्षेत्रों को लिया गया था उन क्षेत्रों में अभी भी गंभीर प्रदूषण की समस्या बनी हुई, है, विशेषकर उत्तर प्रदेश में। मेरे जनपद उन्नाव के गंगा घाट एवं उन्नाव की टेनरियों का कूड़ा-कचरा एवं सारा गन्दा पानी गंगा नदी में गिर रहा है जिसके कारण यहां पर पानी इतना प्रदूषित हो गया है कि यहां पर बच्चे भी अपंग पैदा हो रहे हैं और क्षेत्र के निवासी कई रोगों से ग्रस्त हैं। यहां का पानी पीने योग्य भी नहीं है। प्रदेश सरकार का ध्यान भी इस ओर दिलाया गया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन्नाव एवं गंगा घाट को गंगा एक्शन प्लान में शामिल किया जाए और इस क्षेत्र के प्रदूषण का सर्वे करने के लिए एक केन्द्रीय टीम भेजी जाए, जो मौके पर जाकर इसका जायजा लें और क्षेत्र के लोगों की जीवन रक्षा की जाए।

(पांच) राजस्थान में विशेषकर चुरू संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में और अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री नरेन्द्र बुडानिया (चुरू) : महोदय, राजस्थान में रेलों के विकास में विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र चुरू की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है और देश के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के विकास हेतु कोई योजना इस वर्ष के रेल बजट में शामिल नहीं की गई है। इस बारे में मेरा मंत्री महोदय, से निम्नानुसार निवेदन है :

गत वर्ष रेल बजट के अनुमान पेश करते समय सरकार ने रेवाड़ी-सादुलपुर रेल लाइन के आमान परिवर्तन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी, किन्तु पिछले वर्ष स्वीकृत योजना का इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। मेरा निवेदन है कि इस कार्य को शीघ्र चालू किया जाए।

इसी तरह हिसार-बीकानेर वाया सादुलपुर-चुरू-रतनगढ़-डेगाना रेल लाइन के आमान परिवर्तन के लिए इस वर्ष प्रस्ताव लाने का जिक्र किया था, किन्तु उसको भी इस बजट में शामिल नहीं किया गया है। इस कार्य को शीघ्र प्रारम्भ किया जाए।

रतनगढ़-डेगाना छोटी रेलवे लाइन को बड़ी रेलवे लाइन में बदलने की स्वीकृति पिछले वर्ष दी गई थी, लेकिन उसका भी इस वर्ष के बजट में कोई प्रस्ताव नहीं है। इन रेल लाइनों का आमान परिवर्तन के कार्य को अविलम्ब चालू किया जाए।

चुरू-जयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाई जाए।

चुरू रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग के कार्य का कम्प्यूटराइजेशन किया जाए।

दिल्ली-बीकानेर एक्सप्रेस एवं लिंक सिटी बीकानेर-दिल्ली रेलगाड़ियों में एयरकंडीशंड कोच लगाए जाएं।

देश के विभिन्न भागों में रहने वाले चुरू क्षेत्र के लाखों लोगों के हित में चुरू, सादुलपुर, सरदार शहर, रतनगढ़ बीकानेर रेलवे स्टेशनों पर आरक्षण कोटा बढ़ाया जाए।

बीकानेर से दिल्ली जाने वाली दो रेलगाड़ियां हैं जिनमें चुरू से वातानुकूलित कोच में आरक्षण को कोई कोटा नहीं है जिससे कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मेरा आग्रह है कि कोटा निश्चित किया जाए।

दिल्ली-जोधपुर मेल जिसको बंद कर दिया गया है, इसे पुनः चलाया जाए।

(छह) खादी और ग्रामोद्योग के लिए छूट योजना को बहाल किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : महोदय, खादी और ग्रामोद्योग देश में पचास लाख ग्रामीण कामगारों को रोजगार प्रदान करता है। इस क्षेत्र में अधिकतर महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को रोजगार दिया जाता है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि केवल खादी क्षेत्र में ही लगभग चौदह लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करने के लिए, हमारे राष्ट्रपिता ने खादी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किए थे, जोकि आत्म-निर्भरता का प्रतीक है।

यह दुख की बात है कि भारत सरकार ने खादी पर दी जाने वाली छूट योजना को समाप्त करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय से खादी और ग्रामीण उद्योग ठप्प हो जाएगा जिसके परिणामस्वरूप इस उद्योग में लगे लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे।

अगर खादी पर दी जाने वाली छूट का बेईमान लोगों द्वारा दुरूपयोग किए जाने की कोई रिपोर्ट मिली है तो सरकार को उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। छूट समाप्त किया जाना इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। इससे तो केवल ग्रामीण बेरोजगारी ही बहुत बढ़ेगी।

इसलिए केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि खादी पर दी जाने वाली छूट को अविलम्ब बहाल किया जाए।

(सात) गुंटूर के लोगों को बेहतर रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री आर॰ साम्बासिवा राव (गुंटूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान निम्नलिखित रेलवे कार्यों के संबंध में गुंटूर के लोगों की काफी लंबे समय से की जा रही मांग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

1. गुंटूर में नए रेलवे डिवीजन के कार्यालय भवन का निर्माण और गुंटूर रेलवे डिवीजन में कार्मिकों की तैनाती।

[श्री आर• साम्बासिवा राव]

2. नल्लापडु और नाडीकुडी के बीच रेल लाईन को दोहरा करना।

3. दक्षिण मध्य रेलवे में नल्लापडु और पागिडीपल्ली के बीच रेल-मार्ग का विद्युतीकरण।

जहां तक गुंटूर में नए रेलवे डिवीजन के कार्यालय भवन के निर्माण का संबंध है उसका शिलान्यास तत्कालीन रेल मंत्री ने 5 जुलाई, 1997 को किया था। उसका उद्घाटन करते हुए उन्होंने उपर्युक्त परियोजनाओं के सर्वेक्षण के लिए निधियां प्रदान करने का भी आश्वासन दिया था।

महोदय, मैं तभी से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता रहा हूं परन्तु मुझे वही उत्तर दिया जा रहा है कि सर्वेक्षण किया जा रहा है और जैसे ही सर्वेक्षण के परिणाम मिल जाएंगे, कार्रवाई शुरू की जाएगी।

महोदय, एक वर्ष से अधिक समय बीत गया है परन्तु सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि मुझे यह बताने की कृपा करें कि सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है।

महोदय, गुंटूर और नडीकुडी के बीच रेलवे लाइन के विद्युतीकरण की परियोजना और गुंटूर और नडीकुडी के बीच दोहरी लाईन की स्वीकृति का काम काफी समय से लंबित है और इस मुद्दे पर लोगों में काफी आक्रोश है।

रेल मंत्री को अपने 1998-99 के बजट में निधियां प्रदान करनी चाहिए थीं परन्तु मुझे दुख है कि इस परियोजना के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(आठ) ईस्टर्न कोल फील्ड्स की बंद पड़ी खानों को पुनः खोले जाने के लिए निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता

डा• रामचन्द्र डोम (बीरभूम) : महोदय, मैं ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, कोल इण्डिया की सहायक कम्पनी की संकटपूर्ण स्थिति की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करता हूं जिन्होंने कोयले के भंडार होने के बावजूद नतुन्दंगा, सामला, कांकोरतोला, श्रीपुर, पुरे, सीअरसोन और संग्रामगढ़ नाम की कोयले की खानों को बंद कर दिया है। इसके बाद प्रबंध ने मजदूरों को स्थानान्तरित कर दिया और खाली बैठा दिया।

पश्चिम बंगाल के माननीय श्रम मंत्री द्वारा हस्तक्षेप करने के बाद कलकत्ता में एक बैठक आयोजित की गई जहां कोल इण्डिया लिमिटेड के चेयरमैन, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (कार्मिक) और यूनियन के पक्ष की ओर से भारतीय कोयला खान मजदूर सभा के महासचिव और उपाध्यक्ष की उपस्थिति में उक्त संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई थी। इस बात पर सहमति हो गई थी कि बंद पड़ी खानों को पुनः खोलने के लिए सीतारामपुर क्षेत्रीय कार्यालय के कार्य को जारी रखने के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव से मजदूरों को मजदूरी और वेतन की पूरी अदायगी करने के लिए प्रत्येक कोयले की खान के लिए संयुक्त निगरानी दल गठित करने के लिए कदम उठाए जायेंगे। इस संयुक्त निगरानी दल में प्रबन्धन और यूनियन के आदमी होंगे जो कोयला खानों में मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और उत्पादन में 10 से 15 प्रतिशत की वृद्धि हासिल करने के लिए जनशक्ति और सामग्री की आपूर्ति का मूल्यांकन करेंगे।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह प्रबन्धन को जैसी कि सहमति हुई है तदनुरूप तत्काल कार्यवाही करने के लिए निर्देश दें।

(नौ) उत्तर प्रदेश के जलेसर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या को हल करने के लिए ठोस योजनाएं बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो• एस•पी• सिंह बघेल (जलेसर) : महोदय, इस सदन के माध्यम से मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान जलेसर क्षेत्र के ग्राम ऐरई, रजापुर, महापुर, थिलासनी, नालापुर, मीलनगर, सिकन्दरपुर, शाहपुर, टिपरूआ, गिजौली, हाजीपुर खेड़ा आदि सैंकड़ों ग्रामों के गम्भीर पेय जल संकट की ओर दिलाना चाहूंगा। इन गांवों का पानी दूषित एवं खारा है। पूर्व में इस दूषित पानी को पीने से मृत्यु तक हो गई है। वह पानी इतना दूषित है कि 40 वर्ष की उम्र में ही लोगों के दांत गिर जाते हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति को इस दूषित पानी पीने से दिन में चार-पांच बार शौच के लिए जाना पड़ता है। इन ग्रामों की महिलाओं के जीवन का अधिकांश समय दो वक्त पानी लाने और ले जाने में गुजर जाता है। पेय जल संकट के कारण लड़कों की शादियां तक होनी बंद हो गई हैं। इससे आर्थिक सम्बन्धों में नैतिक गिरावट आ गई है तथा व्याभिचार बढ़ रहा है।

कृपया केन्द्रीय सरकार की टीम वहां भेज कर जल परीक्षण करा कर कोई बड़ी योजना पेय जल की बना कर पेय जल संकट को दूर करने का कष्ट करें।

(दस) तमिलनाडु के पापानासम और केरल के त्रिवेन्द्रम के बीच संपर्क मार्ग का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

श्री एस• मुरूगेसन (तेनकासी) : काफी लम्बे समय से विशेष रूप से तेनकासी निर्वाचन क्षेत्र और सामान्य, तया तिरूनेलवेली जिले के लोगों की ओर से विशेषकर कि व्यापारी समुदाय और विभिन्न अन्य सामाजिक संगठनों से पापानासम और त्रिवेन्द्रम बारस्त नागरकोल के बीच 165 किलोमीटर लम्बी एक (लिंक) संपर्क सड़क बनवाने की मांग की जा रही है।

यह दूरी बारस्ता शेनगोताह से 234 किलोमीटर है। लेकिन बारस्ता पापानासम से तय की गई यह दूरी 110 किलोमीटर होगी।

इससे यात्रा की जाने वाली दूरी कम हो जाएगी जिससे समय और ईंधन की काफी बचत होगी। तूतीकोरिन एक बन्दरगाह है और त्रिवेन्द्रम पहले से ही अन्तर्राष्ट्रीय विमानन मानचित्र में शामिल है। इन दोनों व्यावसायिक केन्द्रों को बास्ता पापानासम से बेहतर ढंग से जोड़ा जा सकता है। कदायम, आलगुलाम, पवूरचथीराम और अन्य क्षेत्रों से कृषि उत्पाद या तो कोलाम जाते हैं अथवा त्रिवेन्द्रम से निर्यात किए जाते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इन ग्रामीण क्षेत्रों के कृषकों को इस संपर्क सड़क द्वारा काफी लाभ होगा।

इस प्रस्तावित सड़क में केवल 6 से 11 किलोमीटर की दूरी की एक नई सड़क बनाने की आवश्यकता है। यह भी पहाड़ी क्षेत्रों में ठोस घाटी पर बनाई जाएगी जिससे न तो वन और न ही पर्यावरण प्रभावित होगा। उस पुरानी सड़क के शेष 32 किलोमीटर को चौड़ा करने की आवश्यकता है। वर्ष 1988 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 3 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान लगाया गया था हाल ही में किए गए दूसरे सर्वेक्षण में कहा गया है कि अब 15 करोड़ रु॰ की आवश्यकता होगी। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इसे स्वीकृति प्रदान करें। मैं केन्द्र सरकार और जल-भूतल परिवहन मंत्रालय से भी अनुरोध करता हूं कि वह केन्द्र द्वारा यथासम्भव सहायता बढ़ाते हुए प्राथमिकता के आधार पर तमिलनाडु तथा केरल सरकार से इस संबंध में बातचीत करें।

(ग्यारह) महाराष्ट्र के अमरावती जिले में मेलघाट के आदिवासी क्षेत्र में कुपोषण के कारण हो रही मौतों को रोकने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री आर॰एस॰ गवई (अमरावती) : अमरावती जिले में एक घनी आबादी वाली आदिवासी पट्टी में वर्ष 1994 से 1997 तक कुपोषण के कारण लगभग 3297 मौतें हुई। इस वर्ष भी जून के अन्त तक कुपोषण के कारण लगभग 122 मौतें हुई हैं। यह संघार, आदिवासी गांव मुख्य सड़क से जुड़ी हुई नहीं है। दवाइयों, चिकित्सा सुविधाओं, पीने के पानी, अपर्याप्त स्वास्थ्य केन्द्रों जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण है जिससे कुपोषण के कारण मौतें होती हैं। इसके बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार ने न तो मूल जन सुविधाओं के लिए अथवा न ही आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान की है। इन सब बातों के एक साथ मिल जाने से कुपोषण के कारण और मौतें हो सकती हैं। यह बहुत गंभीर चिन्ता का विषय है और मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अपना हस्तक्षेप करें और यह सुनिश्चित करें ऐसे पूर्वोपाय किए जाएं जिससे भविष्य में ऐसी मौतें न हों।

(बारह) तमिलनाडु में वेल्लौर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में पलार नदी के किनारे बसने वाले लोगों को पेयजल मुहैया कराया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री एन॰टी॰ षणमुगम (वेल्लौर) : अनेक वर्षों से पलार नदी किनारे के समीप बसे लाखों लोगों को पानी की आपूर्ति कर रही है। इसके अतिरिक्त इससे इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए भी पानी की आपूर्ति हो रही है।

पलार नदी के किनारे वानियामबादी से वालाका तक अनेक चर्म-शोधन कारखाने हैं। यह चर्म-शोधन कारखाने अपने कारखाने से निकलने वाले बहिस्राव का शोधन एवं निपटान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं कर रहे हैं। कारखाने से निकलने वाले बहिस्राव से उस क्षेत्र के ऊपरी परत का पानी प्रदूषित हो गया है। वालियामबादी अम्बुर, मधानूर, पालीकोंडा, वेल्लोर, विशरण, आरकोट, रानीपेट और वालफा के लोग यही नमकीन और प्रदूषित पानी पी रहे हैं। इसके कारण वह क्षय रोग, कैंसर और चर्म रोगों इत्यादि के शिकार हो रहे हैं। कई एकड़ भूमि भी इससे प्रभावित है।

उस क्षेत्र में कोई पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। कुछ संगठनों ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में मामला दायर किया है और उस पर निर्णय भी दे दिया गया है। फिर भी स्थिति वही बनी हुई है। सरकार को तमिलनाडु में चर्म-शोधन कारखानों पर नजर रखने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश देने चाहिए कि क्या वे कारखाने से निकलने वाले बहिस्राव का बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार समुचित ढंग से शोधन एवं निपटान कर रहे हैं या नहीं।

(तेरह) सरकारी सेवा में भर्ती और पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश को वापस लिए जाने की आवश्यकता

प्रो॰ जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर) : सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की गलत व्याख्या करके कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण तथा हित के विरुद्ध दिनांक 30.1.97, 2.7.97, 22.7.97, 13.8.97 और 29.8.97 को सभी मंत्रालयों को निर्देश देते हुए कार्यालय ज्ञापन जारी किए। (1) बाद में प्रोन्नत सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार पहले प्रोन्नत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के ऊपर अपनी प्रवरता पुनः प्राप्त कर लेगा; (2) जहां रिक्त पद कम है वहां भर्ती बन्द करने हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोस्टर में परिवर्तन करना; (3) अनुसूचित जाति/अनुसचित जनजाति के लिए अर्हता अंकों/मूल्यांकन में रियायत/छूट को वापस लेना; (4) प्रोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण समाप्त करना। और (5) विशेष भर्ती द्वारा पिछले रिक्त पड़े स्थानों की भर्ती बंद करना।

एक ओर भारत सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आरक्षण के लाभ देने के लिए वचनबद्ध है, लेकिन दूसरी ओर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के सरकारी सेवा में प्रवेश और उनकी प्रोन्नति बंद करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। जिस वकील ने भारत संघ की ओर से वकालत की थी, उसने भारत के संविधान के 77वें संशोधन अधिनियम 1995 और अनुच्छेद

[प्रो॰ जोगेन्द्र कवाडे]

16 (4क) को मद्देनजर रखकर सही दिशा में मामले की वकालत नहीं की जिसमें यह उपबन्ध किया गया है कि राज्य, राज्य की उन सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदों के किसी भी वर्ग अथवा वर्गों के लिए प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान कर सकेगा जिनमें, राज्य की राय में, इन जातियों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। मुझे यह नोट करके हैरानी हो रही है कि कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग ने अभी तक जगदीश लाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (28.5.1997), अशोक कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1997) और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च बनाम के॰एल॰ नरसिम्हन के मामलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के पक्ष में दिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर कार्यालय ज्ञापन जारी नहीं किया है। इस निवेदन के परिप्रेक्ष्य में मैं कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 30.1.97, 2.7.97, 22.7.97, 13.8.97 और 29.7.97 के कार्यालय ज्ञापन को तत्काल वापस लेने की मांग करता हूं।

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अपराह्न 2.48 बजे

हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए पहले परमाणु बम के हताहतों को श्रद्धांजलि

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, आज हिरोशिमा दिवस है। 1945 में आज के दिन जापान में हिरोशिमा पर परमाणु बम का विस्फोट हुआ था जिसके फलस्वरूप हजारों लोग तुरन्त मर गए थे और अनेक लोग मृत्यु से भी बदतर स्थिति में पहुंच गए थे। मानव इतिहास में इस काले दिवस पर हम हिरोशिमा के साथ-साथ नागासाकी में गिराए गए परमाणु बम के हताहतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज इस अवसर पर हमें सम्पूर्ण समयबद्ध अवधि में भेदभाव रहित परमाणु निरस्त्रीकरण लाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का पुनः आह्वान करना चाहिए।

यह सभा हिरोशिमा और नागासाकी हताहतों की याद में थोड़ी देर मौन धारण करेगी।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : हमें प्रण करना चाहिए कि हम कभी भी परमाणु बम का विस्फोट नहीं करेंगे।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहें)

अपराह्न 2.49 बजे

विदाई उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : 27 मई, 1998 को प्रारम्भ हुआ 12वीं लोक सभा का दूसरा सत्र आज समाप्त हो रहा है। इस अवधि में कुल मिलाकर 280 घंटे तक 38 बैठकें हुईं। 13 जून, 1998 से 2 जुलाई, 1998 तक सभा का अवकाश रहा ताकि विभागीय स्थायी समितियां केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों की अनुदानों की मांगों पर विचार कर सकें और सभा के समक्ष अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकें। लोक सभा की स्थायी समितियों के अनुदानों की मांगों पर 31 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये।

इस सत्र के दौरान सभा ने वित्तीय, विधायी तथा अन्य कार्यों से सम्बन्धित अनेक महत्वपूर्ण विषयों को लिया।

सामान्य बजट तथा रेल बजट पर 54 घंटे तक बहस हुई तथा सम्पूर्ण सभा के पूर्ण सहयोग से इन्हें पारित किया गया।

सभा ने प्रसार भारती (संशोधन) विधेयक, 1998 सहित 22 विधेयक पारित किये। इसी सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक लोकपाल विधेयक पुरःस्थापित किया।

सभा में नियम 193 के अधीन लोक महत्व के दस महत्वपूर्ण विषयों पर 78 घंटे लम्बी और उपयोगी बहस चली। इन वाद-विवादों में अनेक सदस्यों ने भाग लिया। ये विषय थे पोखरन में हाल ही में किए गए परमाणु परीक्षण, देश के विभिन्न भागों में किसानों द्वारा आत्म हत्या, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि, मारुति उद्योग लिमिटेड, देश के विभिन्न भागों में बाढ़, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, विद्रोह के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में उत्पन्न स्थिति, भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाली हाल की गतिविधियां, अनूसूचित जातियों और अनूसूचित जनजातियों की समस्याएं तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा कुछ लोगों का निर्वासन। जैन आयोग की अंतिम रिपोर्ट के बारे में सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा, जो अभी-अभी समाप्त हुई है, लगभग 16 घंटे चली।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से चार महत्वपूर्ण विषय उठाए गए जिनके उत्तर में सम्बन्धित मंत्रियों ने वक्तव्य दिए। इसके अलावा मन्त्रियों ने विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर 36 वक्तव्य दिये।

गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के सम्बन्ध में 57 गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरःस्थापित हुए। एक विधेयक में संविधान में संशोधन की मांग की गई थी ताकि राजनीतिक दल और उम्मीदवार चुनाव के दौरान धर्म के नाम पर अथवा धार्मिक भावनाओं को भड़का कर वोट न मांग सके। इस पर चर्चा हुई और बाद में सभा की अनुमति से इसे वापस ले लिया गया। जबकि संविधान में संशोधन की मांग करने वाले एक अन्य विधेयक पर पूरी चर्चा नहीं हो सकी।

गैर-सरकारी सदस्यों के एक संकल्प में सरकार से आग्रह किया गया कि एक राष्ट्रीय आवास नीति बनाई जाए। इस संकल्प को वापस लेने से पूर्व सभा के सभी वर्गों ने इसको समर्थन दिया। बाद में राष्ट्रीय आवास नीति सभापटल पर रखी गयी।

सत्र के दौरान 621 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध किए गए। जिनमें से मौखिक रूप से 97 प्रश्नों का ही उत्तर दिया जा सका। इस प्रकार औसतन प्रतिदिन 3 प्रश्नों का उत्तर दिया गया। इसके अलावा दो आधे-घंटे-ही चर्चाएं की गई और 6,229 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए।

माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 355 मामले उठाए। इसके अलावा शून्य काल के दौरान लगभग 576 सदस्यों ने लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय उठाए।

मैं इस अवसर पर सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सभा के कार्य को सम्पन्न करने के लिए मुझे तथा सभापति तालिका में शामिल मेरे साथियों को पूरा सहयोग किया। मैं सभा के नेता, विपक्ष के नेता, विभिन्न दलों और ग्रुपों के नेताओं तथा मुख्य सचेतकों और सचेतकों का अत्यन्त आभारी हूं कि उन्होंने मुझे सहयोग दिया। सभी की ओर से मैं प्रेस और मीडिया का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने पूरा सहयोग दिया और हमारे साथ देर रात्रि तक बैठे। मैं लोकसभा सचिवालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा अन्य सम्बद्ध एजेंसियों के अधिकारियों और कर्मचारी गण द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनका धन्यवाद करता हूं।

अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने विचार रखें।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, संसद का यह सत्र समाप्त होने जा रहा है। सत्र कठिनाइयों से भरा था, लेकिन कठिनाइयों पर विजय पाते हुए, आपके नेतृत्व में हम कुछ महत्वपूर्ण काम करने में सफल हुए हैं। कुछ काम बाकी हैं, जिन्हें भविष्य में करने हैं। भविष्य में हमें यह भी प्रयत्न करना है कि समूचा सदन अच्छी तरह से चले, कोई अप्रिय घटना न हो। लेकिन इस सत्र की विशेषता यह रही कि किसी अप्रिय घटना के बाद इसने तुरन्त अपने को संभाल लिया। यह भारतीय लोकतन्त्र की शक्ति का परिचायक है।

अध्यक्ष महोदय, आपको इसका श्रेय जाता है। आप नाम से ही योगी हैं। आसन पर बैठकर आप जिस तटस्थता का परिचय देते हैं, जिस तरह कभी टाल जाते हैं और कभी अनदेखा कर देते हैं, उसके लिए सचमुच में योग की साधना जरूरी मालूम पड़ती है।

मैं सदन के सभी सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने सत्र को सफल बनाने में योगदान दिया। सचिवालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति भी हम अपना आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने अथक परिश्रम तथा काम करके, जो भी संसद के तकाजे थे, उन सब को पूरा करने में योगदान दिया।

[अनुवाद]

श्री पी॰ शिव शंकर (तेनाली) : अध्यक्ष महोदय, अपने संसदीय कार्यकाल में हमने एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया है। बारहवीं लोक सभा का द्वितीय सत्र आज समाप्त होने जा रहा है। इसमें निसन्देह कुछ पूर्ण स्थिति रही, कुछ समस्याओं से भी जूझना पड़ा। लेकिन हमारी संस्कृति यह रही है कि सभा के संचालन में हमारे मतभेदों से उत्पन्न कोलाहलपूर्ण स्थिति के बावजूद तथा सामने आई समस्याओं के बावजूद हमारा अपना एक उत्कर्ष है, अपनी एक क्षमता है हमारी गतिशीलता ही इस बात में अन्तर्निहत है कि समय आने पर हम एकजुट होकर आगे बढ़ने में कामयाब रहे हैं। यह हमारा अद्भुत गुण है और ऐसा कहकर मैं कोई गलती नहीं करूंगा कि यह हमारी अद्भुत विशेषता भी है, यह हमारी राष्ट्रीय सम्पदा है, जिसे मैं तो कहूंगा कि हम इस सत्र में सभा की कार्यवाही के संचालन में सफलतापूर्वक संजोए हुए हैं।

थोड़ा बहुत काम पूरा किया गया। विपक्ष और सत्ता पक्ष के समक्ष समय-समय पर आने वाली कुछ कठिनाइयों के बावजूद इसमें सफलता मिली। लेकिन यह तथ्य सही है कि हमने सभी महत्वपूर्ण विषयों, जिसका आपने ब्यौरा दे दिया है और जिन पर चर्चा किये जाने की आवश्यकता भी थी, पर चर्चा की।

मैं विशेषकर इस बात के लिए पूरे सदन का आभारी हूं कि हमने एक अत्यन्त मार्मिक और भावनात्मक मुद्दे पर दलगत भावना से ऊपर उठकर चर्चा की हैं। हालांकि चर्चा के दौरान थोड़े बहुत मतभेद उभरकर सामने आये फिर भी हम दलगत भावना से ऊपर उठकर इस पर चर्चा करने में कामयाब रहे। यह हमारे प्रतिनिधित्व का प्रतिबिम्ब है और मेरी राय में यह सौगात हमें न केवल विगत कुछ वर्षों में बल्कि संसदीय कार्यकाल में, विरासत में मिली है और ऐसा कहकर मैं कोई गलती नहीं करूंगा कि अब इस स्थिति में भी परिपक्वता आ गई है।

महोदय, सच्ची बात तो यह है कि जब आप इस पद पर आसीन हुए थे तो हमें कुछ चिन्ता हुई, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के लोग काफी चिन्तित थे। लेकिन मैं तो बिना किसी अतिश्यायोक्ति के विनम्र शब्दों में यह कहना चाहूंगा कि आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन इतनी बखूबी से किया है कि हम लोगों, विशेषकर आंध्र प्रदेश के लोगों का सिर फक्र से ऊंचा उठ गया है।

अपराह्न 3.00 बजे

राष्ट्र को आप पर गर्व है और मुझे विश्वास है कि संसद के इतिहास में आपका नाम इस सभा के सर्वोत्कृष्ट अध्यक्षों की पंक्ति में लिखा जाएगा।

महोदय, मैं प्रधान मंत्री और उनके सहयोगी मंत्रियों की भी इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि उनके साथ हमारे समक्ष आयी थोड़ी बहुत समस्याओं के बावजूद, मैं तो कहूंगा कि उन्होंने हमेशा सामान्य दलगत स्तर से ऊपर उठने का प्रयास किया है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने में कि सभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चले हमारी और सभा

[श्री पी॰ शिव शंकर]

की सदैव सहायता की। मैं इस बात के लिए विशेषकर गृह मंत्री जी का अभिनन्दन करता हूं कतिपय मुद्दों के मामले में जहां हमें कुछ कठिनाई महसूस हो रही थी, वे हमारे मददगार साबित हुए। जब कभी हमें लगता कि गृह मंत्री हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं तो हम हमेशा प्रधानमंत्री के पास जाते थे। वे काफी उदार व्यक्ति हैं। ऐसे वक्त हमें उनसे परा सहयोग मिलता था इससे पता चलता है चाहे कोई कुछ भी कहे हमारी संसदीय कार्यप्रणाली परिपक्व हुई है।

निःसन्देह, मेरे मित्र मुझे संसदीय कार्यमंत्री के बारे में याद करा रहे हैं। वे हमेशा की तरह सक्रिय एवं कर्मठ हैं। समान रूप से वे हमेशा की तरह उतने ही मुखर हैं और सदन की कार्यवाही उत्कृष्ट परम्पराओं के अनुसार चलाने में माहिर हैं जिसके लिए वे हमारी प्रशंसा के पात्र हैं।

मैं अवश्य कहूंगा कि हमारे बीच हुई कुछ नोंक-झोंक के बावजूद माननीय सदस्यों की समूची श्रृंखला ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन बड़ी बखूबी से किया है। मैंने ब्रिटिश संसद की बैठक कई बार देखी है और मैं तो कहूंगा कि अधिकांश अवसरों पर मैंने वहां की बैठक को हमारे यहां की बैठक से बदतर ही पाया। यह वह संसद है जिसकी अपनी प्रतिष्ठा है। इससे पता चलता है कि यह गुण हमारे रक्त में समाया हुआ है। यही वह आभा है जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है। यह वह संस्कृति है जिसकी मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में पूरे राष्ट्र में व्याप्त हो जाएगी।

सभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए जहां हम सदस्यों को बधाई दे रहे हैं वहीं यह बताना आवश्यक है कि यदि सचिवालय के कर्मचारी दिन रात काम करके हमारे सक्षम कार्य संचालन में हमारी सहायता नहीं करते तो हम अपने कर्तव्यों का इतनी कुशलतापूर्वक निर्वहन नहीं कर पाते। जब भी हमें आवश्यकता पड़ी वे हमारी सहायता के लिए आगे आए। निसन्देह जब भी हम चाहे इस पक्ष के अथवा उस पक्ष के सदस्य हो, किसी नियम को उद्धृत करना चाहते थे तो वे हमारा मार्गदर्शन करते। इससे पता चलता है कि उन्होंने किसी भय अथवा पक्षपात के बिना अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है और इस प्रकार वे सब हमारी प्रशंसा के पात्र हैं।

एक बार पुनः मैं आपका और सत्ता पक्ष और इसके साथ-साथ उपस्थित सभी सदस्यों का समान रूप से धन्यवाद करता हूं जो यह सुनिश्चित करने में कामयाब हो सके कि यहां हमें आदर मिलता है, यह वह सम्मान है जिसका हमने राष्ट्रों के बीच साधिकार स्थान बना लिया है।

अपराह्न 3.04 बजे

राष्ट्रगीत

राष्ट्रगीत की धुन बजाई गई।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 3.05 बजे

तत्पश्चात लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

© 1998 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और डाटा प्वांईट कम्प्यूटिंग टैक्नोलोजी (इंडिया) प्रा.लि., जनक पुरी, नई दिल्ली–58 द्वारा मुद्रित।